महानगर नई दिल्ली सोमवार 4 नवंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

राहत के आसार नहीं, बुधवार तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज

जहरीली हवा के बीच आज से सम-विषम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में रविवार को पहली बार कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 'अति गंभीर' दर्जे के भी पार चले जाने के बीच राजधानी में सम-विषम योजना आज से शुरू होगी।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि बुधवार तक मौसम का मिजाज कमोबेश यही रहेगा। उनके अनुसार दूषित हवाओं की धुंध से घिरी दिल्ली और आसपास के इलाकों को वायु प्रदूषण से प्रभावी राहत के लिए सात नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार करना होगा। इस बीच, आज से शुरू होकर आगामी 15 नवंबर तक लागू रहने वाली सम-विषम योजना के तहत कारों के परिचालन पर बाकी पेज 8 पर

वायु गुणवत्ता तीन साल के सबसे खराब स्तर पर

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को तीन साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया।

24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) (रविवार को शाम चार बजे) 494 दर्ज किया गया जो छह नवंबर 2016 के बाद से सर्वाधिक है। उस दिन एक्यूआइ 497 था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार

प्रदूषण नापने वाली मशीनें भी फेल

1563 और नोएडा में 1600 तक पहुंच गया गाजियाबाद का एक्यूआइ जबकि दिल्ली में यह 1211 रहा। दिल्ली का समग्र एक्यूआइ शाम पांच बजे सर्वाधिक 708 पर पहुंच गया जो कि 14 गुणा अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मशीनें एक्यूआइ के 500 के पार जाने के बाद प्रदूषण नापने में नाकाम रहीं।

40 फीसद लोग जाना चाहते हैं कहीं और

ट्विटर पर रविवार को 'दिल्लीबचाओ' और 'दिल्लीएअरइमरजेंसी' हैशटैग ट्रेंड करते रहे और सैकड़ों लोगों ने हालात सुधरने तक एनसीआर से बाहर जाने की इच्छा जताई।सर्वेक्षण के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर के 40 फीसद से अधिक निवासी शहर छोड़ कर कहीं और बसना चाहते हैं जबकि 16 फीसद ने इस दौरान शहर से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। दिल्ली और एनसीआर के 17,000 निवासियों ने इस सर्वेक्षण में हिस्सा लिया।

क्यों बढ़ा प्रदूषण

प्रदूषण संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली सफर ने कहा है कि शनिवार व रविवार को हुई हल्की बारिश से प्रदूषण में पहले मामूली गिरावट आई लेकिन सुबह तक प्रदूषण कम होने के बजाय और गहरा गया। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि इसकी वजह यह रही कि हवा थम गई व बारिश से मिली नमी ने प्रदूषण के साथ मिलकर धुंध बना लिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रविवार सुबह फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया।

37 उड़ानों का मार्ग बदला

दिल्ली आने वाली 37 उड़ानों को धुंध व कोहरे की वजह से मार्ग परिवर्तित कर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। अधिकारियों के अनुसार 37 उड़ानों को अमृतसर, जयपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे स्थानों पर भेज दिया गया।

एनसीआर में स्कूल आज और कल बंद

नोएडा/गाजियाबाद/चंडीगढ़, 3 नवंबर (भाषा)।

प्रदूषण की वजह से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल चार नवंबर और पांच नवंबर को भी बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने भी गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों के सभी स्कूलों में चार और पांच नवंबर को छुट्टी का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आदेश 12वीं कक्षाओं तक के स्कूलों पर लागू होगा। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद प्रशासन ने कहा कि यह फैसला दीवाली के बाद से वातावरण में पीएम 10 और पीएम 2.5 के बढ़े स्तर और उसकी वजह से खराब हुई हवा की गुणवत्ता की वजह से लिया गया है। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने लिखित आदेश में कहा, 'बच्चों को स्कूल ले जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों से बड़ी मात्रा में पीएम2.5 और पीएम10 का उत्सर्जन होता है और ऐसे वाहनों के परिचालन से स्थिति और खराब होगी। इसलिए गौतमबुद्ध नगर जिले में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को चार नवंबर और पांच नवंबर को भी बंद रखने का फैसला किया गया है।'

प्रदूषण से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर को रेखांकित करते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है।

हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के कारण चार और पांच नवंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, सिरसा जिले में छह नवंबर तक स्कूलों में कक्षाओं का समय बदल कर सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है। फतेहाबाद सहित कुछ जिलों में भी सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे।

'फैसलों के बजाय न्यायाधीशों की आलोचना मानहानि'

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

न्यायाधीशों की उनके कुछ न्यायिक कार्यों के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना को गंभीरता से लेते हुए देश के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का कहना है कि जब वह न्यायाधीशों को परेशान देखते हैं तो उन्हें दुख होता बाकी पेज 8 पर

लोगों को 'संस्थानों को नीचा दिखाने' की इच्छा को रोकना चाहिए

एनआरसी भविष्य का आधार दस्तावेज : न्यायमूर्ति गोगोई

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की मौजूदा कवायद का रविवार को जोरदार बचाव करते हुए कहा कि इससे पहले राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या को लेकर 'अनुमान' लगाया जाता था जिससे 'भय, घबराहट और हिंसा व अराजकता के दुष्चक्र को बल मिलता था। उन्होंने कहा कि यह भविष्य के लिए एक आधार दस्तावेज होगा।

साथ ही, उन्होंने कहा कि लोगों को हर जगह गलतियां और कमियां ढूंढने व संस्थानों को नीचा दिखाने की इच्छा को रोकना चाहिए। न्यायमूर्ति गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उस पीठ के अध्यक्ष हैं जो असम में एनआरसी की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। उन्होंने उन टिप्पणीकारों पर भी निशाना साधा जिन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न केवल जमीनी हकीकत से दूर हैं, बल्कि विकृत तस्वीर भी पेश करते हैं जिसकी वजह से असम और उसके विकास का एजंडा प्रभावित हुआ है।

वरिष्ठ पत्रकार मृणाल तालुकदार की किताब 'पोस्ट कोलोनियल असम (1947-2019)' के विमोचन पर कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, 'एनआरसी विवादों के बिना नहीं है। मैं इस मौके पर स्पष्ट कर दूं। एनआरसी कोई नया या अनोखा विचार नहीं है। इसका जिक्र 1951 में और खासकर 1985 में हुआ जब असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।'

एनआरसी का विचार कोई नया नहीं है, क्योंकि 1951 में ही इसका जिक्र किया गया था और मौजूदा कवायद 1951 की एनआरसी को अद्यतन करने का एक प्रयास है

इससे पहले राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या को लेकर 'अनुमान' लगाया जाता था जिससे 'भय, घबराहट, हिंसा व अराजकता' के दुष्चक्र को बल मिलता था

आसियान में प्रधानमंत्री ने किया आतंकवाद के खतरों से आगाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और उसके उन खतरों की बात की, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर मंडरा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने रविवार को कहा कि भारत के बढ़ते कद का संकेत देते हुए 10 देशों के संगठन आसियान ने अपने दस्तावेज में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई दिल्ली की बढ़ती भूमिका की सराहना की। भारत और आसियान ने रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने का संकल्प लिया।

मोदी ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ के प्रसार और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में भी बात की तथा क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों का एकजुटता के साथ मुकाबला करने के बाकी पेज 8 पर

आसियान नेताओं ने आतंकवाद के मुद्दे पर मिलकर काम करने की जरूरत बताई, *अपने* दस्तावेज में आसियान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई दिल्ली की बढ़ती भूमिका की सराहना की

आसियान सम्मेलन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

'भारत अब निवेश के लिए आकर्षक जगह'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

उद्योगपतियों निवेशकों संग बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बैंकाक में निवेशकों-उद्योगपतियों की बैठक में कहा कि भारत में निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा समय है।

भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश ने नियमित और नौकरशाही वाली शैली में काम करना बंद कर दिया है। कारोबार के लिहाज से भारत में अब कई अवसर और सुविधाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट कर में कटौती का जिक्र किया और कहा कि हमारे जीएसटी ने देश के आर्थिक एकीकरण के सपने को पूरा किया है। हम इसे लोगों के लिए और अनुकूल बनाने की दिशा में काम करना चाहते बाकी पेज 8 पर

तीसहजारी अदालत झड़प मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को तीसहजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में रविवार को स्वतः संज्ञान लिया और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से घटना की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया।

घटना के संबंध में मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ ने रविवार को कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग इस मामले में न्यायिक जांच करेंगे।

पीठ ने कहा कि सीबीआइ, सतर्कता विभाग व गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक या उनके द्वारा नियुक्त अन्य वरिष्ठ अधिकारी न्यायमूर्ति गर्ग की सहायता करेंगे और जांच छह हफ्तों में पूरी कर इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह गोली लगने से घायल हुए वकीलों विजय वर्मा को 50 हजार रुपए, रंजीत मलिक को 25 हजार रुपए और पंकज दुबे को 10 हजार रुपए बाकी पेज 8 पर

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसपी गर्ग को सौंपा जिम्मा

भारत पर जैश व लश्कर के हमलों का खतरा बरकरार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

अमेरिका ने कहा है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद भारत के लिए खतरा बने हुए हैं।

साथ ही, पिछले आम चुनाव में लश्कर से जुड़े प्रत्याशियों को लड़ने की इजाजत देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म-2018' के मुताबिक पाकिस्तानी प्रशासन धनशोधन व आतंकवाद निरोध पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की कार्य योजना को लागू करने में नाकाम रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा जैसे बाकी पेज 8 पर

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों को लेकर आगाह किया

हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र आज से

चंडीगढ़, 3 नवंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा-जजपा सरकार का पहला विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू होगा।

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने रविवार को अवकाश के बावजूद सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। हरियाणा के दूरदराज क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई विधायक रविवार को ही चंडीगढ़ पहुंच गए।

हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले बाकी पेज 8 पर

जासूसी मामले को देखेंगी दो समितियां

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

कांग्रेस नेताओं की अध्यक्षता वाली दो संसदीय समितियों ने वाट्सऐप जासूसी मामले को देखने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने गृह सचिव समेत वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी है। संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने समूचे वाट्सऐप जासूसी प्रकरण को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर 15 नवंबर को होने वाली समिति की बैठक में गौर किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने पूरे प्रकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि समिति अपनी चिंताएं साझा करेगी। उन्होंने कहा कि वह मामले में ईमेल से अन्य सदस्यों से भी विचार-विमर्श करेंगे।

पेगासस स्पाईवेयर मामले में आया दिलचस्प मोड़ | **जासूसी प्रकरण** | आइटी मंत्रालय ने मिली सूचना को बताया अधूरी

वाट्सऐप ने किया सरकार को जानकारी देने का दावा

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

वाट्सऐप ने सितंबर में भारत सरकार को बताया था कि 121 भारतीय प्रयोगकर्ताओं को इजराइली स्पाइवेयर पेगासस ने निशाना बनाया है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसे वाट्सऐप से जो सूचना मिली थी, वह अधूरी थी।

सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वाट्सऐप ने सरकार द्वारा उससे पिछले हफ्ते पेगासस स्पाइवेयर घटना पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इजराइली स्पाइवेयर के जरिए भारत सहित दुनिया भर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई थी।

आइटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि उन्हें वाट्सऐप से जवाब मिल गया है। अभी उसका अध्ययन किया जा रहा है। इस पर जल्द अंतिम राय तय की जाएगी। सरकार को पिछले हफ्ते भेजे जवाब का ब्योरा देने से इनकार करते हुए वाट्सऐप ने बताया कि उसने सरकार को सितंबर में भी इसके बारे में सतर्क किया था। मई में इसकी जानकारी देने के बाद सितंबर में दूसरी बार सरकार को जानकारी दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक वाट्सऐप ने सितंबर में भेजी सूचना में कहा था कि 121 भारतीय प्रयोगकर्ता स्पाइवेयर से प्रभावित हैं। आइटी मंत्रालय के अधिकारियों ने माना कि उन्हें पूर्व में भी वाट्सऐप से इस बारे में सूचना मिली थी, लेकिन पहले मिली सूचना अधूरी थी। साथ ही उसमें काफी अधिक तकनीकी शब्दावली का बाकी पेज 8 पर

इजराइली स्पाईवेयर के जरिए भारत सहित दुनिया भर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई थी।

121 भारतीय प्रयोगकर्ता स्पाइवेयर से प्रभावित हुए हैं। ऐसी सूचना वाट्सऐप ने सितंबर में भेजी थी।

आइटी मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वाट्सऐप से इस बारे में मिली सूचना में काफी अधिक तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में वाट्सऐप को भेजे सवालों का जवाब नहीं मिला है।

'प्रियंका को भी फोन जासूसी को लेकर भेजा था संदेश'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

वाट्सऐप जासूसी मामले को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वाट्सऐप से एक संदेश प्राप्त हुआ था। इसमें उन्हें बताया गया था कि उनके फोन के हैक होने की आशंका है। हालांकि पार्टी ने यह बताने से इनकार किया कि प्रियंका को यह संदेश कब प्राप्त हुआ था। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला बाकी पेज 8 पर

कोविंद ने शांति, सौहार्द के माहौल के लिए सिक्किम की सराहना की

गंगटोक, 3 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिक्किम में शांति व सौहार्द के माहौल की सराहना की, जहां लोग विभिन्न धर्मों का शांतिपूर्वक अनुपालन करते हैं और एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं।

राष्ट्रपति ने यहां सिक्किम विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'यह जानना अच्छा है कि सिक्किम में सभी धर्मों के लोग शांति व सौहार्द के साथ रहते हैं और पूरे उत्साह के साथ एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। उन्होंने (सिक्किम के लोगों के) सौहार्द के साथ रहने और एक दूसरे से घुलने-मिलने का भारत के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।' कोविंद ने देश-विदेश के लोगों के लिए सिक्किम के एक पर्यटन गंतव्य के रूप में इस कदर उभरने को लेकर भी राज्य की सराहना की कि उसे 'पूर्व के स्विट्जरलैंड' के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति ने पर्यटकों के फायदे के लिए पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से अनुरोध किया। उन्होंने इसका जिक्र किया कि सिक्किम 2018 के स्वच्छता सूचकांक में छठे स्थान पर रहा। इसके लिए राज्य के राज्यपाल व मुख्यमंत्री सराहना के हकदार हैं। कोविंद ने विश्वविद्यालय के 11 छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाणपत्र भी दिए। राष्ट्रपति ने लींबू, लेपचा, भूटिया और कई अन्य भाषाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर 'विलुप्तप्राय भाषाओं के एक लिए केंद्र' स्थापित करने को लेकर विश्वविद्यालय की सराहना की।

मणिपुर में बैंकों को दो अलगाववादी नेताओं के खातों पर रोक का निर्देश

इन्होंने लंदन में मणिपुर की निर्वासित सरकार का गठन किया है

इंफल, 3 नवंबर (भाषा)।

मणिपुर सरकार ने सभी बैंकों को दो अलगाववादी नेताओं के खातों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इन नेताओं ने लंदन में मणिपुर की निर्वासित सरकार का गठन किया है।

शुक्रवार को एक निर्देश जारी करते हुए गृह विभाग के विशेष सचिव के एच रघुमणि सिंह ने कहा कि याम्बेन बीरेन और नरेंगबम समरजीत के बैंक खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए। सिंह ने बताया कि यह निर्देश इस संदेह में जारी किया गया है कि खातों में रखे इस धन का इस्तेमाल गलत तरीके से गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

'मणिपुर राज्य परिषद का मुख्यमंत्री' होने का दावा करने वाले बीरेन और 'मणिपुर राज्य परिषद का विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री' होने का दावा करने वाले समरजीत ने लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वे 'मणिपुर के महाराज' होने के नाते बोल रहे हैं और औपचारिक रूप से 'मणिपुर राज्य परिषद' की निर्वासित सरकार का गठन करते हैं। मणिपुर के नाममात्र के राजा लेसेंबा सानाजाओबा ने स्पष्ट किया कि लंदन में हुई घोषणा से उनका कोई लेना देना नहीं है।इससे पहले, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि इंफल पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया गया है।

पांच साल में सरकारी बैंकों की 3,427 बैंक शाखाएं प्रभावित हुईं

इनमें 75 फीसद शाखाएं देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की

इंदौर (मध्य प्रदेश), 3 नवंबर (भाषा)।

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से खुलासा हुआ है कि बीते पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विलय या शाखाबंदी की प्रक्रिया से सार्वजनिक क्षेत्र के 26 सरकारी बैंकों की कुल 3,427 बैंक शाखाओं का मूल अस्तित्व प्रभावित हुआ है।

खास बात यह है कि इनमें से 75 फीसद शाखाएं देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की प्रभावित हुई हैं। आलोच्य अवधि के दौरान एसबीआइ में इसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ है। यह जानकारी आरटीआइ के जरिए ऐसे वक्त सामने आई है, जब देश के 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें चार बड़े बैंकों में तब्दील करने की सरकार की नई योजना पर काम शुरू हो चुका है।

मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के साथ रविवार को साझा की। इसके मुताबिक देश के 26 सरकारी बैंकों की वित्तीय वर्ष 2014-15 में 90 शाखाएं, 2015-16 में 126 शाखाएं, 2016-17 में 253 शाखाएं, 2017-18 में 2,083 बैंक शाखाएं और 2018-19 में 875 शाखाएं या तो बंद कर दी गईं या इनका दूसरी बैंक शाखाओं में विलय कर दिया गया।

आरटीआइ अर्जी पर मिले जवाब के अनुसार बीते पांच वित्तीय वर्षों में विलय या बंद होने से एसबीआइ की सर्वाधिक 2,568 बैंक शाखाएं प्रभावित हुईं। आरटीआइ कार्यकर्ता ने आरबीआइ से सरकारी बैंकों की शाखाओं को बंद किए जाने का सबब भी जानना चाहा था। लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। इस प्रश्न पर केंद्रीय बैंक ने आरटीआइ कानून के संबद्ध प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि मांगी गई जानकारी एक सूचना नहीं, बल्कि एक राय है।

आरबीआइ ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय एक अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ था। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय एक अप्रैल 2019 से अमल में आया था।

इस बीच, सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने इनके विलय को लेकर सरकार की नई योजना का विरोध तेज कर दिया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआइबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा, 'अगर सरकार देश के 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर चार बड़े बैंक बनाती है, तो इन बैंकों की कम से कम 7,000 शाखाएं प्रभावित हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश शाखाएं महानगरों और शहरों की होंगी।' वेंकटचलम ने आशंका जताई कि प्रस्तावित विलय के बाद संबंधित सरकारी बैंकों का कारोबार घटेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि किसी बैंक शाखा के बंद होने या इसके किसी अन्य शाखा में विलीन होने के बाद ग्राहकों का उससे आत्मीय जुड़ाव समाप्त हो जाता है।

बहरहाल, अर्थशास्त्री जयंतीलाल भंडारी की राय है कि सार्वजनिक बैंकों का विलय समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने से सरकारी खजाने को फायदा होगा।

रूस में रक्षा उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे राजनाथ

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उद्योग व व्यापार मंत्री डेनिस मांटुरोव मॉस्को में भारत-रूस रक्षा उद्योग सहयोग सम्मेलन में रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों को मंगलवार को संबोधित करेंगे। उद्योग मंडल फिक्की ने यह जानकारी दी है।

फिक्की ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत रूस के मूल उपकरण निर्माताओं के साथ संयुक्त रूप से कलपुर्जे विनिर्माण के तौरतरीकों की संभावनाएं तलाशने के लिए 5-6 नवंबर को 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रूस जाएगा। भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) और रक्षा मंत्रालय सम्मेलन के लिए रूस जा रहे 50 सदस्यीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करेंगे।

भारत और रूस के बीच चार सितंबर को हुए अंतर-सरकारी समझौते (आइजीए) के बाद आगे का कदम उठाने के तहत यह प्रतिनिधिमंडल रूस जा रहा है। इस समझौते का मकसद मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए कलपुर्जों, हिस्सों और अन्य उत्पादों के संयुक्त विनिर्माण के लिए तंत्र का परिचालन करना है। यह काम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यम की स्थापना के जरिए होगा।भारत रक्षा उद्योग से इस टीम में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल और जीएसएल व निजी क्षेत्र से एलएंडटी डिफेंस, भारत फोर्ज, अदाणी डिफेंस, टेकमाको डिफेंस, अल्फा डिजाइन सहित करीब 35 वरिष्ठ उद्योगपति शामिल होंगे। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और गलियारे में आने वाले संभावित निवेशकों तक पहुंच बनाएगे।

जंगली हाथी ने हरिद्वार में दो लोगों को उतारा मौत के घाट

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 3 नवंबर।

हरिद्वार के दो गांवों में एक जंगली हाथी ने दो ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। हरिद्वार के उपनगर कनखल थाना क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने रविवार को पंजहेड़ी और जियापोता गांव में लोगों पर हमला कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम और डीएफओ को बंधक बनाया। बाद में उन्हें छुड़वाया गया।

हाथी के हमले से पुरुष की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि महिला की निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। गांव में वन विभाग के खिलाफ बेहद गुस्सा नजर आया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम और डीएफओ को बंधक बना लिया।

सांसदों के बंगलों पर लगेगी थ्री-डी नेम प्लेट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) दिल्ली में सांसदों के बंगलों में जल्दी ही नई चमकीली नेमप्लेट लगाने की तैयारी कर रहा है। सांसदों ने शिकायत की थी कि मौजूदा नेमप्लेट रात के समय अंधेरे में नजर नहीं आती। इसलिए सीपीडब्लूडी ने सांसदों के आधिकारिक बंगलों पर त्रिआयामी (थ्री-डी) तकनीक वाली नेमप्लेट लगाने का निर्णय लिया है, जो अंधेरे में भी दिखाई देंगी।

सीपीडब्लूडी के सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में नार्थ एवेन्यू स्थित बंगलों में उभरे अक्षरों वाली नेमप्लेट लगाई जाएगी। दक्ष एजंसी को काम सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन कंपनियों का 70,000 करोड़ रुपए बकाया

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

बिजली का वितरण करने वाली कंपनियों यानी डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन कंपनियों का कुल बकाया सितंबर 2019 में एक साल पहले के इसी माह के मुकाबले 37 फीसद बढ़कर 69,558 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे बिजली क्षेत्र पर दबाव का पता चलता है।

वेब पोर्टल और भुगतान पुष्टि व उत्पादकों की बिल प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद विश्लेषण ऐप प्राप्ति के अनुसार सितंबर, 2018 तक वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादन कंपनियों का कुल बकाया 50,583 करोड़ रुपए था। इस पोर्टल को मई, 2018 में शुरू किया गया था। इसका मकसद उत्पादों और वितरण कंपनियों के बीच बिजली खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था।

इस साल सितंबर में उत्पादक कंपनियों द्वारा भुगतान के लिए दी जाने वाली 60 दिन की छूट अवधि के बाद वितरण कंपनियों पर बकाया राशि 52,408 करोड़ रुपए थी, जो इससे पिछले साल इसी महीने में 34,658 करोड़ रुपए थी। बिजली उत्पादक कंपनियां डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 60 दिन का समय देती हैं। उसके बाद यह राशि समय पर नहीं चुकाई गई बकाया राशि की श्रेणी में आ जाती है। उत्पादक कंपनियां ज्यादातर मामलों में जुर्माने के रूप में ब्याज भी वसूलती हैं।

बिजली उत्पादक कंपनियों को राहत के लिए केंद्र सरकार ने एक अगस्त से भुगतान सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इसके तहत डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति पाने के लिए ऋण पत्र की जरूरत होगी। अगस्त, 2019 में डिस्कॉम पर कुल बकाया 80,087 करोड़ रुपए था।

धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व बैंक प्रबंधक गिरफ्तार

रायपुर, 3 नवंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक सरकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक को कथित तौर पर ग्राहकों से धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि सेंट्रल बैंक की रामानुज नगर शाखा के प्रबंधक पद पर रहते हुए आलोक गुप्ता ने कथित धोखाधड़ी करते हुए ग्राहकों के लिए मंजूर किए गए ऋण की राशि खुद हड़पने की मंशा से दूसरे खातों में स्थानांतरित की। सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने कहा, 'इस संबंध में पिछले महीने दो मुकदमे दर्ज किए जाने के बाद से गुप्ता फरार चल रहा था। उसे शनिवार को झारखंड राज्य के गढ़वा जिले से गिरफ्तार किया गया।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा कथित तौर पर गुप्ता को भागने में सहायता करने के आरोप में दो अन्य व्यक्तियों आलोक शुक्ला और रफीक खान को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने बैंक के दो ग्राहकों ने गुप्ता, तत्कालीन सहायक प्रबंधक सुरेंद्र मरांडी और तत्कालीन कैशियर अभिषेक मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

यह तीनों रामानुज नगर शाखा में कार्यरत थे। अधिकारी ने कहा कि रामानुज नगर में पान की दुकान लगाने वाले राधेश्याम सिंह द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार उसने साल की शुरुआत में मुद्रा ऋण योजना के तहत बैंक से पांच लाख रुपए ऋण लेने के लिए गुप्ता को अर्जी दी थी।इसके बाद जब भी राधेश्याम ऋण के बारे में पूछता तब गुप्ता उस समय ऋण को मंजूरी न मिलने की बात कहकर टाल देता। बाद में सितंबर में जब राधेश्याम सिंह ने अपना जनधन बचत खाता देखा तो पाया कि उसे बैंक से पांच लाख रुपए का मुद्रा ऋण मंजूर किया गया है और एक मार्च को उसके खाते में धन जमा किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिंह के खाते में जमा सारा धन उस दिन और अगले दिन दूसरे खातों में स्थानांतरित किया गया जिसके बारे में सिंह को कोई सूचना नहीं थी। अधिकारी ने कहा कि सिंह ने उसके खाते से दूसरे खातों में गलत तरीके से धन स्थानांतरित करने के आरोप में पिछले महीने गुप्ता और मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

ADVIK
एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1994PLC038300
पंजीकृत कार्यालय : 138, रोज-का-मीयो, इण्डस्ट्रियल एरिया, सोहना, जिला-मेवात (हरियाणा)-122103
ई-मेल आईडी : mail@advikindia.com;
वेबसाइट : www.advikindia.com
दूरभाष : 0124-2362471, फैक्स : 91-11-43571047
बोर्ड की बैठक की सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा अभिग्रहण हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय 703, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 पर सम्पन्न की जायेगी।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.advikindia.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशनुसार
कृते एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड
ह./-
पूजा चूनी
स्थान : हरियाणा (कम्पनी सचिव)
तिथि : 04.11.2019 मेमो सं. ए16272

मैफकॉम कैपीटल मार्किटस लिमिटेड
CIN: L74899DL1985PLC019749
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट न० 18, पाँचवीं मंजिल, सान्ची बिल्डिंग, 77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
सूचना
सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 29 (1) (ए) दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य कार्यसूची तथ्यों के साथ, जैसा कि मंडल विचार के लिए सही समझे, पर विचार एवं स्वीकृत करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 13 नवम्बर, 2019 को सायं 3:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट न० 18, पाँचवीं मंजिल, सान्ची बिल्डिंग, 77, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में आयोजित की जायेगी।
हस्ता०/-
विजय मेहता
तिथि: 02.11.2019 निदेशक
स्थान:नई दिल्ली

आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड
CIN-L26942DL1991PLC043776
पंजीकृत कार्यालय : 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
Email id-rcccementslimited@gmail.com
Tel.: 91-11-43571044, Fax: 91-11-43571047
बोर्ड की बैठक की सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा अभिग्रहण हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत पते पर सम्पन्न की जायेगी।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rcccements.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
कृते आरसीसी सीमेन्ट्स लिमिटेड
ह./-
अमनप्रीत कौर
तिथि : 04.11.2019 (कम्पनी सचिव)
स्थान : नई दिल्ली Mem. No. A57143

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड
CIN-L74899HR1994PLC072042
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 345, एचएसआईआईडीसी, फुटवियर पार्क, सेक्टर-17, बहादुरगढ़, झज्झर, हरियाणा-124507
Email id-bpcapitallimited@gmail.com
Phone: 01276-222501,02, Fax : 01276-222501
बोर्ड की बैठक की सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा अभिग्रहण हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत पते पर सम्पन्न की जायेगी।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bpccapital.in तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशनुसार
कृते बी.पी. कैपिटल लिमिटेड
ह./-
तिथि : 04.11.2019 रमेश कुमार गुप्ता
स्थान : हरियाणा (प्रबन्ध निदेशक)
DIN :00047724

एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड
CIN NO: L65923DL1984PLC019608
पंजी. कार्यालय: 3/14 ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009
ई-मेल आईडी:efficientindustrial@gmail.com
वेबसाईट: www.efficientindustrial.in
सम्पर्क नं.: 011-27132054
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को 1.00 बजे अप. में 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सित. 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे।
कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि यदि विचार किये जाने के लिये उनका कोई प्रश्न हो तो धारित शेयरों की संख्या के साथ अपने नाम, पते, फोलिओ नं./डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी के साथ बोर्ड की बैठक से पूर्व वर्ड फाइल में अपना प्रश्न efficientindustrial@gmail.com पर भेजें।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.efficientindustrial.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.msei.com पर उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेश से
एफिसिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
राज कुमार बरदिया
स्थान: दिल्ली (प्रबंध निदेशक)
तिथि: 2.11.2019 DIN:01736079
पता: मकान सं. 20बी, कल्याण विहार बस स्टैंड के निकट, ओल्ड सिटी, मॉडल टाउन II, डा. मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110009

सनराइज एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : L01111DL1985PLC021268
पंजीकृत कार्यालय : 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009
ई-मेल आईडी : sunriseagroproductsltd@gmail.com
वेबसाइट : www.sunriseagroproducts.in
सूचना
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को 02.00 बजे अपराह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 पर आयोजित की जायेगी।
"कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को अपनी आगामी बैठक में बोर्ड के साथ चर्चा किये जाने वाले अपने प्रश्न, यदि कोई हो, को अपने नाम, पते, फोलियो सं./डीपी आईडी तथा क्लाइण्ट आईडी और धारित शेयरों की संख्या सहित वर्ड फाइल में sunriseagroproductsltd@gmail.com पर भेजने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।"
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.sunriseagroproducts.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशनुसार
कृते सनराइज एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
ह./-
स्थान : दिल्ली अभिषेक बरदिया
तिथि : 02.11.2019 प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 06670438

पंकज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 314, तीसरा तल, प्लॉट नं. 39 के सामने, आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
CIN: L65990DL1982PLC256291
E-MAIL: info@pptinvestment.com
Website: www.pptinvestment.com
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 (1) (ए) तथा 33 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंकज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल की 2019-20 बैठक बुधवार, 13.11.2019 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें 30.9.2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणाम तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। विवरणों के लिए http:www.pptinvestment.in एवं http://www.bseindia.com देखें।
पंकज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली सरिता सिंह
तिथि: 2.11.2019 कम्पनी सचिव

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : नई कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-201001 (यूपी)
CIN: L25209UP1970PLC003320
नोटिस
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1) (ए) अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 14 नवम्बर, 2019 को दिल्ली में होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ कम्पनी के 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अनुमोदित किया जाएगा।
स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड
हस्ता./-
बी. मेहरोत्रा
स्थान: गाजियाबाद (निदेशक)
दिनांक : 2 नवम्बर, 2019 DIN: 03279399

Proclamation Requiring Attendance of Defendant
(Order 5 Rule 20 of The Code of Civil Procedure)
In the Court of Ms. Mona Tardi Kerketta
ASCJ-cum-JSCC-cum GJ (South) Saket Courts New Delhi Suit No.
CS No. 205/2019
Syndicate Bank ... Plaintiff
vs
Yunis Khan ..... Defendant
To
Ms. Yunish Khan
Shri Lallu Khan
Khanpur, New Delhi-110062
The Defendant Abobe Named
WHEREAS you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 17th day of November, 2019 at 10.00 A.M. the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parties.
Given under my hand & the seal of the Court this 19.09.2019.
ASCJ-cum-JSCC-cum GJ (Seal)

इण्टरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड
CIN-L72900DL1995PLC067808
पंजीकृत कार्यालय : 701, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
Email Id – interworlddigital.in@gmail.com
Tel. No. : 011-43571044-45; Fax No. : 011-43571047
बोर्ड की बैठक की सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा अभिग्रहण हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 12 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत पते पर सम्पन्न की जायेगी।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.interworlddigital.in तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
बोर्ड के आदेशनुसार
कृते इण्टरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड
ह./-
कीर्ति गुप्ता
तिथि : 04.11.2019 (कम्पनी सचिव)
स्थान : नई दिल्ली Mem. No. A56650

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जनसत्ता क्लासीफाइड
व्यक्तिगत
I, Yash Srivastava S/o Praveen Srivastava R/o B-132, Second Floor, Ganesh Nagar, New Delhi 110018, have change my name to Suyash Srivastava. 0040518260-1
I, Monica Goindi D/o Inder Pal Goindi W/o Anil Kumar R/o-19, GF, Narang Colony, Janakpuri, West Delhi-110058 have changed my name to Monica Bassy. 0040518307-10
I, Kalapna Jha W/o Dhirender Kumar R/o H.No.7, Nawada Vipin Garden Ext., Uttam Nagar, West Delhi-110059, have changed my name to Kalpna Devi for all future purposes. 0040518263-1
I, Heema Devi R/o Flat No.168, Netaji Subhash Apartment, Pocket-01, Phase-01, Sector-13, Dwarka, South West Delhi, Delhi-110078. I have changed my name from Heema Devi to Hema Shahi for all purposes. 0040518217-1
I, Amit Bansal s/o Prem Kumar Agarwal r/o D-16/239, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to AMIT AGARWAL. 0040518214-2
I Sharda Devi Alias Reena Gupta D/o Brita Ram and W/o Kewal Krishan R/o 332-B, Krishna Square 1, Amritsar, Punjab-143001, have changed my name to Reena Gupta. 0070681508-1
I Shambhu Sharma S/o Vishnu Sharma R/o House No-321R, Model Town, Karnal (Rural) Part-1, Haryana-132001, have changed my name to Atharv Sharma. 0070681507-1
I Ruchi Ramakant Jha Alias Ruchi Kohli D/o Ramakant Ramprasad Jha and W/o Amit Kohli R/o 1/243 Subhash Nagar, New Delhi 110027, have changed my name to Ruchi Kohli. 0070681504-1
I Himanshu S/o Ram Parkash R/o House No-5/2, Near Gugga Meri, Krishna Colony, Bhiwani, Haryana-127021, have changed my name to Himanshu Kawatra. 0070681498-1

सार्वजनिक सूचना
मेरा मुवक्किल कमलेश कुमार (उम्र ४५ वर्ष) पुत्र श्री शेरसिंह निवासी गांव पाली तह. व जिला रेवाड़ी हरियाणा हालआबाद न्यू पालम विहार गुडगाँव हरियाणा का है जो कि निम्न ब्यान करता है कि :-१. उसकी पुत्री अंकिता जो शादी शुदा है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है अपना फैसला जीवन का खुद करती है अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहती है जो मेरे मुवक्किल का कहना नहीं मानती है और उसके साथ गाली गलौज करती है और परिवार को परेशान करती है जो संपर्क में भी नहीं है मेरे मुवक्किल की देखभाल व हाल चाल पूछने भी नहीं आती है और फोन आदि पर भी दुर्व्यवहार करती है अब मेरा मुवक्किल अपनी पुत्री अंकिता को अपनी तमाम जायदाद व मकान व रिस्ते से बेदखल करता है व रिस्ते खत्म समझे जायेगे जो भी अंकिता से लेनदेन करेगा उसकी मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी अंकिता के दुर्व्यवहार को देखते हुए बेदखल कर दिया है जमीन जायदाद, मकान व तमाम जायदाद जो मेरे मुवक्किल के नाम पर है से उसका कोई वास्ता ना रहेगा व मेरे मुवक्किल का उससे अब कोई वास्ता नही है
Gaaje Singh Yadav (Advocate)
D-501/2004, Civil Court, Gurgaon

The Indian EXPRESS Classifieds
EXPRESS EDUCATION
McGraw-Hill writer
RAMESH SINGH'S
Basics to Current 'PT-focus' PT-cum-Main course
GS ECONOMY
New batch: Nov. 15-Dec. 30 [2.30-4.45pm]
Answer Writing Practice | Tests | Model Answer support
Admission on 'first-come-first-served' basis
Next similar batch: Mar. 02-

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम–26.9 डि.से. सूर्योदय– 6:35
न्यूनतम– 18.5 डि.से. सूर्यास्त– 17:35

तीस हजारी : दोनों पक्षों ने की शिकायत

पुलिस ने दर्ज किए चार मामले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार दोपहर हुई वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर रविवार को चार मामले दर्ज किए हैं। इस घटना में 20 पुलिसकर्मी और एक दर्जन से अधिक वकील घायल हुए हैं, जबकि कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई या उनमें आग लगा दी गई। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि तीस हजारी अदालत के जिला न्यायाधीश, दो वकीलों और घटना में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की अलग-अलग शिकायतों पर ये मामले दर्ज किए गए। शिकायत में सार्वजनिक कामकाज के निर्वहन में एक लोकसेवक को बाधा पहुंचाने, हमला करने, हत्या के प्रयास, दंगा और लूटपाट के आरोप लगाए गए हैं।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को रविवार को यह भी बताया कि मामले की जांच पुलिस की अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंप दी गई है। रविवार दोपहर साढ़े 12 बजे मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों एवं दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। वहीं, पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक महिला वकील समेत दो वकीलों की शिकायत पर दो मामले दर्ज किए गए हैं। शिकायत में हत्या का प्रयास, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, गलत इरादे से बंधक बनाना, आपराधिक धमकी, चोरी और किसी महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को केंद्र, दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा।

हिसंक झड़प में घायल हुए वकील विजय वर्मा (40) की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। उनकी शनिवार को एक सर्जरी हुई थी। उसके बाद उसी रात आठ बजे से लेकर देर रात करीब साढ़े 11 बजे तक दूसरी सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आइसीयू में रखा है।

उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। वह अपने परिवार के साथ लक्ष्मी नगर में रहते हैं। वह अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं। उनकी पत्नी गृहणी हैं।

आज काम का बहिष्कारः वकील

वहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव विष्णु शर्मा ने कहा है कि सोमवार को दिल्ली के सभी जिला अदालतों में कामकाज का बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी वकील किसी भी मामले में अदालत के समक्षे पेश नहीं होंगे। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायिक जांच के आदेश के बाद कहा कि इसके बाद वकील संतुष्ट हैं।

घायल वकीलों को मिलेगी आर्थिक मदद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नंवबर।

दिल्ली बार काउंसिल (दिल्ली विधिज्ञ परिषद) ने तीस हजारी अदालत में शनिवार को पुलिस के साथ हुई हिसंक झड़प में घायल हुए वकीलों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। बार काउंसिल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। केसी मित्तल ने कई न्यायाधीशों के साथ सेंट स्टीफन अस्पताल पहुंच कर दोनों घायल वकीलों से मुलाकात की। उसके बाद आइसीयू में भर्ती दो वकीलों को चिकित्सा खर्च के अलावा दो-दो लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। साथ ही लाठीचार्ज में घायल वकीलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

हिंसक झड़प के बाद तीस हजारी और कड़कड़डूमा अदालत में यातायात चलानों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतें लगीं। पर इन दोनों ही अदालत में वकीलों ने कामकाम का बहिष्कार किया। हालांकि, अन्य जिला अदालतों में विशेष अदालतें लगीं। पर वहां भी इस दौरान अड़चन सामने आईं। बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जयवीर सिंह बताया कि तीस हजारी अदालत में घटी घटना के बाद वकीलों में रोष है। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान लेने के बाद वकील संतुष्ट हैं। वहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव विष्णु शर्मा ने बताया कि हमारी अधिकतर मांगें मान ली गई हैं।

प्रदूषण से बचाव

मंत्री ने जारी किए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़े हुए प्रदूषण के मद्देनजर लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर गया है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 1200 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में एक्यूआइ 1350 रिकॉर्ड किया गया तो अशोक विहार में 1291 दर्ज किया गया। पूरी दिल्ली में बुरा हाल है।

प्रदूषण सांस संबंधी बीमारी को बढ़ा रहा है। स्वस्थ व्यक्ति भी इसकी चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं, जबकि बीमार लोगों का थोड़ी ही देर में प्रदूषण के कारण गंभीर हाल हो रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किलें दमें के मरीजों बच्चों व गर्भवती महिलाओं को हो रही हैं।

लिहाजा स्वस्थ लोगों को सलाह है कि वे लंबे समय तक प्रदूषण में न रहें। उनको बाहर टहलने, व्यायाम करने व अन्य तरह की मेहनत के काम से परहेज करना चाहिए। जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। खासकर सुबह-सुबह व देर शाम। घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखें। इसी तरह बीमार लोगों के जरूरी दवाएं साथ रखने, खुद को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी गई है।

'रेहड़ी वाले बरतें विशेष सावधानी'

यातायात पुलिस, रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों व आटो चालकों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि सांस फूलने, आंखें लाल होने, बेचैनी या दूसरी मुश्किल आने पर तुरंत नजदीकी डाक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। खास कर हृदय रोगियों, दमें के रोगियों व अन्य मरीजों को अपनी दवाएं पास रखने को कहा गया है।

प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर पहुंचना सरकार की नाकामी : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नंवबर।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। पिछले पांच साल के शासनकाल में उन्होंने इस समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों

का सामना करना पड़ रहा है। सम-विषम योजना की जगह पर अगर सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस पहल की होती तो शायद यह दिन दिल्लीवासियों को नहीं देखना पड़ता।

वहीं, पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के लिए दोषी ठहराकर सस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने न केवल दिल्ली मेट्रो के फेज -3 के काम को तीन साल तक पूरा करने में देरी की, बल्कि फंड जारी न करके दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के शुरू होने में भी देरी का कारण बनी।

दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सुभाष चोपड़ा, जय प्रकाश अग्रवाल समेत अन्य कार्यकर्ताओं को सिविल लाइंस थाने ले गई। हालांकि, बाद में सभी को छोड़ दिया गया।

चिंता घायल वकील से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

वजीराबाद सिग्नेचर पुल दस दिनों के लिए बंद रहेगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

दिल्ली के वजीराबाद को पूर्वी दिल्ली से जोड़ने वाले सिग्नेचर पुल को सोमवार से दस दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह पुल अस्थायी प्लेटफॉर्म और टावर क्रेन को हटाने के लिए बंद किया जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली पर्यटन से मिले अनुरोध के बाद सिग्नेचर पुल चार नवंबर की आधी रात से 14 नवंबर की मध्य रात्रि तक बंद रखने का फैसला किया गया। संभावना है कि पुराना वजीराबाद का पुल, खजूरी चौक और मजनू का टीला में भारी यातायात होगा। युमना पार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

छठ पूजा पर भी दिखा प्रदूषण का असर, श्रद्धालुओं को नहीं दिखे सूर्य देव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

दिल्ली में छाई प्रदूषण की धुंध का असर छठ पूजा पर भी दिखा। इस महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं को सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए। राजधानी के अलग-अलग स्थानों पर सैंकड़ों की संख्या में बनाए गए छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने रविवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जिसके साथ ही चार दिन से जारी यह महापर्व संपन्न हुआ।

राजधानी में खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण की धुंध पिछले कई दिनों से छाई है। छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु जब शनिवार शाम छठ घाटों पर पहुंचे तो धुंध की वजह से उन्हें अस्ताचलगामी सूर्य के दर्शन नहीं हो पाए। उन्हें प्रतीकात्मक रूप से ही अर्घ्य अर्पित करना पड़ा। इसी तरह रविवार की सुबह जब व्रती घाटों पर पहुंचे तो प्रदूषण की धुंध का दायरा और गहरा गया। परिणामस्वरूप व्रतियों ने सूर्योदय के तय समय पर अर्घ्य देकर अपनी पूजा संपन्न कर ली। हालांकि, सूर्य देव के दर्शन उनको नहीं हुए।

दिल्ली भोजुपरी समाज के अध्यक्ष अजित दूबे ने कहा कि राजधानी में इस साल छठ पूजा पर प्रदूषण की धुंध भारी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सूर्य की आराधना का महापर्व है और दुःखद यह है कि प्रदूषण के कारण श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन से वंचित रह गए। विभिन्न छठ घाटों के अलावा बिड़ला मंदिर, इंडिया गेट सहित विभिन्नइलाकों में अलग-अलग बनाए गए सैंकड़ों छठ घाटों पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आयोजन में हिस्सा लिया। मजदूर नेता बलिराम सिंह ने कहा कि समूचे दिल्ली-एनसीआर में लाखों की संख्या में लोगों ने छठ पूजा में हिस्सा लिया।

छठ घाट पर मोटर बोट से भ्रमण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए रविवार को छठ घाटों पर पूर्वी दिल्ली की मेयर अंजू कमलकांत, नेता सदन निर्मल जैन और विपक्ष के नेता रोहित कुमार मेहरोलिया और पटपड़गंज की निगम पार्षद अर्पणा गोयल ने भी निगम अधिकारियों के साथ पुख्ता इंतजाम का जायजा लिया।

ईस्ट पेटल नगर,
7, सेठी भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
ईमेल: br.9197@syndicatebank.co.in
फोन: 011-25860570, फैक्स: 011-25752545

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

यह मांग सूचना प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें/उनकी गारन्टी पर स्वीकृत साख सुविधाओं की बकाया राशि का भुगतान करें।
यदि आप आगे के ब्याज, अनुषांगिक खर्चों, लागतों आदि के साथ नीचे वर्णित बकाया राशि का बैंक को भुगतान करने में विफल होते हैं तो अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के अनुसार बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वर्णित किसी एक अथवा सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। धारा 13 की उप-धारा (13) के अनुसार आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं कर सकेंगे।

क्र. सं.	ऋणधारक तथा गारंटरों का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि
1.	ऋणधारकः श्री सुरेश कुमार, पुत्र मुख्तयार सिंह, क्वा. नं. सी-13, एनएनजेपी हॉस्पीटल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002 गारन्टरः श्रीमती शशिबाला, बी-14, हॉस्पीटल क्वार्टर्स, एलएनजेपी हॉस्पीटल, जीबी पंत हॉस्पीटल के पीछे, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002	फ्लैट न. 101 (एमआईजी), भूतल (एरिया 55.73 वर्ग मी.), प्लॉट नं. 980, शालीमार गार्डन एक्स्टेंशन-1, परवाणा लोनी, तह. एवं जिला गाजियाबाद	रु. 2161053.02 30.9.2019 को + आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि
2.	ऋणधारकः मै. यूनाइटेड इलेक्ट्रानिक्स प्रॉप. हरप्रीत सिंह, ई-10, गुरु नानक पुरा, जेल रोड, नई दिल्ली-110058 गारन्टरः श्रीमती प्रभजीत कौर, पत्नी श्री हरप्रीत सिंह, आनंद विहार, हरिनगर, नई दिल्ली-110064	1. श्री हरप्रीत सिंह यूसी 24, प्रथम तल, उषा पार्क, नई दिल्ली-110064 2. श्रीमती प्रभजीत कौर, पत्नी श्री हरप्रीत सिंह सीएल-3, 3 रा तल, एल ब्लॉक आनंद विहार, हरि नगर, नई दिल्ली-64	रु 16975954.24 30.09.2019 को +आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि
3.	ऋणधारकः श्री राकेश कुमार जैन ए-43, डीएल एफ दिलशाद, एक्टें-II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 (उ.प्र.) गारन्टरः श्री विकास नरुला फ्लैट नं. एस-2, ए-42 डीएलएफ दिलशाद, एक्स्टें-II, साहिबाबाद गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 (उ.प्र.)	फ्लैट नं. जी-1, भू तल, ए-1/111, डीएल एफ दिलशाद एक्टें.-II, ग्राम भोपुरा परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद	रु. 152517.22 30.09.2019 को +आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि

तिथि: 2.11.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान: नई दिल्ली सिंडिकेट बैंक

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों के स्वामित्व के लिए अलग-अलग होंगी दरें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक लेने के मामले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने संबंधी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रक्रिया के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मालिकाना हक के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा।

दिल्ली की 1,797 सूचीबद्ध अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों को आठ श्रेणियों में बांट कर स्वामित्व शुल्क का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार सभी अनधिकृत कॉलोनियों को दो वर्गों में बांटा गया है।

अधिसूचना के मुताबिक इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर 'ए' से 'एच' श्रेणी की आठ वर्ग में बांटी गई कॉलोनियों में भूखंड के आकार के मुताबिक 29.10 रुपए प्रति वर्ग मीटर से लेकर 4,837.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से स्वामित्व शुल्क तय किया गया है।

दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र से इतर निजी जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी 'ए' से 'एच' श्रेणी में बांटा गया। आठ प्रकार की कॉलोनियों में 14.55 रुपए प्रति वर्ग मीटर से लेकर 2,418.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से स्वामित्व शुल्क देना होगा। निर्धारित शुल्क दरों के मुताबिक अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक पाने या हस्तांतरण के लिए कम से कम 1,455 रुपए और अधिकतम 12.09 लाख रुपए शुल्क के रूप में भुगतान करने होंगे। ग्राम सभा और निजी जमीन पर बसी कॉलोनियों में 100 वर्ग मीटर तक के आकार वाले भूखंड का स्वामित्व शुल्क 14.55 रुपए प्रति वर्ग मीटर से 9,67.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित किया गया है।

निब्सकॉम
राष्ट्रीय बैंकिंग अध्ययन एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन संस्थान
ए-30, सैक्टर – 62, इन्स्टीटयूशनल एरिया, नोएडा-201307
फोन : 0120-2975208/09, 2975204/05, 2975230/31

निब्सकॉम, अनुबंध के आधार पर निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.nibscom.in देखें।
इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के विवरण सहित अपने आवेदन तथा डोजियर उक्त पते पर अधोहस्ताक्षरी को सीलबंद लिफाफे में, जिस पर "निदेशक, NIBSCOM के पद हेतु आवेदन" लिखा हो भेज सकते हैं।
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25.11.2019 है।
निब्सकॉम के पास एक या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल, निब्सकॉम

नियुक्तियां

R.G.M. COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
(AUTONOMOUS) :: ESTD : 1995
World Bank funded Institution. Accredited by NAAC with A+ Grade and NBA Accredited
NANDYAL-518 501, KURNOOL-Dist., Andhra Pradesh, INDIA
Mobiles : +91-8309849717, 9898722118
Applications are invited from the candidates having Doctoral Degree from IISc / IITs / NITs / Reputed Foreign and Indian Universities for the posts of **Professors, Asso. Professors, Senior & Junior Asst. Professors in CIVIL, EEE, ME, ECE, CSE, MATHS & ENGLISH** Departments.
The Qualification, experience and scale of pay are as per 7th pay recommendations. Salary will not be a constraint for exceptional candidates. Applications can be downloaded from the college website www.rgmcet.edu.in and filled in application with the proof of educational qualifications can be sent to the mail ID: rgmgroupnandyal@gmail.com on or before 15.11.2019.
Chairman

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथिः 11.11.2019

Nehru Place: MAL-1296, 1824, MSL-48789, 49055, 49063, 49064, MUL-1103, 1705, **Hauz Khas:** MSL-65089, MUL-241, 649, 1425, 1676, 1720, **Connaught Place:** MAL-639, MSL-27235, MUL-215, 417, 682, 802, 803, 886, 985, 992, 1025, **Lajpat Nagar:** MAL-1091, MSL-27963, **Sarai Juleana:** MAL-2502, MPL-154, MSL-28881, 32169, MUL-903, 961, 1393, 1687, 1737, 2374, MWS-1201, 1426, **Munirka:** MAL-1380, 1526, 1730, 1752, MGL-4567, MSL-37183, 37320, 37664, 37930, 37950, 37978, 38192, 38215, 38266, 38415, 38529, 38561, MUL-176, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 1233, 1758, 1958, 1962, 2177, 2264, 2279, 2310, 2422, 2528, 2685, 3078, 3191, 3231, 3382, 3391, 3446, 3516, 3584, 3605, 3633, 3713, 3763, 3797, 3842, 3915, 3959, 4012, 4108, 4128, 4142, 4186, 4237, 4264, 4281, 4304, 4308, 4317, 4331, 4333, 4339, 4342, 4385, 4420, 4448, 4488, 4521, 4526, 4529, 4686, 4767, MWS-5, 414, 653, 1149, 1318, 1961, 2229, **Kalkaji:** MOS-13, MSL-12991, 13084, MUL-94, 405, 1376, MWS-259, **Nehru Place II:** MPL-111, MSL-17999, MUL-672, 689, 731, 847, MWS-273, 587, **Dariyaganj:** MUL-738, 834, 970, 1028, 2228, 2235, 2283, 2711, 2746, 3480, **Yusuf Sarai:** MSL-22428, MUL-296, 1972, 2322, **Tuglakabad Extn:** MAL-1035, MSL-19767, 20034, 20129, MUL-964, 1047, 1076, MWS-824, 843, 942, 976, **Mehrauli:** MUL-1079, MWS-1205, 1247, 1833, 1924, 2081, 2087, **Malaviya Nagar:** MSL-29232, 29644, 29646, 30021, 30057, 30099, 30249, MUL-87, 254, 516, 669, 703, 849, 1039, 1054, 1339, 1398, 1471, **Green Park:** MAL-1425, 1476, 1654, MHL-304, MSL-26013, MUL-15, 836, 1180, 1202, 1320, 1441, 1502, 1532, 1738, 1872, 1979, 2002, 2132, **Kalakaji Extn:** MAL-1384, 1738, MHP-2, MSL-19128, 19378, 19453, MUL-90, 187, 481, 882, 1068, 1250, 1280, 1401, 1431, 1496, 1669, 1960, 1985, 2022, 2066, 2112, 2170, 2197, 2204, 2262, 2291, 2399, 2415, 2434, 2456, 2463, 2548, 2598, 2603, 2646, 2655, 2669, 2688, 2692, 2693, 2728, 2799, 2830, 2847, 2868, 2879, 2930, 2984, 3524, 3612, MWS-391, **Saket:** MSL-34418, 34724, 34925, MUL-149, 271, 699, 705, 820, 933, 1269, 1298, 1523, 1668, 1708, 1759, 1828, 1899, 1919, 1972, 1977, 1986, 1996, 1997, 2241, 2326, 2363, 2408, 2436, 2451, 2453, 2459, 2796, 2836, 2842, 2846, 3227, 3386, 3471, 3706, **Jangpura:** MAL-1248, MBL-2757, MSL-15991, 16147, 16158, MUL-249, 1077, 1102, 1204, 1228, 1368, 1412, 1641, 1707, 1904, 1928, 2113, **Lajpat Nagar Central Market:** MPL-63, MSL-12795, **New Delhi-Kotla:** MAL-1815, MSL-29053, 29172, 29184, 29239, 29240, 29282, MUL-128, 392, 838, 839, 1026, 1060, 1154, 1159, 1412, 1541, 1769, 1834, 1950, 2543, 2648, 2772, 3087, **Okhla Phase II:** MAL-939, 940, MBL-2175, MSL-15895, 15913, 15928, MUL-569, 752, 807, 1059, 1373, 1448, 1498, 1558, 1563, 1620, 1772, **Mahipalpur:** MAL-549, MHL-53, MUL-553, 908, 909, 1046, 1099, 1133, 1182, 1326, 1406, 1452, 1465, 1521, 1540, 1546, 1576, 1591, 1643, 1721, 1772, 1777, 1904, 1916, 2272, 2351, 2410, 2621, **Vasant Kunj-Masoodpur:** MSL-14035, MUL-181, 401, 520, 715, 1064, 1075, 1099, 1109, 1113, 1209, 1242, 1462, **Hari Nagar Ashram:** MSL-11372, 11391, MUL-474, 628, 698, 699, 980, 1006, 1072, 1092, 1230, 1602, **Ansari Road:** MAL-434, MUL-28, 30, 108, 525, **Sant Nagar:** MSL-12919, 13040, 13041, MUL-427, 825, 837, 1014, 1607, **Asaf Ali Road:** MSL-6886, 7534, MUL-665, **R. K. Puram:** MAL-585, MSL-14473, 14474, 14989, 15170, 15209, MUL-515, 762, 1145, 1288, 1291, 1322, 1330, 1365, 1478, 1611, 1889, 1918, **Katwaria Sarai:** MAL-557, 577, MGL-974, MUL-10, 350, 558, 1403, **Lado Sarai:** MAL-1064, MSL-18019, 18901, 18902, 18927, 19001, 19018, MUL-481, 528, 719, 967, 1043, 1173, 1541, 1798, 1893, 1901, 1911, 1926, 2017, 2060, 2108, 2321, 2543, 2636, 3115, **Chuna Mandi:** MAL-1032, MSL-10269, 10821, MUL-313, 368, 407, 638, 695, 1312, 1345, 1369, 1388, 1463, 1619, 1835, **Lajpat Nagar - 3 CS Road:** MAL-419, MUL-85, 121, 469, 533, 993, **Pul Pehladpur:** MBL-2236, MSL-14662, 15044, 15150, 15151, 15326, 15349, 15373, MUL-402, 719, 754, 1957, 2780, 2918, **Delhi - Chirag:** MAL-432, 486, MSL-6304, 6492, MUL-421, 508, 510, 609, 671, 701, 752, 1258, **Devli Khanpur:** MUL-602, 648, 668, 754, 854, 1054, 1112, 1544, 1997

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)
नीलामी की तिथिः 11.11.2019

Delhi-Nehru Place: MAL-2460, MUL-3858, MWS-1168, 1223, **Delhi-Hauz Khas:** MUL-5933, **Delhi-Sarai Juleana:** MWS-1682, 4614, **Delhi-Munirka:** MWS-1273, **Delhi-Kalkaji:** MWS-509, 586, **Delhi-Nehru Place II:** MWS-723, **Delhi-Dariyaganj:** MUL-3169, MUL-4792, **Delhi-Yusuf Sarai:** MUL-1598, **Delhi-Tuglakabad Extn:** MUL-831, **Delhi-Mehrauli:** MWS-2890, **Delhi-Saket:** MDL-854, MUL-4183, 6066, 6112, 6801, **Delhi-Jangpura:** MOL-938, MUL-2986, **Delhi-Lajpat Nagar Central Market:** MAL-970, MOL-360, MUL-1657, 2248, **New Delhi-Kotla:** MUL-5019, **Delhi-Okhla Phase II:** MUL-2479, **Delhi-Hari Nagar Ashram:** MUL-1757, 2683, **Delhi-Lado Sarai:** MUL-4744, **Delhi-Chuna Mandi:** MAL-1831, MUL-2010, **Delhi-Jeewan Nagar:** MOL-92, MUL-1729, **Delhi-Pul Pehladpur:** MUL-2244, 4729, 5793, **Delhi-Chirag:** MPL-43, MUL-1517, 1694, **Delhi-Devli Khanpur:** MUL-1517, 4617

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **12th & 13th November 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **K-24 Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar -II, New Delhi - 110024** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः 1993, रेलवे रोड, नरेला, नई दिल्ली-110040
कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 17.05.2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स जय राज सिंह शीट मेटल वर्क्स, मालिक जय राज सिंह,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.9,42,206/- (नौ लाख बयालिस हजार दो सौ छः रुपए मात्र)** के साथ उस पर आगे उपार्जित ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 28.10.2019** को ले लिया है। **कर्जदार, गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन **रु.9,42,206/- (नौ लाख बयालिस हजार दो सौ छः रुपए मात्र)** प्लस 17.05.2019 से उस पर ब्याज के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

जी-209, गली नं. 14, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 में स्थित **मैसर्स जय राज सिंह शीट मैटल वर्क्स मालिक श्री जय राज सिंह** के संदर्भ में बंधक स्टॉक एवं देनदारी।

**स्थानः

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	27.5 डि.से.	27.5 डि.से.	26.5 डि.से.	27.5 डि.से.
न्यूनतम	18.7 डि.से.	18.7 डि.से.	18.6 डि.से.	18.5 डि.से.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से की अपील

सम-विषम का करें पालन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे सम-विषम योजना का पालन करें। उन्होंने राजधानी में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति का ठीकरा पड़ोसी राज्यों के सिर फोड़ा और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सभी संबंधित राज्यों के साथ मिल बैठकर इस समस्या के समाधान की दिशा में पहल करें।

प्रदूषण के मुद्दे पर रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सम-विषम योजना को लेकर कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस योजना के दौरान, अगर वे अपनी कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वे कार पूल (कार साझा) का उपयोग करें। मैं भी सख्ती से इस योजना का पालन करूंगा।

केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आरोप-प्रत्यारोप में नहीं करना चाहती है, बल्कि पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण के समाधान को तलाश रही है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोग शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए जो कर सकते थे, वो सब कुछ किया लेकिन पराली जलाने के खिलाफ सख्त उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने पराली जलाने को रोकने के लिए केंद्र द्वारा पराली के निस्तारण वाली मशीनों के वितरण में ढिलाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में अब तक 63,000 मशीनें ही किसानों को मुहैया कराई गई हैं जबकि इन राज्यों में किसानों की संख्या 27 लाख के करीब है। केजरीवाल के सवाल किया कि सभी किसानों को इन मशीनों का वितरण करने में कितना वक्त लगेगा? कितने समय तक हम इस प्रदूषण को झेलते रहेंगे?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में शुक्रवार को पराली जलाने से होने वाले धुएं की हिस्सेदारी 46 फीसदी थी। शनिवार को यह घटकर 17 फीसदी हो गई और रविवार को इसके 12 फीसद तक रहने का अनुमान है।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि पुलिस ने राजधानी में 200 जगहों को चिन्हित किया है, जहां पर यातायता पुलिसकर्मी खड़े रहेंगे और उन वाहन चालाकों पर नजर रखेंगे जो इस योजना का उल्लंघन करेंगे। साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का ई-चालान किया जाएगा।

'योजना के दौरान सार्वजनिक परिवहन रहेगा पुख्ता'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 3 नवंबर।

दिल्ली सरकार ने सम विषम योजना के दौरान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही है। इसके तहत बसों की संख्या व मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे। ओला उबर से सहयोग करने व किराया न बढ़ाने को भी कहा गया है। डीटीसी व क्लस्टर के अलावा दो हजार अतिरिक्त बसें चलेंगी।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर 2,000 निजी बसों को चलाने का फैसला किया है। पिछली बार सम-विषम योजना के दौरान केवल 500 बसें लगी थीं। डीटीसी बसों के पूरे बेड़े के साथ सभी क्लस्टर बसों को भी लगाया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि योजना का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान लगाने का अधिकार इस बार चार विभागों के पास होगा। राजस्व विभाग, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और सहायक यातायात निरीक्षक दल के एसडीएम और तहसीलदार इस बार उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगा सकेंगे। इस बार सम-विषम योजना के उल्लंघन पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि पिछली बार यह दो हजार रुपए था।

ओला और उबर को किराया नही बढ़ाने को कहा: सम-विषम योजना के क्रियांवयन के दौरान लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने इस साल कई कदम उठाए हैं। अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने को कहा गया है। ई-रिक्शा को भी किराया में बढ़ोत्तरी नहीं करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम को बेहतर संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मेट्रो का फेरा बढ़ेगा: डीएमआरसी 29 अतिरिक्त मेट्रों ट्रेनों के माध्यम से 61 अतिरिक्त यात्राएं और कुल 5100 यात्राएं संचालित करेगा। विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर योजना की जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित होगा। सभी मेट्रो लाइनों और ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर 35 टीमों को तैनात किया जाएगा।

ईपीसीए का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर लगा जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 नवंबर।

प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण की ओर से पानी का छिड़काव कराया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रक एवं नियामक प्राधिकरण (ईपीसीए) के निर्देशों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर कुल 2.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्राधिकरण के सभी वर्क सर्कलों के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रोकथाम संबंधी उपाय कर रहे हैं।

ईपीसीए के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस कड़ी में वर्क सर्किल-1 ने बी-20 सेक्टर-एक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सर्किल-2 की टीम ने सेक्टर-19 में सी-632 पर 10 हजार, सी-276 पर 5 हजार, ए-406 पर 10 हजार, बी-183 पर 10 हजार, ए-49 पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वर्क सर्किल-3 की टीम ने सेक्टर-50 स्थित रामाज्ञा स्कूल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की चालान स्कूल प्रबंधन की ओर से नहीं लेने पर इसे स्कूल गेट पर चस्पा कर दिया गया। इसके अलावा सेक्टर-48 स्थित मदरहुड स्कूल पर 10 हजार, सेक्टर-41व 49 के बीच एपेक्स बिल्डर्स पर 5 हजार, प्रकाश एंड कंपनी पर 5 हजार, सेक्टर-47 डी-39 पी 10 हजार, सेक्टर-39 प्लाट नंबर जी-1 पर 5 हजार सेक्टर-40 प्लाट नंबर ए-43 पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वर्क सर्किल-4 व 5 की ओर से किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया गया। वहीं, वर्क सर्किल-6 में सेक्टर-78 स्थित महागुन मजारिया परियोजना पर 25 हजार, सेक्टर-112 में प्लाट नंबर एसके-85 ए-43 मलखान पर 20 हजार, इसी सेक्टर के एसके 85 एफ पर 10 हजार, संतराम एंड अशोक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऐसे में कुल 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

समूचे शहर में सीवर शोधित पानी (एसटीपी के पानी) का सड़कों, सेंट्रल वर्ज, सड़क किनारे, पार्क आदि स्थानों पर टैंकर से छिड़काव कराया गया। इस दौरान सफाई करने वाली मशीन (मेकेनिकल स्वीपिंग) के जरिए सड़क से धूल भी हटाई गई। कुल 96 किलोमीटर में 53 टैंकरों से पानी का छिड़काव किया गया। प्राधिकरण के महाप्रबंधक केके अग्रवाल ने बताया कि रविवार सुबह करीब आठ बजे से पानी का छिड़काव शुरू करा दिया गया था।

मां की हत्या के आरोप में बेटी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

हरिनगर में 81 साल की बुजुर्ग मां की उसकी बेटी ने ही हत्या कर दी। दोनों में शनिवार को झगड़ा हुआ था। पुलिस ने रविवार को हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। मां और बेटी दोनों विधवा है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक शनिवार को पीसीआर को सूचना मिली कि दिल्ली कैंट के नांगल राय, सब्जी मंडी खजान बस्ती के पास सिर में चोट लगी हालत में एक महिला बैठी हुई है। तुरंत सूचना को मायापुरी थाना में भेजा गया जिसके बाद बताए ठिकाने पर पुलिस पहुंची तो वहां नीरू बग्गा नामक एक महिला मिली। महिला घायल और भावनात्मक रूप में परेशान अवस्था में थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह हरिनगर एफ-पॉकेट के एमआईजी फ्लैट में वह अपनी 81 साल की बुजुर्ग मां संतोष बग्गा के साथ रहती थी। उसने बताया कि उसका मां से किसी बात पर झगड़ा हो गया और वह मां के सिर पर भारी चीज से वार करके घर से निकल गई। मायापुरी पुलिस ने हरिनगर थाने की पुलिस को सूचना भेजी और बताए ठिकाने पर नीरू को लेकर पहुंच गई। पुलिस नीरू को लेकर घर के अंदर गई तो वहां संतोष का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने खून से सने कपड़े बरामद किए। रविवार को मामला दर्ज कर पुलिस ने मां की हत्या के आरोप में नीरू को गिरफ्तार कर लिया है।

कंपनी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला कर्मी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 नवंबर।

थाना फेज टू पुलिस ने शहर की नामी मदरसन कंपनी के खिलाफ गलत संदेश को वॉट्सएप ग्रुप पर साझा करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कंपनी प्रबंधन की तरफ से छह महीने पहले मामला दर्ज कराया गया था। आरोपी कर्मचारी बब्लू गौतम कंपनी की गुरुग्राम इकाई में काम करता है।

पुलिस के मुताबिक गत चार मई को फूलमंडी चौराहे पर मदरसन कंपनी की एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बस पलट गई। बस में सवार कुछ महिलाएं घायल हो गईं। आरोप है कि कर्मचारी बब्लू गौतम ने गलत तरीके से वॉट्सएप पर वायरल कर दिया। वॉट्सएप संदेश में आरोपी ने लिखा कि हादसे में दो महिला कर्मचारियों की मौत हो गई। कंपनी प्रबंधन हादसे में घायल कर्मियों का इलाज भी नहीं करा रहा है। गलत और भ्रामक तथ्य वाले वॉट्सएप संदेश के चलते कंपनी के एचआर प्रमुख शांतनु मुखर्जी ने आइटी एक्ट के तहत थाना फेज टू में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने शनिवार शाम आरोपी बब्लू गौतम को कंपनी की गुरुग्राम इकाई से गिरफ्तार कर लिया। बब्लू मूलरूप से अमरोहा का रहने वाला है।

ट्यूशन पढ़ने गया नौ साल का बच्चा लापता

सेक्टर-110 स्थित गेझा गांव में रहने वाला 9 साल का बच्चा लापता हो गया है। वह शनिवार शाम को घर के पास टयूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन के बाद वह घर नहीं लौटा। पीड़ित पिता की शिकायत पर थाना फेज टू पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गेझा गांव में कमल सिंह अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे देवराज के साथ किराये के मकान में रहते हैं। पिता के अनुसार शनिवार शाम करीब 7 बजे उनका बेटा घर के पास टयूशन पढ़ने गया था। उसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया।

परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाते वक्त हो सरकारी नीति का अनुपालन : आयोग

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्रों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जैमर लगाते वक्त सरकारी नीति का सख्ती से अनुपालन करें।

सरकार ने 2016 में परीक्षाएं आयोजित करने वाले वैधानिक निकायों को इस बात की इजाजत दी थी कि वे रेडियो आवृत्ति आधारित उपकरणों के जरिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने के लिए कम शक्ति वाले जैमर परीक्षा केंद्रों में लगा सकते हैं। आयोग ने कुलपतियों और कॉलेज के प्रधानाचार्यों को लिखे पत्र में कहा, 'आप अपने विश्वविद्यालय और कॉलेज में जैमर पर सरकारी नीति के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।' यूजीसी के पत्र में कहा गया, 'जैमरों को लगाने से पहले सरकार की जैमर नीति के मुताबिक सचिव (सुरक्षा) से इसकी इजाजत लेना जरूरी है।' सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआइएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को परीक्षा केंद्रों के लिए कम शक्ति वाले जैमर किराए पर लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों की मांग के आधार पर जैमर उपलब्ध कराए जाएंगे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हेबीटेट सेंटर: 'लव इज एन द ब्रेन नाट इन द एयर' विषय पर चर्चा, गुलमोहर हाल, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

नृत्य

इंडिया हेबीटेट सेंटर: कुचीपुड़ी , स्टेन आडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

हत्या के बाद 18वीं मंजिल से फेंका महिला का शव, आरोपी फरार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 नवंबर।

सेक्टर जीटा स्थित एवीजे हाइट्स सोसायटी में रहने वाले युवक ने एक महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने महिला का शव रात भर अपने फ्लैट में छिपाकर रखा। रविवार सुबह शव को 18वीं मंजिल से फेंककर फरार हो गया। सोसायटी के सुरक्षाकर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने सोसायटी में रहने वाले आरोपी के भाई से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक दो-तीन दिन पहले ही महिला को लेकर आया था।

मिली जानकारी के मुताबिक एवीजे हाइट्स सोसायटी के सुरक्षाकर्मियों ने रविवार सुबह सूचना दी कि एक युवक ने एक महिला को सोसायटी की 18वीं मंजिल से धक्का दे दिया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने 18वीं मंजिल पर पहुंचकर आरोपी युवक मुमताज खां के कमरे की तलाशी ली तो वहां पर खून के निशान मिले, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः 1993, रेलवे रोड, नरेला, नई दिल्ली-110040
कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 04.07.2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स अरिहन्त पॉलीमर्स, मालिक श्री ज्ञान प्रकाश सिंगला, गारंटर-श्रीमती वैशाखी सिंगला,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.36,65,106/- (छत्तीस लाख पैंसठ हजार एक सौ छः रुपए मात्र)** के साथ उस पर आगे उपार्जित ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 28.10.2019** को ले लिया है। **कर्जदार, गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन **रु.36,65,106/- (छत्तीस लाख पैंसठ हजार एक सौ छः रुपए मात्र)** प्लस 28.10.2019 से उस पर ब्याज के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरेला, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
श्रीमती वैशाखी सिंगला के नाम पर आवासीय सम्पत्ति
1. सम्पूर्ण दूसरा तल निर्मित सम्पत्ति सं. 06, पॉकेट जी-4, सैक्टर-11, 31.69 वर्ग मीटर रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085
2. सम्पूर्ण दूसरा तल निर्मित सम्पत्ति सं. 07, पॉकेट जी-4, सैक्टर-11, 31.69 वर्ग मीटर रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110085

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 28.10.2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **24/07/2019,** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री गुलशन कपूर, श्रीमती कान्ता कपूर, श्री अंशुल कपूर एवं श्री प्रमोद कपूर,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.46,10,610/- (छियालिस लाख दस हजार छः सौ दस रूपये मात्र) 24.07.2019 (इस सूचना की तारीख) के अनुसार ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों के साथ** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 30 अक्तूबर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.45,69,952/- (पैंतालिस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ बावन रूपये मात्र) 05.05.2018 को आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्क आदि के साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण
यहाँ स्थित सम्पत्ति का न्यायसंगत बंधकः
सम्पत्ति सं.1525, खसरा नं.342, पहला तल, वज़ीर नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 30/10/2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

दिल्ली मेरी दिल्ली

अध्यक्ष मिल ही गया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के निधन के करीब तीन महीने बाद आखिरकार दिल्ली कांग्रेस को अध्यक्ष मिल ही गया। जिस तरह से शीला दीक्षित के साथ तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे उसी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो सुभाष चोपड़ा बने और उनके साथ चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद बने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव तीन महीने में होने हैं ऐसे में इतनी देरी से प्रदेश अध्यक्ष बने चोपड़ा और कीर्ति आजाद के सामने पार्टी को आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के सामने खड़ी करने की चुनौती है। कांग्रेस 2015 के विधानसभा चुनाव में हाशिए पर जाने के बाद दिल्ली के हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। मई के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने 'आप' को तीसरे नंबर पर जाने को मजबूर कर दिया लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नया अध्यक्ष बनाने में देरी करके प्रदेश नेतृत्व के सामने कांग्रेस को खड़ी करने की बड़ी चुनौती दे दी है। वैसे चोपड़ा की छवि सभी गुटों में तालमेल बैठाने वाले नेता की रही है। वे पहली बार 1999 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लंबे समय तक भाजपा में रहे कीर्ति आजाद को पूरबियों की दिल्ली की राजनीति में बढ़ी दखल के चलते महत्त्वपूर्ण पद दिया गया है। वे 1993 में दिल्ली की गोल मार्केट (अब नई दिल्ली) सीट से भाजपा विधायक थे। उसके बाद वे बिहार से सांसद बने और इस बार कांग्रेस के टिकट से झारखंड से लोकसभा चुनाव लड़े। उनके लिए कांग्रेस पार्टी में अपनी उपयोगिता साबित करने की चुनौती है।

चर्चा में घोषणाएं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता को साधने का अभियान जारी है। वे हर रोज कोई ने कोई घोषणा करके विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि विरोधी दल उनके आभामंडप से बाहर निकलने की रणनीति ही नहीं बना पा रहे हैं। वे लगातार केजरीवाल की घोषणाओं में कमी खोजकर उसी पर बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष का सबसे कारगर आरोप है कि वे पांच साल तक चुप क्यों बैठे रहे, उन्हें चुनाव के समय उसकी याद क्यों आई। विपक्ष के आरोप का ही असर है कि लोग कहने लगे कि चुनाव के बाद तो फ्री वाली सभी घोषणाएं वापस हो जाएंगी। पता नहीं इस प्रचार का आप क्या काट खोजती है लेकिन यह तो तय है कि इन घोषणाओं से आप ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। चुनाव घोषणा तक हालात भले बदल जाएं लेकिन अभी तो केजरीवाल की हर रोज हो रही घोषणाएं ही चर्चा में रहने लगी हैं।

तो मात खा गए 'प्रधान'

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नगर कीर्तन को लेकर चल रहे शह और मात के खेल में कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष ही मात खा गए और वो भी अकाल तख्त के उन जत्थेदार के हाथों, जिनकी नियुक्ति खुद उन्हीं के दल व सहयोग से हुई थी। जाहिर है कि 'प्रधानजी ' जिस तरह नगर कीर्तन को लेकर अड़े हुए थे वह गलत था। अकाल तख्त ने न सिर्फ कमेटी का प्रधान रहते 'सिरसा' के नगर कीर्तन निकालने से रोका है बल्कि उन्हें 'सरना' कीर्तन में सहयोग देने का भी हुक्मराना भी जारी कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा कि कपट देखते हुए अकाल तख्त ने प्रधान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब उन्हें अपने विरोधी को सहयोग भी करना होगा और इस बाबत इकट्ठा किया हुआ धन व सोना आदि भी संगत का वापस करना होगा। बदनामी हुई सो अलग।

झड़प और वीडियो

तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार को हुई हिसंक झड़प के बाद शुरुआत में केवल वकीलों से घटना से जुड़ी वीडियो वायरल हुआ, जिसके आधार पर वह अपने आप को पीड़ित बता सके। देर रात को जब कुछ वीडिया इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने दिखाए तो दिल्ली पुलिस को लगा कि वह कमजोर पड़ रहे हैं, जिसके बाद देर रात से रविवार सुबह तक आधा दर्जन से अधिक वीडियो वायरल किया और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराए गए। इन वीडियो में एक खास वीडियो भी था, जिसमें एक पुलिसकर्मी की वकील जमकर पिटाई कर रहे हैं और वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वकील मौके से फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार पुलिस ने कई और वीडियो भी जारी किए, जिसमें वकील अदालत परिसर में तोड़फोड़ और बवाल करते दिख रहे हैं। कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जब दिल्ली पुलिस प्रशासन को लगा कि मामला उनके हाथ से निकल गया है और उनकी इस हिंसक कार्रवाई गले की फांस बन सकती है तो आला अधिकारियों ने नेतृत्व को संभाला और एक के बाद एक कई वीडियो वायरल किए।

प्रयास को चुनौती

वायु प्रदूषण के कहर के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने की नोएडा के महत्त्वाकांक्षी प्रयास को चौतरफा चुनौती झेलनी पड़ रही है। वायु प्रदूषण के चलते कूड़ा- करकट जलाने पर रोक के अलावा धूल को वातावरण में उड़ने से रोकने के लिए सड़कों की सफाई मशीन से कराने के आदेश हैं। नोएडा प्राधिकरण के पास मौजूद सफाई मशीनों से बड़ी सड़कों और चौड़े मुख्य मार्गों की सफाई तो कराई जा रही है लेकिन ज्यादातर कॉलोनियों, सेक्टरों समेत अन्य इलाकों में रोजाना सुबह सफाई कर्मी पहुंचकर सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। माना जा रहा है यदि सड़कों की सफाई नहीं हुई, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए किए गए प्रयास विफल हो सकते हैं। वहीं, कम चौड़ी सड़कों और गलियों में बड़े ट्रक पर लगी सफाई मशीन का इस्तेमाल संभव नहीं है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन विरोधाभासी कार्यक्रमों को एक साथ संचालित करना बड़ी परेशानी की वजह बन रहा है। आलम यह है कि सफाई कर्मियों से सड़कों पर झाड़ू लगवाना बंद करने पर लोगों की शिकायत दर्ज कराने का खतरा है, कम चौड़ी सड़क और गलियों में मशीन से सफाई कराने की व्यवस्था प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है।

कर्मचारियों को दुत्कार

जिस सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार तमाम तरह के उपाय और व्यवस्था के लिए निर्देश दे रही है, अगर उन्हीं सफाई कर्मचारियों को एक बड़े गांधीवादी संस्थान में मामूली चीजों के लिए मोहताज होना पड़े तो बात कुछ अचंभित सी लगती है। राजघाट स्थित इस संस्थान के सफाई कर्मचारियों को बीते दिन उस समय अजीब लगा जब वहां हो रहे एक जलसा और मिलन कार्यक्रम से उन्हें महरुम रखा गया। यही नहीं कहा तो यहां तक जाता है कि दिन रात मेहनत कर पसीना बहाने वाले यहां के सफाई कर्मचारियों को पहले भी इस संस्थान में होने वाले कार्यक्रमों से दूर ही रखा जाता है और मलाई ऊपर वाले ही खाते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

-बेदिल

पटना में रविवार को छठ पूजा के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उदीयमान सूर्य को अर्ध्य देते हुए।

राव ने 1992 में अयोध्या पर रिपोर्ट खारिज कर दी थी : पूर्व गृह सचिव

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहाए जाने के समय केंद्रीय गृह सचिव रहे माधव गोडबोले ने दावा किया है कि यदि कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति होती और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने इस घटना से पहले गृह मंत्रालय द्वारा तैयार समग्र आकस्मिक योजना खारिज नहीं की होती, तो इसे बचा लिया गया होता।

गोडबोले ने अयोध्या भूमि विवाद पर अपनी एक नई पुस्तक में दावा किया है कि यदि प्रधानमंत्री के स्तर पर राजनीतिक पहल की जाती, तो यह घटना टाली जा सकती थी। पुस्तक में विवादित ढांचा ढहाए जाने से पहले और उसके बाद के घटनाक्रमों की स्पष्ट तस्वीर पेश करने का प्रयास करते हुए पूर्व गृह सचिव ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री राव ने इस महत्त्वपूर्ण विषय में सर्वाधिक अहम भूमिका निभाई थी लेकिन दुर्भाग्य से वे एक निष्प्रभावी नेतृत्वकर्ता साबित हुए।

'द बाबरी मस्जिद – राममंदिर डायलेमाः ऐन एसिड टेस्ट फोर इंडियाज कांस्टीट्यूशन' नाम की इस पुस्तक में लेखक ने दावा किया है कि जब यह मस्जिद गंभीर खतरे में थी तब राव के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वीपी सिंह भी समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे थे।

गोडबोले ने कहा कि इस विवाद से संबद्ध पक्षों में किसी के भी कठोर रुख अपनाने से पहले राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में विवाद के हल के लिए कुछ व्यावहारिक समाधान सुझाए गए थे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के विशेष क्षेत्र को केंद्र सरकार के हवाले किए जाने से संबद्ध अध्यादेश जारी किए जाने के बाद वीपी सिंह अपने रुख पर दृढ़ बने रहे।

गोडबोले ने कहा कि संबद्ध संस्थाओं और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद 1992 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 356 लागू कर इस ढांचे को कब्जे में लेने की एक समग्र आकस्मिक योजना तैयार की थी। कानून मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए कैबिनेट नोट को भी मंजूरी दे दी थी। पूर्व गृह सचिव ने कहा कि उन्होंने 'आकस्मिक योजना' चार नवंबर को कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सौंपी थी। उन्होंने कहा कि उस योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विवादित ढांचे और उसके चारों ओर के क्षेत्र को केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा सफलतापूर्वक अपने नियंत्रण में लेने के लिए उपयुक्त समय और आश्चर्यचकित करने के तत्त्व महत्त्वपूर्ण थे।

उन्होंने कोणार्क प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में लिखा है, 'इस उद्देश्य के लिए इस बात पर जोर दिया गया था कि कारसेवा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तारीख से काफी पहले कार्रवाई की जाए, ताकि कार्रवाई के वक्त बड़ी संख्या में कारसेवक और भीड़ की मौजूदगी नहीं हो।' उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि योजना में प्रमुखता से यह भी कहा गया था कि केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कार्रवाई शुरू करने से पहले अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी होगा।

लेखक ने कहा कि लेकिन राव ने महसूस किया कि आकस्मिक योजना व्यावहारिक नहीं है और उन्होंने इसे खारिज कर दिया। गोडबोले ने कहा, 'संविधान में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों को लेकर राव का एक अलग नजरिया था और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा केंद्र, राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआइसी) और सुप्रीम कोर्ट से किए गए वादों पर भरोसे करने को वरीयता दी।' उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप कल्याण सिंह सरकार को स्थिति से निपटने की पूरी छूट मिल गई। इसमें आश्चर्य नहीं है कि इस स्थिति ने कारसेवकों को कानून अपने हाथों में लेने और मस्जिद को ढहाने की इजाजत दे दी। यह राज्य सरकार द्वारा संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहने का एक स्पष्ट मामला था। गोडबोले ने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ केंद्र सरकार ही अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं कर पाई, बल्कि संविधान के तहत अन्य संस्थाएं भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहीं।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने शासन की ऐसी संपूर्ण विफलता और संवैधानिक नीतिवचनों एवं मूल्यों का अनुपालन नहीं किए जाने की ऐसी कल्पना नहीं की होगी। स्पष्टतः भारत ने अपने संविधान का उपहास किया। सबसे बड़ा दोषी राज्य सरकार था, जो ढांचे की सुरक्षा के अपने वादों को पूरा करने में जान बूझ कर विफल रही। पूर्व गृह सचिव ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बी सत्य नारायण रेड्डी को भी राज्य में स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में नाकाम रहने और केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आखिरकार, न्यायपालिका भी विवादित भूमि के मालिकाना हक पर 1950 से लंबित वाद पर फैसला सुनाने में देरी के लिए जिम्मेदार था, जबकि संबद्ध पक्षों ने सुनवाई तेजी से पूरी करने के लिए बार-बार अनुरोध किया।

चुनाव खर्चों पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव में व्यय की सीमा पर निगरानी के लिए राजस्व सेवा के अधिकारी बी मुरली कुमार को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। रविवार को जारी बयान के अनुसार 1983 बैच के अधिकारी कुमार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श के आधार पर नियुक्त किया गया है। कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा पर निगरानी के अलावा निर्वाचन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्हें आयकर विभाग की जांच शाखा में काम करने का व्यापक अनुभव है। उन्हें चुनाव के दौरान मतदाताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए मोबाइल एप 'सी विजिल' और मतदाता हेल्पलाइन पर शिकायतों के निपटान की निगरानी की भी जिम्मेदारी दी गई है।

सेना के ऑपरेशन 'मां' से 50 कश्मीरी युवा अपने परिवार में लौटे

श्रीनगर, 3 नवंबर (भाषा)।

कश्मीर स्थित भारतीय सेना की 15वीं कोर द्वारा की गयी पहल 'ऑपरेशन मां' का असर दिखने लगा है। इस पहल के कारण इस साल पचास कश्मीरी युवक आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। पंद्रहवीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों के निर्देशन में शुरू किए गए इस अभियान में लापता युवकों को खोजने और उनके परिजन तक पहुंचाने के काम को अंजाम दिया गया। सेना की 15वीं कोर को चिनार कोर भी कहा जाता है। कोर ने घाटी और नियंत्रण रेखा पर आतंकवाद से लड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लेफिनेंट जनरल ढिल्लों ने कहा, 'पवित्र कुरान में मां का महत्व समझाते हुए कहा गया है कि पहले अच्छे काम करो, फिर अपनी मां की सेवा करो, फिर अपने पिता के पास जाओ। इसी से मुझे भटके हुए नौजवानों को उनके परिवार तक पहुंचाने में मदद मिली।' अभिभावकों की पहचान गुप्त रखते हुए उनके संदेश दिखाकर जनरल ढिल्लों ने उन्हें घाटी का मूल्यवान तोहफा कहा। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में सेना के मानवीय कार्यों के प्रति बहुत सम्मान है। जनरल ने बताया कि कुछ स्थानों पर मुठभेड़ ठीक बीच में रोक कर भी आतंकवादियों का समर्पण कराया गया है।

उन्होंने कहा, 'स्थानीय आतंकी के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में फंसने की सूचना मिलने पर हम उसकी मां का पता लगाते हैं और दोनों की बातचीत कराने का प्रबंध करते हैं। कुछ मुठभेड़ों का अंत मां बेटे के करिश्माई मिलन से हुआ है और इस प्रकार सेना के प्रयासों से हमने कश्मीरी युवाओं की जान बचाई है। हमें शव गिनने का शौक नहीं है बल्कि उन युवाओं की संख्या गिनना पसंद करते हैं जिन्हें हमने उनके परिजनों से मिलवाया है। मैं प्रसन्न हूं कि इस साल पचास युवा अपने परिवार में वापस आ चुके हैं।'

छठ के दौरान हुए दो हादसों में चार लोगों की मौत

पटना, 3 नवंबर (भाषा)।

बिहार में छठ पर्व के दौरान हुए दो हादसों में दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि समस्तीपुर जिले के बड़गांव में रविवार सुबह काली मंदिर की दीवार गिरने से छठ पूजा देख रहीं दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई तथा चार लोग घायल हुए हैं। हसनपुर के थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी ने बताया कि हादसा सुबह लगभग साढ़े छह बजे उस समय हुआ, जब श्रद्धालु सुबह का अर्घ्य देकर लौटने की तैयारी कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि हादसे के बाद अफरातफरी मच गई और बाद में मलबे से दो मृतकों सहित करीब छह महिलाओं को निकाला गया।गौरी ने बताया कि मृतकों की पहचान लल्ली देवी और बुची देवी के रूप में हुई है जिनकी उम्र क्रमशः 40 साल और 50 साल है। घायलों को हसनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। वहीं, औरंगाबाद के देव ब्लॉक स्थित सूर्यकुंड के पास शनिवार शाम को छठ पर्व के दौरान मची भगदौड़ की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई।

औरंगाबाद के जिलाधिकारी राहुल रंजन माहीवाल ने बताया कि मृतक बच्चों की पहचान पटना निवासी सात वर्षीय बेबी और भोजपुर निवासी चार वर्षीय प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नियमों के मुताबिक पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने स्वीकार किया कि स्थानीय प्रशासन की उम्मीदों से कहीं अधिक लोग देव स्थित सूर्य मंदिर छठ पूजा के लिए पहुंच गए जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। हादसे में चार वर्षीय बेटे को खो चुकी सोनी देवी ने बताया कि वह छठ पूजा करने देव आई थी और अर्घ्य देकर लौटते समय यह हादसा हुआ। इस बीच, रविवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया।

श्रीलंका की नौसेना ने 3000 से अधिक तमिल मछुआरों को खदेड़ा

रामेश्वरम (तमिलनाडु), 3 नवंबर (भाषा)।

कच्चातीवू द्वीप के पास रविवार को मछलियां पकड़ रहे तमिलनाडु के 3000 से अधिक मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने वहां से खदेड़ दिया। मछुआरा संघ के नेता ने यह जानकारी दी। नौसैनिकों ने (मछुआरों की) कई नौकाओं के जाल भी फाड़ डाले।

(तमिलनाडु) राज्य मछुआरा संघ के अध्यक्ष एन देवदास ने बताया कि रामेश्वरम के मछुआरे 500 से अधिक नौकाओं में सवार होकर समुद्र में गए थे तथा वे कच्चातीवू के छोटे द्वीप के समीप मछलियां पकड़ रहे थे, उसी बीच श्रीलंका के नौसैनिक आए और उन्होंने उनके जाल फाड़ डाले एवं उन्हें वहां से भगा दिया।

देवदास ने आरोप लगाया कि श्रीलंका के नौसैनिकों ने करीब 50 नौकाओं के मछली पकड़ने वाले जाल काट डाले एवं उपकरणों को नुकसान पहुंचाया।

हनुंग टॉयज के प्रवर्तक को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

कर्ज में डूबी हनुंग टॉयज के प्रवर्तक अशोक कुमार बंसल और उनकी पत्नी अंजू बंसल को दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने रविवार को हिरासत में ले लिया। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ओर से लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) अनुरोध जारी किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

हनुंग टॉयज एंड टेक्सटाइल लिमिटेड पर पीएनबी की अगुआई वाले कर्जदाताओं के समूह का 2,300 करोड़ रुपए बकाया है। अकेले पंजाब नेशनल बैंक ने 599 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। सूत्रों ने कहा कि बैंक ने 13 लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं। इनमें से एक एलओसी हनुंग टॉयज के प्रवर्तक के खिलाफ भी है। एलओसी पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने बंसल और उनकी पत्नी को उस समय हिरासत में लिया जब वे रविवार सुबह दुबई से आ रहे थे।

राहुल-सोनिया के 'पुत्र मोह' पर व्यंग्य वेब सीरीज

नई दिल्ली,3 नवंबर (भाषा)।

लंबे समय तक गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहे पंकज शंकर ने पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है और वे राहुल गांधी की कथित विफलताओं को रेखांकित करने के लिए एक वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं।

पूर्व पत्रकार पंकज शंकर का कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ वर्षों का जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि केवल प्रियंका गांधी वाड्रा ही कांग्रेस के भाग्य को बदल सकती हैं लेकिन सोनिया गांधी का पुत्र मोह कांग्रेस में उनकी बेटी के उन्नयन में बाधा बन रहा है। शंकर ने कहा, 'वेब सीरीज निर्माण करना कांग्रेस नेतृत्व को आईना दिखाने का मेरा एक प्रयास है, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि वास्तविकता उनकी समझ से बहुत दूर है।' शंकर ने हाल के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए मीडिया गतिविधियों के प्रबंधन का काम किया था और वह उनके कार्यक्रमों को लेकर एक वाट्सऐप ग्रुप भी चलाते हैं।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिह सुरजेवाला से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंकर ने न तो सोनिया गांधी और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए कभी काम किया है। सुरजेवाला ने कहा कि वे प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी नहीं जुड़े रहे हैं और वे उनके कार्यालय में भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'उन्होंने व्यक्तिगत क्षमता में कुछ कहा है। यह देखना होगा कि क्या उन्होंने यह सुर्खियों के लिए किया है, भाजपा सरकार के साथ मिलकर किया है या प्रचार के लिए किया है।'

> वेब सीरीज का निर्माण करने वाले पूर्व पत्रकार का दावा कि हाल के लोकसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए मीडिया प्रबंधन का काम किया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनके इस दावे से इनकार किया है।

शंकर ने कहा कि वे 2004 से 2019 तक कांग्रेस में राहुल गांधी के 15 वर्षों के दौरान की कमियों को उजागर करने के लिए 13 कड़ियों वाली एक वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। शंकर ने बताया कि सीरीज का निर्माण अगले पखवाड़े से शुरू होगा और यह तीन महीने में प्रीमियम वेब चैनलों पर प्रसारित होने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वेब सीरीज में पेशेवर कलाकार अभिनय करते नजर आएंगे। सीरीज को एक 'बायोपिक' में तब्दील किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में विस्तार नहीं बताया।

शंकर ने कहा, 'वेब सीरीज कांग्रेस से संबंधित सवाल करेगी। इसमें वे बातें और घटनाएं भी शामिल होंगी जिनसे उन लोगों की भूमिका सामने आएगी जिन्होंने पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाया है।' शंकर ने कहा कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए व्यंग्य और हास्य का सहारा लिया है।

उन्होंने कहा, 'अभी तक किसी ने भी गांधी परिवार को आईना नहीं दिखाया है।' शंकर ने कहा कि मजबूत विपक्ष समय की मांग है और केवल कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ खड़ी हो सकती है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि कांग्रेस में हर किसी का मानना है कि प्रियंका चीजों को बदल सकती हैं लेकिन उन्हें मुख्य भूमिका निभाने से रोका जा रहा है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन : L74899DL1960GOI003335
पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003,
दूरभाषः 011-24367314-18, 43591555 (EPABX), फैक्सः +91-11-24366995,
ई-मेलः co.sectt@nbccindia.com, वेबसाइटः www.nbccindia.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही** के एकल तथा समेकित, गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार के साथ-साथ अनुमोदन प्रदान करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019** को आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा, अंतरंग लोगों द्वारा व्यापार को विनियमित, निगरानी एवं सूचित करने के एनबीसीसी आचार संहिता के अनुसार उनके आश्रितों तथा नजदीकी संबंधी (यों) सहित सभी प्राधिकृत/संबंधित व्यक्तियों के लिए कंपनी के शेयरों में लेनदेन हेतु ट्रेडिंग विंडो दिनांक **1 अक्टूबर, 2019** से **16 नवम्बर, 2019** तक (दोनो दिनों को शामिल करके) बंद रहेगी।

नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों और एनबीसीसी की वेबसाइट **www.bseindia.com; www.nseindia.com;** और **www.nbccindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
रुचि गुप्ता, प्रबंधक – कंपनी सचिव, ए-21194

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 नवम्बर, 2019

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
विक्रय घोषणा
आर.सी. 220/2014
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम श्री बद्री कृष्णमूर्ति
ऋण तथा दिवालिया वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उदघोषणा

सीडी # 1. श्री बद्री कृष्ण मूर्ति, प्रोपराइटर, मैसर्स चाणक्य सर्विस स्टेशन, 28/5, समालखा (निकट कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन), नई दिल्ली-110037।
सीडी # 2. श्री एम.एस. कृष्णमूर्ति, सी-151, ट्रिनिटी टॉवर, डीएलएफ, फेज-V, गुरुग्राम, हरियाणा (एलआरएस के माध्यम से मृतक)। श्रीमती लक्ष्मी कृष्णमूर्ति (पत्नी सीडी # 2) सी-151, ट्रिनिटी टॉवर, डीएलएफ, फेज-V, गुरुग्राम, हरियाणा।
सीडी # 2. मे.ज. शंकर कृष्णमूर्ति (पुत्र सीडी # 2)
(अ) सी-151, ट्रिनिटी टॉवर, डीएलएफ, फेज-V, गुरुग्राम, हरियाणा
सीडी # 2. सुश्री लीला वेंकटरमन (पुत्री सीडी # 2)
(ब) 4445 वेस्टन लेन, एन प्लाईमाउथ, एमएन-55446, संयुक्त राज्य अमेरिका
सीडी # 2. श्री बद्री कृष्णमूर्ति (पुत्र सीडी # 2)
(स)बी-102, एम्बिएन्स लैगून, एनएच-8, गुरुग्राम, हरियाणा
सीडी # 2. श्री संजीव जैन
(द) सी-3/15, अशोक विहार, फेज-II, दिल्ली-110052
सीडी # 3. श्रीमती गीता बद्री, बी-102, एम्बिएन्स लैगून, एनएच-8, गुरुग्राम, हरियाणा
(द)सी-3/15, अशोक विहार, फेज-II, दिल्ली-110052
सीडी # 4. मैसर्स चाणक्या ऑटोमोबाइल्स इण्डिया प्रा.लि.
प्लॉट सं. 10, वजीरपुर, प्रेस एरिया, दिल्ली-110035.

1. जैसा कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा आहरित वसूली प्रमाणपत्र सं. 220/2014 दिनांक 27.06.2014 के अनुसार रु. 4,66,57,359/- (रुपये चार करोड़ छियासठ लाख सत्तावन हजार तीन सौ उनसठ मात्र) की राशि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली-II द्वारा ओ.ए.नं. 151/2012 में आहरित आईबिड वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार आपकी ओर बकाया हो गयी है। आवेदक रु. 1,50,000/- की वसूली तक 03.07.2012 तक 16.50% की साधारण दर से ब्याज सहित सीडी से संयुक्त तथा/अथवा एकमात्र रूप से रु. 4,66,57,359/- (रुपए चार करोड़ छियासठ लाख सत्तावन हजार तीन सौ उनसठ मात्र) की वसूली का हकदार है।
2. तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 12.12.2019 को 3.00 बजे अपराह्न से 04.00 बजे अपराह्न के बीच, यदि जरूरी हुआ तो 04.00 बजे अपराह्न के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाईट http://drtauctiontiger.net पर मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704-5, वाल स्ट्रीट-II, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 सम्पर्क नं. +91 079-40230816-820 स 079-402830831-833, ई-मेल : support@auctiontiger.com के माध्यम से होगी।
4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
6. ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
7. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
7.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी वह रु. 3,20,00,000/- (रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र) है और जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.) रु. 32,00,000/- (रुपये बत्तीस लाख मात्र) है।
7.3 जो इच्छुक बोलीदाता रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में 10.12.2019 के 4 बजे सायं तक पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, निवास के प्रमाण, तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी का प्रतिनिधित्व/अटार्नी सुनिश्चित करने वाले अन्य दस्तावेज के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 12.12.2019 को 03.00 बजे अपराह्न से 04.00 बजे अपराह्न के बीच आयोजित की जाएगी। व्यक्तिगत मामले में, उसकी ओर से या उसके प्रमुखों की ओर से संविदा की घोषणा भी जमा करनी होगी। बाद वाले मामले में संविदाकार को अपना प्राधिकार जमा करना होगा, चूक की स्थिति में उसकी संविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
7.4 बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
7.5 असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच अर्थात् बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
7.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद बैंक के अगले कार्यदिवस अर्थात 04.00 बजे अपराह्न तक भीतर रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II दिल्ली खाता आरसी नं. 220/2014 के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करके इस अधिकरण के पास जमा करना होगा।
7.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को वसूली अधिकारी-II, डीआरटी- II, दिल्ली के समक्ष वसूली अधिकारी-II, डीआरटी- II, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 220/2014 के पक्ष में देय डीडी पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।)
7.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं, तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
8. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है" तथा "जो है यही है" आधार पर की जा रही है।
9. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहाँ दिये गये विवरणों की सत्यता को प्रमाणित तथा पुष्ट करने का निर्देश दिया जाता है।
10. अधोहस्ताक्षरी को उसका कोई भी कारण बताए बिना यदि अस्वीकार्य होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	सम्पत्ति पर देय किसी अधिभारों का विवरण	सम्पत्ति पर किए गए दावे, यदि कोई हो, तथा उस प्रकृति एवं मूल्य का अन्य कोई ज्ञात विवरण
राजस्व सम्पदा ग्राम समालखा, उल्ला, महरौली, पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड, नई दिल्ली में स्थित खसरा नं. 2815 (4-0) तथा 2816(6-09) में आने वाला 1 बीघा 10 बिस्वा (10 बीघा 9 बिस्वा में से) माप के प्लॉट पर बंधक सम्पत्ति (भूमि ज्ञात नहीं एवं भवन)	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(अविनाश चन्द्रा) रिकवरी अधिकारी-II,
डीआरटी-II, दिल्ली
मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 05.10.2019 को दी गई।

CAREER POINT LIMITED
Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005
CIN: L72200RJ2000PLC016272, **Phone:** 0744-3040000, **Fax:** 0744-3040050
Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in

NOTICE

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12 November, 2019 to consider various items inter alia the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter ended September 30, 2019 and to consider declaration of 2nd Interim Dividend, if any. Pursuant to this, trading window is closed from October 1, 2019 to November 14, 2019 (both days inclusive).

The said intimation is also available on the Company's website at www.cpil.in and on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com.

For Career Point Limited
Tarun Kumar Jain
GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

Place : Kota (Rajasthan)
Date : 02 November, 2019

RattanIndia
रतनइंडिया पावर लिमिटेड
(CIN: L40102DL2007PLC169082)
पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037
फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777
वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: ir@rattanindia.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एत्द्द्वारा सूचित किया जाता है कि सितम्बर 30, 2019 को समाप्त हुई तिमाही और छमाही के लिए, **रतनइंडिया पावर लिमिटेड** (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019 को आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते **रतनइंडिया पावर लिमिटेड**
सही/-
ललित नारायण मठपती
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : नवम्बर 2, 2019

RattanIndia
रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(CIN: L40101DL2010PLC210263)
**पं

जनसत्ता

4 नवंबर, 2019

कानून की धज्जी

जब कानून के रखवाले ही कानून की फिक्र न करें, तो समाज में अराजकता को बल मिलता है। मगर हैरानी की बात है कि समाज में बड़े-बड़े अपराधों की गुत्थी सुलझाने और अपराध रोकने का दावा करने वाले खुद मामूली बातों को अपने अहं से जोड़ लेते हैं और फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली की तीसहजारी अदालत में पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक भिड़ंत इसका ताजा उदाहरण है। कार पार्किंग को लेकर दोनों पक्ष खूनी हिंसा पर उतारू हो गए। अदालत परिसर में जहां विचाराधीन कैदियों को लेकर गए पुलिस वाहन खड़े थे, वहीं एक वकील ने अपनी गाड़ी खड़ी करनी चाही। इस पर पुलिसकर्मी ने उसे रोका तो विवाद बढ़ गया और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस पर पुलिस उस वकील को थाने ले गई और वहां उसकी पिटाई कर दी। इससे नाराज वकीलों ने अदालत परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जम कर मारपीट हुई। वकीलों ने कई पुलिस वाहनों और अन्य गाड़ियों को आग लगा दी। इस घटना में पुलिसकर्मी और वकील पक्ष के कई लोग घायल हो गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष जांच टीम का गठन किया है।

यह पहली घटना नहीं है, जब किसी अदालत में वकीलों ने इस तरह एकजुट होकर हिंसक गतिविधि को अंजाम दिया। तीस साल पहले भी इसी अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं। तब पुलिस ने तीसहजारी परिसर की सभी अदालतों में ताले जड़ दिए थे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, पर इस घटना से पुलिस और वकील दोनों की कानून के प्रति जवाबदेही पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अदालत परिसर में ले जाए जाने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए प्रवेश की जगह तय होती है। वहीं उनके वाहन ठहराए जाते हैं। दिल्ली की अदालतों में अक्सर संगीन अपराधियों के मामलों की सुनवाई होती है, इसलिए कैदियों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। मगर हैरानी की बात है कि जिस वकील ने उस क्षेत्र में अपना वाहन खड़ा करने का प्रयास किया, उसने इस तकाजे को समझना जरूरी नहीं समझा। इसमें पुलिसकर्मियों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी ताकत के गुरूर में आने के बजाय नरमी से पेश आती और संबंधित प्राधिकार से अपनी शिकायत दर्ज कराती। मगर उसने वकील को थाने ले जाकर पिटाई कर दी।

दरअसल, ऐसी हिंसक घटनाएं अक्सर अपनी ताकत और हैसियत दिखाने की अविवेकपूर्ण जिद की वजह से हो जाती हैं। पुलिसकर्मियों को अक्सर देखा जाता है कि वे अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में विवेक का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसी तरह वकीलों को लगता है कि वे कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करते हुए अपने विरोध में खड़ी किसी भी अंगुली को मरोड़ सकते हैं। जबकि वकील का काम न्याय मांगने वालों की कानूनी मदद करना और न्यायाधीश के सामने उनके पक्ष में सही तथ्यों को पेश करना होता है। मगर इस घटना पर जैसा कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा भी कि वकील खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। ऐसी अप्रिय घटनाओं पर रोक के लिए जरूरी है कि अपने कानूनी अधिकारों के बल पर ताकतवर महसूस करने वाले पुलिसकर्मियों और वकीलों की जवाबदेही तय हो।

कुपोषण की मार

देश में अगर बच्चे कमजोर होने लगें, बीमार रहने लगें तो हमारी भावी पीढ़ी कैसी होगी, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वे की हाल में जो रिपोर्ट आई है, वह हमारी भावी पीढ़ी की खौफनाक तस्वीर पेश करती है। साल 2016 से 2018 के दौरान दस से उन्नीस साल के बीच के किशोर लड़के-लड़कियों पर कराए गए सर्वे में यह सामने आया है कि अस्सी फीसद किशोर आबादी में पोषक तत्वों की भारी कमी है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बीस साल के होने के पहले ही ये बच्चे किसी न किसी गंभीर रोग का शिकार बनते जा रहे हैं। यह समाज और खासकर सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है, पिछले सत्तर सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र खासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की घोर उपेक्षा की गई। सबसे हैरत भरी बात तो यह है कि आजादी के बाद देश में पहली बार इस तरह का कोई सर्वे हुआ जिसमें बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की हकीकत सामने आई है। अगर बच्चे पोषक तत्वों की कमी से जूझेंगे तो फिर इससे मानसिक विकास प्रभावित होगा।

कुपोषण का मुद्दा सरकारों के लिए प्राथमिकता और चिंता का विषय ही नहीं रहा। आज नतीजा सामने है कि हमारी भावी पीढ़ी अपने जीवन के गंभीर संकट से दो-चार हो रही है। भारत में दस से उन्नीस साल के बीच की किशोरवय आबादी पंद्रह करोड़ के करीब है, जिसमें साढ़े छह करोड़ लड़कियां और आठ करोड़ से ज्यादा लड़के हैं। सर्वे बताता है कि इसमें से आधे लड़के-लड़कियां या तो सामान्य कद से कम के यानी ठिगने हैं, या सामान्य से काफी कम या काफी ज्यादा वजन वाले हैं। सबसे चिंताजनक पहलू तो यह है कि अस्सी फीसद बच्चे आयरन, फोलेट, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। इसका मतलब साफ है कि जो बढ़ती उम्र में इन्हें जैसा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल रहा। इसके अलावा, शहरी इलाकों में जीवनशैली और खानपान जिस तेजी से बदला है, उससे भी कम उम्र के बच्चे और किशोर गंभीर समस्याओं में घिर गए हैं। आजकल के खानपान में जंक फूड और शीतलपेय जिस तरह से हावी हो गए हैं, उसका नतीजा यह हुआ है कि किशोरों में मधुमेह और दिल संबंधी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ा है। लेकिन ज्यादातर परिवारों में स्थिति यह है कि बच्चों की खानपान संबंधी आदतों पर ध्यान नहीं दिया जाता और वे पौष्टिक भोजन के बजाय हानिकारक खाद्य पदार्थों के सेवन के आदी होते जा रहे हैं।

भारत ने बच्चों को 2022 तक कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन राष्ट्रीय पोषण सर्वे की रिपोर्ट ने जो तस्वीर सामने रखी है, उसे देखते हुए यह लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं लगता। जिस देश में इस तरह का सर्वे ही पहली बार हुआ हो, जहां आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हालत में हों, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गरीबों से दूर हो, ग्रामीण इलाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक के मोहताज हों, वहां बच्चों को कैसे पोषक आहार पहुंचाया जाए, यह बड़ी चुनौती है।

कल्पमेधा

धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। किसी भी धर्म या व्यक्ति को राष्ट्र की अस्मिता से खेलने नहीं दिया जाना चाहिए।

– डा. एपीजे कलाम

बोरवेल में दबतीं मासूम चीखें

योगेश कुमार गोयल

सवाल यह भी है कि आखिर बार-बार होते ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इसी प्रकार खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तब मासूम जानें इनमें फंस कर दम तोड़ती रहेंगी। हर बार ऐसी हृदयविदारक घटनाओं से सबक सीखने की बातें दोहराई तो जाती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पता चलता है कि न तो आमजन ने और न ही प्रशासन ने इन घटनाओं से कोई सबक सीखा।

कुछ दिन पहले एक और बच्चा बोरवेल में गिर कर जिंदगी की जंग हार गया। पच्चीस अक्तूबर को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में सुजीत नामक दो वर्षीय बच्चा खेलते-खेलते छह सौ फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। बच्चे को बचाने के लिए लगभग तीन दिन तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की छह टीमों ने बचाव अभियान चलाया, चार रोबोटिक डिवाइसें भी इस्तेमाल की गईं, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रोबोटिक डिवाइस के इस्तेमाल का उद्देश्य यही था कि ये मशीनें नीचे जाकर बच्चे की कमर के आसपास रस्सी लपेट देतीं और फिर बच्चे को बाहर खींच लिया जाता। लेकिन पथरीला इलाका और खराब मौसम बचाव अभियान में सबसे बड़ी बाधा साबित हुआ। सत्ताईस अक्तूबर को बिहार के सीवान में भी राजू कुमार नामक एक किशोर डेढ़ फुट संकरे बोरवेल में गिर गया था। दरअसल, रामापाली गांव के पास रेलवे ने पटरी किनारे बिजली के खंभे लगाने के लिए गहरे गड्ढे की खुदाई कर उसे खुला छोड़ दिया था। घटना तब हुई, जब यह किशोर अपने साथियों के साथ रेलवे लाइन से होते हुए बाजार से लौट रहा था। हैरत की बात यह है कि इस घटना के दो घंटे बाद भी उसे बचाने के लिए रेलवे या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार स्थानीय लोगों ने ही उसे सकुशल बाहर निकाला।

आश्चर्य की बात यह है कि देशभर में बार-बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे हादसों से सबक कोई नहीं ले रहा। इसी साल छह जून को पंजाब के संगरूर जिले में भी दो वर्षीय मासूम डेढ़ सौ फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसे पांच दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भी बचाया नहीं जा सका था। इसलिए ऐसे में सेना और एनडीआरएफ की विफलताओं पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि अंतरिक्ष तक में अपनी धमक दिखाने में सफल भारत के पास चीन और कुछ अन्य देशों जैसी वह स्वचालित मशीनें या तकनीक क्यों नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल कर ऐसे मामलों में बच्चों को तत्काल बोरवेल से बाहर निकालने में कर सकें। सवाल यह भी है कि आखिर बार-बार होते ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इसी प्रकार खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तब मासूम जानें इनमें फंस कर दम तोड़ती रहेंगी। हर बार ऐसी हृदयविदारक घटनाओं से सबक सीखने की बातें दोहराई तो जाती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पता चलता है कि न तो आमजन ने और न ही प्रशासन ने इन घटनाओं से कोई सबक सीखा।

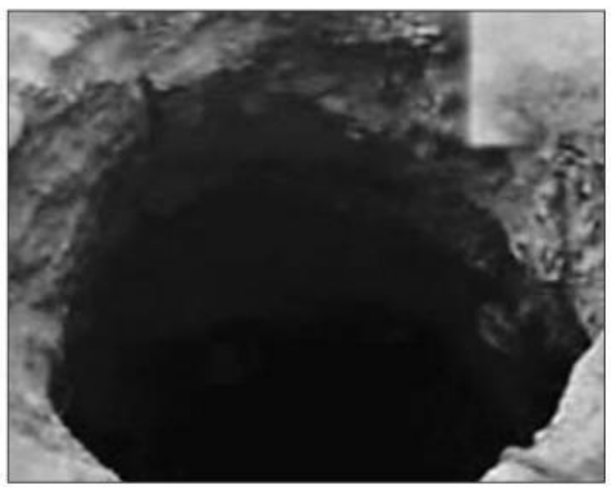

प्रायः देखा जाता रहा है कि बहुत-सी जगहों पर किसानों द्वारा खराब ट्यूबवेल उखाड़ कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित तो कर दिया जाता है, लेकिन ट्यूबवेल उखाड़ने के बाद भी बोरवेल को कंक्रीट से भर कर समतल करने के बजाय किसी बोरी या कट्टे से ढक कर खुला छोड़ दिया जाता है और यही बोरवेल बार-बार ऐसे हादसों का कारण बनते रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन द्वारा बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चला कर सख्ती की बातें दोहराई जाती हैं, लेकिन बार-बार सामने आते ऐसे हादसे यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सख्ती की ये सब बातें कोई घटना सामने आने पर उपजा लोगों का आक्रोश शांत होने तक ही बरकरार रहती हैं। ऐसे हादसों के लिए बोरवेल खुला छोड़ने वाले खेत मालिक के साथ-साथ ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन भी बराबर के दोषी होते हैं। कुछ महीने पहले मध्यप्रदेश के देवास जिले के एक गांव में एक व्यक्ति को अपने खेत में सूखा बोरवेल खुला छोड़ देने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। दरअसल, खेत में फसल काटते समय महिला श्रमिकों में से एक का चार वर्षीय बेटा इस बोरवेल में गिर गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद छत्तीस घंटे बाद निकाला जा सका था। इस घटना के बाद उस गांव के तहसीलदार ने खेत मालिक के खिलाफ धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज करा कर उसे गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि लोग बोरवेल करा कर उन्हें इस प्रकार खुला छोड़ देते हैं, जिससे उनमें बच्चों के गिरने की घटनाएं हो जाती हैं। समाज में बढ़ रही लापरवाही के ऐसे मामलों में सजा देने से ही लोगों को सबक मिल सकेगा। अगर मध्यप्रदेश में जिला अदालत के इसी फैसले की तरह ऐसे सभी मामलों में त्वरित न्याय प्रक्रिया के जरिये दोषियों को कड़ी सजा मिले, तभी लोग खुले बोरवेल बंद करने को लेकर सक्रिय होंगे।

देश में पहली बार हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के हल्दाहेड़ी गांव में 21 जुलाई 2006 को पांच साल एक बच्चे- प्रिंस के पचास फीट गहरे बोरवेल में गिरने के बाद जो बचाव अभियान चला था उसे लगातार टीवी चैनलों पर दिखाया गया और पहली बार दुनिया का ध्यान ऐसे हादसों की ओर गया था। उससे पहले ऐसे हादसे होते तो रहे होंगे, लेकिन सुनाई नहीं पड़े थे। यह विडंबना ही है कि देश में हर साल औसतन पचास बच्चे खुले पड़े ऐसे गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं और जिंदगी की अंतिम सांसें लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे ऐसे हादसों में होने वाली मौतों की संख्या का सही-सही पता चल सके।

बोरवेल में बच्चों के गिरने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ऐसे हादसों पर संज्ञान लिया था और दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। इसके बाद 2013 में सर्वोच्च अदालत ने बोरवेल से जुड़े कई दिशा-निर्देशों में सुधार करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके अनुसार गांवों में बोरवेल की खुदाई सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में करानी अनिवार्य है, जबकि शहरों में यह कार्य भूजल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इंजीनियर की देखरेख में होना जरूरी है। इसके अलावा बोरवेल खोदने वाली एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बोरवेल खुदवाने के कम से कम पंद्रह दिन पहले जिलाधिकारी, भूजल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है। बोरवेल की खुदाई से पहले खुदाई वाली जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाना और उसके खतरे के बारे में लोगों को सचेत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसी जगह को कंटीले तारों से घेरने और उसके आसपास कंक्रीट की दीवार खड़ी करने के अलावा गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढकना अनिवार्य है। लेकिन सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए गड्ढे खोदना और खुदाई के बाद उन्हें खुला छोड़ देने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है।

अदालती दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी है, किंतु बार-बार सामने आ रहे ऐसे हादसों के बावजूद एकाध मामले के अलावा ऐसा कोई मामला याद नहीं आता, जब किसी को ऐसी लापरवाहियों के लिए कठोर दंड मिला हो, जो दूसरों के लिए सबक बन सके। कहीं बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढों या सूख चुके कुओं को बोरी, पॉलीथीन या लकड़ी के फट्टों से ढांक दिया जाता है, तो कहीं इन्हें पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाता है। न केवल सरकार, बल्कि समाज को भी ऐसी लापरवाहियों को लेकर चेतना होगा ताकि भविष्य में फिर ऐसे ददर्नाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

कला का दायरा

सन्नी कुमार

दुनिया मेरे आगे

प्रौद्योगिकी विकास के कुछ नुकसान तो हैं ही, पर साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इसने कला की अभिव्यक्ति को नए आयाम प्रदान किए हैं। खासतौर पर अगर हम थियेटर में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के बरक्स विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर रिलीज होने वाली 'वेब सिरीज' की बात करें तो अंतर साफ दिखता है। भारतीय सिनेमा के दौर में वेब सिरीज एक बिल्कुल नए तरह का चलन है। इसमें क्षमता है कि यह फिल्मी दुनिया को बुनियादी रूप से बदल दे। बुनियादी इस रूप में कि अब कला के दृश्य अभिव्यक्ति के रूप में फिल्म का एक 'विकल्प' तैयार हो गया जो विशाल पूंजी और मुंबइया नेटवर्क के कॉकटेल से निर्मित बासी संसार के विरुद्ध एक 'ताजी' दुनिया रच सकता है। ताजगी का यह मसला विशुद्ध कलात्मकता से राजनीतिक सरोकार और सामाजिक पक्षधरता तक विस्तारित हो सकता है। यह भी संभव है कि वेब सिरीज भी फिल्मी दुनिया की 'बुराइयों' से ग्रस्त हो जाए और दोनों के बीच बस प्रौद्योगिकी का अंतर रह जाए। इसका मूल्यांकन तो भविष्य ही करेगा, लेकिन हम वेब सिरीज के रूप में एक नई सिनेमाई प्रवृत्ति के कुछ पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, खासतौर पर इसके विषय-वस्तु और इसको सेंसर किए जाने के दायरे में लाने के संबंध में।

वेब सिरीज के विषय-वस्तु पर किसी भी चर्चा के पहले हमें इसकी एक खास प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए कि सार्वजनिक होने के बावजूद यह निजी रूप में हम तक पहुंचता है। यानी थियेटर में फिल्म प्रदर्शन के दौरान एक ही समय सैकड़ों लोग साथ-साथ फिल्म देखते हैं। इसके विपरीत वेब सिरीज एक बार में एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाता है। सिनेमाघर के 'सार्वजनिक दायरे' के विपरीत वेब सिरीज को हम आप अपने 'निजी स्पेस' में लैपटॉप या मोबाइल जैसे निजी उपकरणों के माध्यम से देखते हैं। जाहिर है, इस प्रकार यह सार्वजनिक प्रदर्शन के मूल्यों से उस प्रकार बंधा नहीं होता, जैसा कि फिल्मों के मामले में होता है। इसलिए ऐसे में इसे थोड़ी अतिरिक्त कलात्मक छूट मिल जाती है। इसलिए जब वेब सिरीज के विषय-वस्तु में यौनिकता और हिंसा की बहुतायत को आधार बना कर इस पर सेंसर आरोपित करने की बात की जाती है तो हमें उपर्युक्त पहलू का ध्यान रखना चाहिए। आखिर हमारे देश में अश्लील फिल्मों को भी निजी दायरे में प्रदर्शित होने की अनुमति है ही।

वेब सिरीज के विरुद्ध सेंसरशिप के पीछे जो तर्क प्रमुखता से दिया जा रहा है, उसके मुताबिक इसमें एक खास राजनीतिक विचारधारा का पक्षपोषण किया जा रहा है और धार्मिक आस्था को जानबूझ कर चोट पहुंचाई जा रही है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि वेब सिरीज के माध्यम से एक खास की राजनीतिक प्रवृत्ति के प्रति सहमति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तब भी इस तर्क से सेंसरशिप लागू करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। कला को इतनी वैचारिक आजादी तो होनी चाहिए कि वह फिल्मकार अपने दृष्टिकोण को खुल कर प्रस्तुत कर सके। इसका जबाव दूसरी वैचारिकी पर आधारित सिरीज से दिया जा सकता है। इस प्रकार एक स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहेगी। इसके विपरीत, अगर राज्य को सेंसरशिप का अधिकार दे दिया जाए तो फिर उससे विरोध रखने वाली वैचारिकी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यह कला के दायरे को सीमित करेगा। फिर जहां तक धार्मिक भावनाओं के आहत होने का सवाल है तो हमें धार्मिक आस्था और धार्मिक कट्टरता के बीच के अंतर को समझना होगा। अगर कोई वेब सिरीज धार्मिक कट्टरता का विरोध करता है तो उसे ऐसा करने की कलात्मक आजादी होनी चाहिए। हां, अगर कोई फिल्मकार यदि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा हो तो उसके विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके अलावा, एक सवाल स्वयं-सेंसरशिप की प्रक्रिया के संबंध में ही है। हालांकि वेब सिरीज निमार्ताओं को भी कलात्मक स्वतंत्रता के महत्त्व को समझना होगा और नैतिक मूल्यों पर आधारित स्व-नियमन को मानना होगा, अन्यथा राज्य के हस्तक्षेप को लंबे समय तक रोक पाना असंभव होगा। इसके अलावा, वेब सिरीज के निमार्ताओं को यह भी सोचना होगा कि क्या सिर्फ उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए यौनिकता का अश्लील प्रदर्शन कलात्मक आजादी के दुरुपयोग का मामला नहीं है? उन्हें इस पर विचार करना होगा कि जो वेब सिरीज सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर 'अनछुए किंतु जरूरी' विषयों को नया आयाम दे सकती है, वह पश्चिमी वेब सिरीज की भौंडी नकल तक ही सीमित क्यों होना चाहते हैं? बेशक यह निजी रूप में हम तक पहुंचता है, लेकिन इसका प्रचार-प्रसार सार्वजनिक ही होता है। इसलिए इसका सामाजिक मूल्यों से सुसंगत होना जरूरी है। हर आजादी को गुंजाइश भर ही खींचा जा सकता है, यह बात कलात्मक आजादी का उपयोग करने वालों को भी समझनी होगी।

मुफ्त का सफर

दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त कर दी है। आधी आबादी का वह भाग जिसे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रोजाना आने-जाने में खर्च करना पड़ता था, वह इस फैसले का समर्थन कर रहा है। जबकि कुछ लोग इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जिसके मद्देनजर ये फैसला निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हकीकत ये है कि आज भी महिलाएं समाज मे पुरुषों के मुकाबले कमजोर स्थिति में हैं। दिल्ली की महिलाओं का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे विभिन्न कारणों के चलते दसवीं कक्षा से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है और बेहद कम मेहनताने में काम करने को मजबूर होना पड़ा है। इन महिलाओं को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा आवाजाही के साधनों पर खर्च करना पड़ता है। इसका सीधा असर आमद पर पड़ता है। दिल्ली में महज ग्यारह फीसद महिलाएं ही कार्यक्षेत्र में हैं। सरकारके इस फैसले से जहां एक ओर महिलाएं रोजगार की ओर अधिक उन्मुख होंगी, वहीं बचत के पैसे से अपने परिवार को और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगी। ऐसा नही है कि इस फैसले से केवल महिलाओं को ही लाभ होने वाला है, बल्कि ये बचत अपरोक्ष रूप से एक पूरे परिवार को फायदा देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन देशों में गरीबी अधिक है और गरीबी-अमीरी के बीच की खाई बहुत चौड़ी है, वहां मुफ्त सार्वजनिक परिवहन इस अंतर को कम करने का एक कारगार माध्यम बन सकता है, लेकिन तभी, जब सरकारें कर-राजस्व से उसका वित्तपोषण करें और इसे सामाजिक न्याय के प्रति अपना एक नैतिक दायित्व मानें।

● *अश्वनी राघव 'रामेंदु', नई दिल्ली*

जासूसी और सवाल

दुनिया की हर सरकारों का अपना खुफिया विभाग होता है। जासूसी करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वाट्सऐप से दुनिया भर के करीब डेढ़ हजार लोगों की जासूसी हुई है, जिनमें भारत के बहुत सारे लोग हैं। जितने भी भारतीयों पर इजराइल के सॉफ्टवेयर के जरिये नजर रखी गई, वे सब मौजूदा सरकार के निशाने पर रहे हैं। सरकार पर शक इसलिए भी होता है क्योंकि वाट्सऐप ने मई में ही इसकी जानकारी सरकार को दे दी थी। सरकार भी मान रही है, बस बहाना ये बनाया जा रहा है कि उस सूचना की भाषा को नहीं समझा गया था। इजराइली कंपनी ने माना भी है कि उसने मित्र राष्ट्रों को ये तकनीक बेची है। पर सवाल तो ये उठता है कि भारतीयों की जासूसी वाट्सऐप क्यों करेगा? इजराइल को भी इससे कोई फायदा नहीं है। फिर कौन करेगा? जिस तरह, एक चोर ही भीड़ में घुस कर 'चोर-चोर' चिल्लाने लगता है, ठीक वैसे ही शोर इस समय सत्ता के गलियारे से सुनाई पड़ रहा है।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

झूठे वादे

मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के वक्त किसानों का कर्जा माफ, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, सस्ती बिजली जैसे अनेक लोकलुभावन वादे कर सरकार तो बना ली, लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश सरकार अब किसानों की बदहाली और बेरोजगारों को रोजगार न दे पाने के लिए दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रही है। आज किसान बेमौसम बारिश से जूझ रहा है। उसे फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अगर अपने दम पर वादे पूरे नहीं कर सकते तो वादे किए क्यों? ये रवैया ठीक नहीं। जनता परेशान हो रही है।

● *पूनमचंद सिरवी, कुक्षी*

गांवों की भी हवा खराब

एक जमाना था जब शहर के लोग हवा-पानी बदलने के लिए गांव का रुख करते थे। तब शहर के दमघोंटू वातावरण के मुकाबले गांवों का पर्यावरण स्वच्छ और ताजगी भरा था, लेकिन अब ऐसे गांव सिर्फ कल्पनाओं में ही रह गए हैं। अब ऐसे गांव बचे ही नहीं हैं जहां शहर के बीमार पर्यावरण से कोई जाए और स्वस्थ होकर लौटे। शहरों की तरह गांवों का पर्यावरण भी बहुत बिगड़ा है। सिर्फ पानी और हवा ही नहीं, मिट्टी और फसलें भी तेजी से प्रदूषण का शिकार होती जा रही हैं। कई राज्यों में तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे तालाब थे, जहां का पानी लोग पीने में इस्तेमाल करते थे। लेकिन विकास और आधुनिकता के नाम पर गांवों में जब से पानी की टंकियां बना दी गई हैं, तब से तालाब और पोखर कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं। यही वजह है कि अब गांवों में बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

● *सुशील वर्मा, गोरखपुर*

लाचार सरकार

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका बिजली का बिल अगर दस हजार से ज्यादा बकाया है तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन ये नियम सिर्फ आम जनता पर ही लागू है, सरकार पर नहीं। एक बार फिर 'उत्तम' प्रदेश एक सूची में टॉप पर है और ये सूची है बिल के बकाएदारों की। प्रदेश के सरकारी विभागों पर कुल 13361 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, पर विभाग की क्या मजाल जो सरकारी विभागों का कनेक्शन काट सके। सूबे के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी गंभीरता आम उपभोक्तओं की समस्या पर क्यों नहीं दिखाई जाती? प्रदेश की जनता नए मीटर लगने के बाद लगातार ज्यादा बिल आने की समस्या से परेशान है। बिजली केंद्रों पर सुनवाई नहीं हो रही। क्या मंत्रालय की गंभीरता सरकार की निजी समस्याओं को सुलटाने तक है? ऐसे में सरकारी विभागों की लापरवाही आम जनता को भुगतनी पड़ रही है।

● *प्रतीक बाजपेयी, लखनऊ*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

epaper.jansatta.com

आस्था

जबलपुर में रविवार की सुबह छठ पूजा के दौरान नर्मदा नदी में उगते सूरज को अर्घ्य देतीं महिला श्रद्धालु।

जानकारी

महात्मा गांधी ने गोरक्षा को हिंदू धर्म के संरक्षण के साथ जोड़ा है। उनके शब्दों में – गोरक्षा विश्व को हिंदू धर्म की देन है। हिंदू धर्म तब तक जीवित रहेगा जब तक गोरक्षक हिंदू मौजूद है।

– (यंग इंडिया, 6.10.1921)

कैलेंडर

तीज त्योहार

नवंबर माह (4 से 17)

4 नवंबर, सोमवार– गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी

5 नवंबर, मंगलवार– अक्षय नवमी, जगद्धात्री पूजा

7 नवंबर, गुरुवार – कंस वध (श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया था।

8 नवंबर, शुक्रवार– देव उठनी ग्यारस (एकादशी) पर्व, भीष्म पंचक का प्रारंभ, योगेश्वर लादशी तिथि, नामदेव जयंती

9 नवंबर, शनिवार– तुलसी विवाह, प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, कालिदास जयंती

10 नवंबर, रविवार– बैकुंठ चतुर्दशी, विश्वेश्वर व्रत, मीलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद

11 नवंबर, सोमवार– मणिकर्णिका स्नान, कार्तिक चौमासी चौदस

12 नवंबर, मंगलवार– देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, भीष्म पचंक समाप्त, कार्तिक रथ यात्रा, पुष्कर स्नान, अन्वाधान, कार्तिक अष्टाहिन्का विधान पूर्ण

13 नवंबर, बुधवार– मागशीर्ष मास प्रारंभ (उत्तर), मासिक कार्तिगाई, इष्टि

14 नवंबर, गुरुवार– जवाहरलाल नेहरू जयंती, बाल दिवस, रोहिणी व्रत

15 नवंबर– मासिक संकष्टी चतुर्थी

17 नवंबर, रविवार– वृश्चिक संक्रांति, मंडला पूजा प्रारंभ

गुरु नानक

दिव्य प्रेरणा के अनुपम साधक

नानक ने अपने दर्शन को तीन सूत्रों में कहा – किरत करो, जप करो, वंड छको यानी काम, पूजा और दान करो। उनके यहां न 'नमस्ते' है और न ही 'सलाम वालेकुम'। वहां सिर्फ 'सत-करतार' है, जिसका संबंध सत्य कर्ता से है।

शास्त्री कोसलेंद्रदास

साधना और अध्यात्म की दिव्य प्रेरणा के अप्रतिम भाव में घुले-मिले नानक लोकोत्तर व्यक्तित्व के अनुपम प्रतिनिधि हैं। नानक की पढ़ाई बाहरी नहीं, भीतरी थी। परमात्मा की भक्ति में ओतप्रोत उनके 976 दोहे और भजन, जो संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी में गुंथे हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई के सर्वोच्च शिखर हैं। यही कारण है कि उनके लिखे शब्द देश और काल की सीमा पार कर समूचे संसार को प्रभावित करने में सफल हुए हैं।

दो परंपरा, एक धारा

भारतीय शास्त्र परंपरा और ईरानी तसव्वुफ के मिलन से एक जागृति फैली। इस चेतना का सात शताब्दियों का लंबा इतिहास है। स्वामी रामानंद इस भक्ति इतिहास के प्रारंभ बिंदु हैं। भक्ति की इस भावभूमि पर जो पुष्प खिले, उनमें कबीर, रैदास और नानक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने गुरु नानक पर किए लंबे अध्ययन में बगदाद के एक अरबी पत्र ह्यदारुस्सलामह्न का जिक्र किया है। यह 9 अप्रैल, 1919 में छपा। इसमें लिखा है, नानक ने देश-विदेश में घूमकर बड़े योगियों और साधकों की संगत की। बगदाद में उनकी याद में एक मंदिर है, जिस पर तुर्की भाषा में शिलालेख मौजूद है। गुरु नानक के सैयद-वंशी चेलों के उत्तराधिकारी अभी तक इस मंदिर की रक्षा करते हैं।

साझा संस्कृति के संप्रदाय

नानक के पिता मेहता कालू पेशे से मुनीम थे और वे अपने बच्चे को भी मुनीम बनाना चाहते थे। पर वह बालक दुनिया का महान धर्म प्रवर्तक बना। लाहौर से 40 मील दूर दक्षिण-पश्चिम के एक गांव तलवंडी में नानक का जन्म खत्री परिवार में हुआ।

13 की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी, जिसे उन्होंने 'पट्टीलिखी' नाम दिया और खुद को 'शायर' कहकर संबोधित किया। नानक की शादी हुई और दो बच्चे हुए। कुछ समय सुल्तानपुर में नवाब दौलत खान के यहां चाकरी की फिर निकल पड़े ईश्वर को तलाशने। इनके साथ कुछ लोग भी थे, जिनमें 'मर्दाना' नाम का एक मुसलमान भी था। नानक ने जो बात कही, उसे सुनकर समाज में नई हलचल पैदा हुई– दुई जगदीश कहां ते आअ कह कोने भरमाया/अल्लीह, राम, रहीम, केशव, हरी, हजरत नाम धराया।

औरतों की हालत बदतर थी। ऐसे में नानक ने कुरीतियों पर प्रहार और उन्हें खत्म करने की कोशिश में 'सिख' धर्म की स्थापना की। सिख शब्द का मूल संस्कृत भाषा का 'शिष्य' शब्द है। शिष्य का अर्थ शांत, विनीत, शुद्धात्मा, श्रद्धावान और चरित्रवान होने से है। नानक ने अपने शिष्यों को एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। ईश्वर के निर्गुण-निरंकार रूप को माना। इस नाते यह कहा जाता है कि सिख पंथ सनातन धर्म की ही अरबी टीका है। साझा संस्कृति की विरासत थामे सिख धर्म को सनातन परंपरा की ही एक बांह कहा जा सकता है।

प्रकाश पर्व

सत्य से संबंध

नानक ने पांच बड़ी यात्राओं में देश और दुनिया के बड़े भूखंड को नापा। इस दौरान उन्होंने लोगों की धारणाओं और अंध-मान्यताओं को झकझोरा। उनका बनारस का एक वृत्तांत प्रसिद्ध है, जिसमें वे काशी के पंडितों को गंगा में पूर्व दिशा की ओर जल अर्पित करते देखकर पूछते हैं कि वे किसे जल चढ़ा रहे हैं? मालूम हुआ कि वे लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर रहे हैं। नानक पश्चिम की तरफ जल अर्पित करने लगे तो पंडितों ने उन्हें टोका। नानक बोले, 'खेत पश्चिम दिशा की तरफ हैं, मैं उन्हें पानी दे रहा हूं।' कुछ इसी तरह उन्होंने मक्का की तरफ पैर रखकर सोते हुए टोके जाने पर कहा – मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां मक्का न हो।

नानक ने पांच बड़ी यात्राओं में देश और दुनिया के बड़े भूखंड को नापा। इस दौरान उन्होंने लोगों की धारणाओं और अंध-मान्यताओं को झकझोरा।

महिलाओं की बदहाली पर लिखा

महिलाओं की बदहाली पर उन्होंने बहुत लिखा। मासिक धर्म में औरतों को अपवित्र मानने की परंपरा उन्हें भारी नागवार गुज़री। नानक जहां भी गए, उन्होंने हिंदू और मुसलमान, दोनों की अंधी-मान्यताओं पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने लिखा, उसे मंदिर-मस्जिद में नहीं, भीतर खोजो – जो ब्रमांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे।

ग्रंथ साहिब का दार्शनिक संदेश

गुरु नानकदेव के अमर वचनों को पहले-पहल गुरु अंगद ने गुरुमुखी में लिखा। 'ग्रंथ साहिब' का संकलन और संपादन 1604 ईस्वी में पांचवे गुरु अर्जुनदेव ने किया। गुरुग्रंथ साहिब में मात्र सिख गुरुओं के ही उपदेश ही नहीं है, बल्कि इसमें 30 हिंदू संतों और मुस्लिम भक्तों की वाणी भी सम्मिलित है। इसमें जहां रामानंद, जयदेव और परमानंद जैसे ब्राह्मण भक्तों की वाणी है, वहीं मानव समाज के मुखर प्रतिनिधि कबीर, रविदास, नामदेव, सैन, धन्ना जाट की वाणी भी सम्मिलित है। भाषाई अभिव्यक्ति और दार्शनिक संदेश की दृष्टि से गुरुग्रंथ साहिब अद्वितीय है।

गुरु नानक खुद को न हिंदू मानते हैं और न मुस्लिम। जिसे वे सिख कहते हैं, वह उनकी दृष्टि में सुधरा हुआ हिंदू और सुधरा हुआ मुसलमान, दोनों हैं। आरंभ में उनके पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए, जिनकी संख्या बाद में न के बराबर हो गई। नानक राम की खोज में थे, वे कहते और समझाते हैं– राम सुमिर राम सुमिर, यही तेरो काज है!

प्राचीन सिद्धपीठ

पवन गौतम

कृष्ण की नगरी मथुरा के निकट वृंदावन में राधा बाग में लुप्त हो चुकी कात्यायनी पीठ का पुनरुद्धार कर इसे अब एक बेहद सुरम्य स्थान में परिवर्तित कर दिया गया है। यहां के कर्ता-धर्ता योगी स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज की इस पुनर्निर्माण में अहम भूमिका रही है। आज सालभर लाखों श्रद्धालु पूरे भारत वर्ष से यहां आते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित राधाबाग में एक प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में मां कात्यायनी देवी विराजमान हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन में भगवती देवी के केश गिरे थे। इसका प्रमाण प्रायः सभी शास्त्रों में भी मिलता है। आर्यशास्त्र, ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं आद्या स्तोत्र आदि में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। यह पीठ भारतवर्ष के प्राचीनतम अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। देवर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 22वें अध्याय में इसका उल्लेख किया कुछ इस तरह किया है–

'कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि।
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः॥'

अर्थात... हे कात्यायनि! हे महामाये! हे महायोगिनि! हे अधीश्वरि! हे देवि! नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ। हम आपका अर्चन एवं वंदन करते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी के अवतरित होने का उल्लेख कुछ इस प्रकार मिलता है –'मां भगवती के रूप में, मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी।' श्रीमद् भावगत में भगवती कात्यायनी के पूजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के साधन का सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष के मास में होता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने की लालसा में ब्रजांगनाओं ने अपने हृदय की लालसा पूर्ण करने के लिए यमुना नदी के किनारे से घिरे हुए राधाबाग नामक स्थान पर श्री कात्यायनी देवी का पूजन किया था। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, कामरूप मठ के स्वामी रामानन्द तीर्थ जी महाराज से दीक्षित होकर कठोर साधना के लिए हिमालय की कंदराओं में निरन्तर साधनारत रहे। स्वामी केशवानन्द जी महाराज ने सर्वशक्तिशाली मां के आदेशानुसार वृन्दावन स्थित अज्ञात सिद्धपीठ का पुनरुद्धार कराया था।

मां कात्यायनी पीठ परिसर

स्वामी केशवानन्द जी महाराज द्वारा 1 फरवरी, 1923 को माघी पूर्णिमा के दिन बनारस, बंगाल तथा भारत के विभिन्न सुविख्यात प्रतिष्ठित वैदिक याज्ञिक ब्राह्मणों द्वारा वैष्णवीय परंपरा से मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण कराया गया। मां कात्यायनी के साथ-साथ पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य तथा सिद्धिदाता श्री गणेश की मूतियों की भी इस मंदिर में प्रतिष्ठा की गई।

तीर्थस्थल

राधाबाग मंदिर के अंतर्गत गुरु मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, शिव मंदिर तथा सरस्वती मंदिर भी दर्शनीय हैं। यहां की अलौकिकता का मुख्य कारण जहां साक्षात मां कात्यायनी सर्वशक्तिस्वरूपणि, दुःखकष्टहारिणी, आल्हादमयी, करुणामयी अपनी अलौकिकता को लिए विराजमान है वहीं पर सिद्धिदाता श्री गणेश एवं बगीचा में अर्द्धनारीश्वर एक प्राण दो देह को धारण किए हुए विराजमान हैं। लोग उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

एक किंवदंती के अनुसार स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज के परम भक्त विशम्भर दयाल और उनकी पत्नी रामप्यारी देवी जो प्रतिदिन महाराज जी के दर्शन करने आते थे, मां की भक्ति के साथ-साथ गुरु महाराज स्वामी श्री केशवानंद जी के भी कृपा पात्र हो गए। विशम्भर दयाल जी के छह पुत्र थे। इन पुत्रों पर महाराज का आशीर्वाद सदा विद्यमान रहा। परंतु, चतुर्थ पुत्र पर उनकी कृपा दृष्टि अत्यधिक रही और विधुभूषण नाम का यह बालक आज स्वामी विद्यानंद जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं।

नाथद्वारा में स्थापना

राज सिंह

नौ अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया। तब वृंदावन में गोवर्धन के पास श्रीनाथजी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। इससे पहले कि श्रीनाथजी की मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी ने मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लिया। दामोदर दास बैरागी वल्लभा संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथजी की मूर्ति को स्थापित किया और उसके बाद वे बूंदी, कोटा ,किशनगढ़ और जोधपुर तक के राजाओं के पास आग्रह लेकर गए कि श्रीनाथजी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित की जाए। लेकिन औरंगजेब के डर से कोई भी राजा दामोदर दास बैरागी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा था। कोटा से 10 किमी दूर श्रीनाथजी की चरण पादुकाएं आज भी रखी हुई हैं, उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जानते हैं। तब दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया। जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा तो चारुमती ने इससे साफ इनकार कर दिया और रातों-रात राणा राजसिंह को संदेश भिजवाया कि चारुमती उनसे शादी करना चाहती है। राणा राजसिंह ने बिना कोई देरी के किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह कर लिया। इससे औरंगजेब का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह राणा राजसिंह को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा। यह बात 1660 की है।

श्रीनाथजी मंदिर

राणा राज सिंह ने कहा कि मेरे रहते हुए श्रीनाथजी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। उस समय श्रीनाथजी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में ही श्रीनाथजी की मूर्ति की उपासना होती रही। यह चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जहां पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी वहां पर आज श्रीनाथजी का एक मंदिर बनाया गया है। 5 दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथजी की मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राजसिंह स्वयं पहुंचे।

यह सिहाड़ गांव उदयपुर से 30 मील एवं जोधपुर से लगभग 140 मील पर स्थित है। जिसे आज नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। 20 फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथजी की मूर्ति सिहाड़ गांव के मंदिर में स्थापित कर दी गई। यही सिहाड़ गांव अब नाथद्वारा बन गया ।

(भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी)

गोपाष्टमी

गाय को माता क्यों मानते हैं

ज्योतिर्मय

गाय को मां की तरह पूजा जाता है। इसके कई कारण हैं। जैसे यही कि इतिहास मे मनुष्य का भोजन कभी इतना व्यवस्थित नहीं रहा, जितना आज है। आज हालत है कि अगर पास पैसा है तो साल भर के लिए खाने की सामग्री खरीद सकते हैं। फिर साल भर तक कोई खाद्य सामग्री देने के लिए घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं।25-50 साल पहले तक ऐसा संभव नहीं था। इतिहास में भोजन हमेशा से एक महत्त्वपूर्ण मसला रहा है।

हर संस्कृति में और हर समाज में अकाल सामान्य सी बात थी। लेकिन गांवों में ऐसी स्थिति थी कि अगर घर में गाय है तो अकाल की स्थिति में भी कोई संकट नहीं आएगा। गाय नहीं है तो आपके बच्चे मर जाएंगे। ऐसे में गाय मां के जैसी हो गई। मां जब स्तनपान नहीं करा पाती थी, दूसरा भोजन नहीं मिलता था तो गाय ही मां की तरह होती थी। किसी समय भोजन और पोषण के लिए हर कोई गाय के दूध पर निर्भर रहता है। इसलिए हम में से हर कोई गाय का दूध बहुत पवित्र बन गया, क्योंकि यह जीवन को पोषण देता है।

हर संस्कृति में, हर समाज में अकाल पड़ना सामान्य सी बात थी। हमारी संस्कृति में गांवों में ऐसी मान्यता थी कि अगर आपके घर में गाय है तो अकाल की स्थिति में भी आपके बच्चे जीवित रहेंगे। अपने बच्चे को पिलाने के बाद जो भी दूध बचता है, गाय उसे लेने की इजाजत दे देती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन वह इजाजत दे या न दे, हम उसका दूध ले ही लेते हैं क्योंकि उससे हमारा पोषण होता है। गाय दूसरी मां की तरह हो जाती है।

दूसरी वजह है कि गाय में काफी कुछ इंसानों जैसे भाव होते हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो गाय महसूस करती है और आपके कष्ट पर आंसू भी बहाती है। यही वजह है कि कहा जाता है गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसके भाव बहुत कुछ इंसानों के भाव जैसे होते हैं। गाय के साथ गहरे संबंध रहे हैं। गांवों में अब भी गाय के साथ बड़े नजदीकी संबंध हैं। विकसित चेतना के लोग गाय और सांपों को पवित्र मानते हैं। अध्यात्मविदों के अनुसार आत्मा के विकास की प्रक्रिया में यह जरूरी कदम हैं। अगर मन में हर जीव के लिए इतनी दया हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इन दो की हिंसा से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि इनमें इंसान बनने की पूरी संभावना है। इन्हें मारना किसी इंसान की ,संभावना को नष्ट करने जैसा है। दोनों मनुष्य के इतने करीब हैं।

महात्मा गांधी की दृष्टि में गाय का महत्व

गांधीजी मूल रूप में मनीषी थे। और इस नाते भारतीयता के प्रबल पक्षधर थे। उनका मत था कि भारत को पश्चिम का अनुकरण नही करना चाहिए। भारत को अपनी संस्कृति, विरासत व मूल्यों के आधार पर विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। गांधीजी का मानना था कि देश में ग्राम आधारित विकास होने की जरूरत है। ग्राम आधारित विकास के लिए भारत में गाय का कितना महत्व है, उन्हें अंदाजा था। महात्मा गांधी ने गोरक्षा को हिंदू धर्म का केंद्रीय तत्व। उनका कहना था कि भारतीय धर्मानुयायी जो व्यक्ति गाय की रक्षा के लिए जितना अधिक तत्पर है, वह भारतीय होने के नाते उतना ही श्रेष्ठ हिंदू है। गोरक्षा के लिए गांधी जी किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। महात्मा गांधी ने गाय को अवमानवीय सृष्टि का पवित्रतम रूप बताया है। उनका मानना था कि गोरक्षा का वास्तविक अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा। उन्होंने 1921 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा 'गाय करुणा का काव्य है। यह सौम्य पशु मूर्तिमान करुणा है। वह करोड़ों भारतीयों की मां है। गोरक्षा का अर्थ है, ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा। प्राचीन ऋषि ने, वह जो भी रहा हो, आरंभ गाय से किया। सृष्टि के निम्नतम प्राणियों की रक्षा का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें वाणी नही दी है। *(यंग इंडिया, 6-11-1921)*

गांधी जी ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखा है गाय अमानवीय सृष्टि का पवित्रतम रूप है। वह प्राणियों में सबसे समर्थ अर्थात मनुष्यों के हाथों न्याय पाने के वास्ते सभी अवमानवीय जीवों की ओर से हमें गुहार करती है। वह अपनी आंखों की भाषा में हमसे यह कहती प्रतीत होती है : ईश्वर ने तुम्हें हमारा स्वामी इसलिए नही बनाया है कि तुम हमें मार डालो, हमारा मांस खाओ अथवा किसी अन्य प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यहार करो, बल्कि इसलिए बनाया है कि तुम हमारे मित्र तथा संरक्षक बन कर रहो। *(यंग इंडिया, 26.06.1924)*

महात्मा गांधी गोमाता को जन्मदात्री मां से भी श्रेष्ठ मानते थे। गोमाता निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व की सेवा करती है। इसके बदले में वह कुछ भी नही मांगती। केवल जिंदा रहने तक ही नही बल्कि मरने के बाद भी वह हमारे काम में आती है। अगर निस्वार्थ भाव से सेवा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं देखने को मिलता है तो वह गोमाता है।

गांधी जी लिखते हैं, गोमाता जन्म देने वाली माता से श्रेष्ठ है। हमारी माता हमें दो वर्ष दुग्धपान कराती है और यह आशा करती है कि हम बड़े होकर उसकी सेवा करेंगे। गाय हमसे चारे और दाने के अलावा किसी और चीज की आशा नही करती। हमारी मां प्रायः रुग्ण हो जाती है और हमसे सेवा करने की अपेक्षा करती है। गोमाता शायद ही कभी बीमार पड़ती है। गोमाता हमारी सेवा आजीवन ही नहीं करती, अपितु अपनी मृत्यु के उपरांत भी करती है। अपनी मां की मृत्यु होने पर हमें दफनाने या उसका दाह संस्कार करने पर भी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। गोमाता मर जाने पर भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध होती है जितनी अपने जीवनकाल में थी। हम उसके शरीर के हर अंग-मांस, अस्थियां, आंतें, सींग और चर्म का इस्तमाल कर सकते हैं। ये बात हमें जन्म देने वाली मां की निंदा के विचार से नही कह रहा हूं बल्कि यह दिखाने के लिए कह रहा हूं कि मैं गाय की पूजा क्यों करता हूं। *(हरिजन 15.09-1940)*

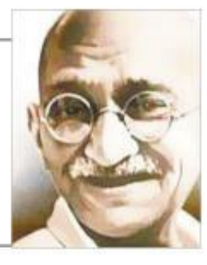

गांधीजी गोरक्षा के लिए संपूर्ण विश्व का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। 1925 में यंग इंडिया में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है।

प्रदूषण से हरियाणा, पंजाब का भी दम फूला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

प्रदूषण के कारण हरियाणा व पंजाब के शहरों का दम भी कम नहीं फूल रहा। दोनों सूबों के तमाम प्रमुख शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्रियों मनोहरलाल खट्टर और अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अविलंब प्रदूषण रोकने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के हिसार शहर में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब पाई गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के मानकों के अनुसार यह आंकड़ा हिसार में 487, जींद में 456, केथल में 408, रोहतक में 365, यमुनानगर में 346, अंबाला में 374, पलवल में 369, गुरुग्राम में 364 और पानीपत में 390 के आसपास लगातार बना हुआ है।

उधर पंजाब के भी ज्यादातर शहरों में भी हवा की गुणवत्ता भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूबे के ज्यादातर शहरों में हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इस मुद्दे पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि सभी राज्यों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार सबसे बुरा हाल बठिंडा का है जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 318 के स्तर पर पहुंच गया जबकि लुधियाना में यह आंकड़ा 302 रिकार्ड किया गया। जलंधर में यह आंकड़ा 274 रहा जबकि पटियाला में 263 रिकार्ड हुआ।

बांग्लादेश की नदियों से होकर पूर्वोत्तर का मार्ग खुला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

बांग्लादेश की नदियों से होकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने का जल मार्ग खोल दिया गया है। हल्दिया से सोमवार को कार्गो लेकर पहला जहाज रवाना किए जाने की तैयारी है, जो 'भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आइबीपी) रूट' से होकर असम के पांडु टर्मिनल तक पहुंचेगा। यह जहाज 1489 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 दिनों में पूरी करेगा। इस जहाज से हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स और अडानी विल्मार के माल असम तक पहुंचाए जा रहे हैं।

इस मार्ग के जरिए पूर्वोत्तर तक माल ढुलाई में खर्च घट जाएगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी, समय कम लगेगा। जहाजरानी मंत्रालय के सचिव गोपाल कृष्ण के मुताबिक, पेट्रोकेमिल, खाद्य तेल और पेय पदार्थों के 53 कंटेनर लेकर जहाज एमवी माहेश्वरी, गंगा पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग-एक, जलमार्ग -97 (सुंदरवन), आइबीपी रूट और जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) होकर गुजरेगा। चीन, म्यांमा और बांग्लादेश से घिरे होने के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों तक भारत की मुख्य भूमि से पहुंच अब तक आसान नहीं रही। एक मात्र रास्ता सिलिगुड़ी का चिकंस नेक का 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा रहा, जहां से माल ढुलाई खर्चीली रही है। साथ ही, यहां जाम की समस्या भी होती रही।

सुरक्षा सहयोग बढ़ाएंगे भारत-उज्बेकिस्तान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

भारत और उज्बेकिस्तान ने सुरक्षा के मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने का करार किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उज्बेकिस्तान के रक्षामंत्री मेजर जनरल बखोदिर निजामोविच कुरबानोव के बीच ताशकंद में हुई बैठक के बाद दोनों देशों के बीच तीन समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने उज्बेकिस्तान द्वारा भारत से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिए चार करोड़ अमेरिकी डालर की रियायती कर्ज सुविधा की पेशकश की है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने शनिवार को उज्बेकिस्तान के रक्षामंत्री मेजर जनरल बखोदिर निजामोविच कुरबानोव के साथ शनिवार को बातचीत की।

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'बैठक के बाद दोनों पक्षों ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच मिलिट्री मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमतिपत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में आदान प्रदान बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे।' इसमें कहा गया कि सहमति पत्र अक्तूबर 2018 में दोनों देशों के बीच सैन्य शिक्षा को लेकर हुए सहमतिपत्र से उत्पन्न संवादों का परिणाम है।बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच उच्च सैन्य शिक्षा संस्थानों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण को लेकर दो संस्थानों के बीच समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। इसमें कहा गया, 'दोनों देशों के रक्षामंत्री इस पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को जारी रखते हुए रक्षा क्षेत्र में अपने संपर्क का स्तर और बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'

राहुल के प्रयोग पर रोक लगाने से सोनिया का इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके करीबी कहे जाने वाले कई नेताओं की कुर्सी भले छिन चुकी हो लेकिन भारतीय युवक कांग्रेस में चुनाव की कराने की जो शुरुआत उन्होंने की थी, वह पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों के बावजूद जारी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में पार्टी के प्रमुख नेताओं की अनिच्छा के बावजूद पार्टी की युवा इकाई में संगठनात्मक चुनाव की व्यवस्था जारी रखने पर अपनी सहमति दे दी है। इस व्यवस्था के तहत युवा कांग्रेस की पंजाब इकाई के चुनाव इसी महीने कराए जाएंगे।

सूत्रों ने बताया कि सोनिया की स्वीकृति मिलने के बाद युवा कांग्रेस ने पंजाब में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संगठन की ओर से तय अस्थायी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक राज्य में 24 से 27 नवंबर के बीच मतदान होगा और 28 नवंबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। गत शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के साथ मुलाकात में यह स्पष्ट किया कि

- वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की आपत्ति को कांग्रेस अध्यक्ष ने किया दरकिनार
- भारतीय युवा कांग्रेस में जारी रहेंगे संगठनात्मक चुनाव

संगठनात्मक चुनाव की व्यवस्था जारी रहेगी।

राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस महासचिव अनुषंगी संगठनों के प्रभारी की भूमिका निभाते हुए संगठनात्मक चुनाव की व्यवस्था शुरू की थी ताकि जमीनी स्तर के योग्य युवाओं को कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चुनाव की जिम्मेदारी राहुल के करीबियों में शुमार सचिन राव को दी गई थी। उनके महासचिव रहते युवा कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की व्यवस्था उनके अध्यक्ष रहते हुए भी जारी रही, हालांकि कई राज्यों में तय समय पर चुनाव नहीं हो सके।

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल के इस्तीफे के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, खासकर कुछ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की ओर से यह कहा गया कि युवा कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव में बहुत सी जगहों पर रसूखदार परिवारों से ताल्लुक रखने और धनबल का उपयोग करने वाले उम्मीदवार जीतकर आ जाते हैं। ऐसे में फिलहाल चुनाव पर रोक लगनी चाहिए।

युवा कांग्रेस के चुनाव में अतीत में कई बार विवाद भी खड़े हुए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह 2011 में हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीते थे। बाद में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनने पर उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। चुनाव की पैरोकारी कर रहे युवा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की राय है कि चुनाव से संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ऐसे में राहुल गांधी द्वारा बनाई गई व्यवस्था चलती रहनी चाहिए।

भारत, थाईलैंड में रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने का करार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा के बीच शिखर वार्ता में दोनों देश रक्षा उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने पर रविवार को सहमत हुए।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी और ओचा के बीच आसियान शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसमें भौतिक और डिजिटल क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने भारत और थाईलैंड के बीच मित्रवत संबंध बढ़ाने पर गहन चर्चा की।पीएमओ ने बताया कि मोदी और चान ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और यह स्वीकार किया कि लगातार उच्च स्तरीय बैठकों और सभी स्तरों पर संवाद ने संबंधों को सकारात्मक गति दी है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'रक्षा व सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़े हुए संबंधों को स्वीकार करते हुए दोनों पक्ष रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के लिए संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए। पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार में हुई 20 फीसद वृद्धि का स्वागत करते हुए इन नेताओं ने व्यापार अधिकारियों को व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के काम पर लगाने का निर्णय किया।'

हिरासत में रखे गए 34 नेता सेंटूर होटल से जल्द स्थानांतरित होंगे

श्रीनगर, 3 नवंबर (भाषा)।

ऐसे में जब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर प्रशासन यहां स्थित सेंटूर होटल में हिरासत में रखे गए 34 राजनीतिक लोगों को स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य स्थान की तलाश कर रहा है क्योंकि यहां कमरों को गरम करने की उचित व्यवस्था नहीं है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

बढ़ती ठंड का असर हिरासत में रखे गए राजनीतिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। यहां नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस के नेताओं और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा गया है। इन लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। इन लोगों को मनोरम डल झील के किनारे स्थित इस होटल में गत पांच अगस्त से ही रखा गया है जब केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का निर्णय किया था।

इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइटीडीसी) के स्वामित्व वाले सेंटूर होटल ने यहां नेताओं को 90 दिनों तक रखने के लिए गृह विभाग को 2.65 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। प्रशासन ने यद्यपि सेंटूर होटल के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि होटल को पांच अगस्त को एक उप जेल में तब्दील कर दिया गया था और इसलिए सरकारी दरों से भुगतान किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा मंजूर दर करीब 800 रुपए प्रतिदिन होगी जबकि होटल ने पांच हजार रुपए रोजाना के हिसाब से बिल बनाया है। ठंड के मौसम में श्रीनगर में पारा जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है। ठंड के महीनों के लिए नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में रखे गए नेताओं को अलग अलग स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए कुछ उपाय जल्द किए जाएंगे।

शहर के बीचोंबीच रेजीडेंसी रोड स्थित एमएलए होस्टल वैकल्पिक स्थल हो सकता है लेकिन यहां पर जम्मू के पूर्व विधायक और नवनिर्वाचित काउंसिलर रह रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि प्रशासन पूर्व विधायकों और काउंसलरों को नहीं हटाना चाहता और उसने नेताओं को स्थानांतरित करने के लिए सरकारी या निजी होटल की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि उच्च सुरक्षा वाले छावनी क्षेत्र स्थित एक निजी होटल के साथ बातचीत चल रही है जहां हिरासत में रह रहे कुछ लोगों को रखा जा सकता है। इसमें पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन, नेशनल कांफ्रेंस के अली मोहम्मद सागर, नईम अख्तर (पीडीपी) और पूर्व आइएएस अधिकारी शाह फैजल को रखा जा सकता है।

'भारत अब निवेश के लिए आकर्षक जगह'

पेज 1 का बाकी

हैं। प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए यह सबसे बेहतर समय है। उन्होंने कहा, 'निवेश के लिए भारत अब दुनिया की सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है, कारोबार करने की स्थिति सुगम हो रही है, जीवनस्तर सुधर रहा है और उत्पादकता बढ़ रही है। दूसरी ओर कर दरें, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और साठगांठ का पूंजीवाद घट रहा है।'

मोदी के मुताबिक, पिछले पांच साल में भारत को 286 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) मिला है। यह पिछले 20 साल में देश में आए विदेशी निवेश का करीब आधा है। प्रधानमंत्री ने भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का भी जिक्र किया।

वाट्सऐप ने किया सरकार को जानकारी देने का दावा

पेज 1 का बाकी

इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में वाट्सऐप को भेजे सवालों का जवाब नहीं मिला है।वाट्सऐप ने गुरुवार को कहा था कि इजराइली स्पाइवेयर पेगासस के जरिए कुछ अज्ञात इकाइयों ने दुनिया भर में पत्रकारों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की। इनमें भारतीय पत्रकार और कार्यकर्ता भी हैं। वाट्सऐप ने कहा है कि वह एनएसओ ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह इजराइली कंपनी है जो निगरानी करने का काम करती है। समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिए कुछ इकाइयों के जासूसों ने करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं। इन इकाइयों का नाम नहीं बताया गया है लेकिन कहा गया है जिन लोगों के फोन हैक हुए हैं, वे चार महाद्वीपों में फैले हैं। इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। लेकिन वाट्सऐप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं। वाट्सऐप ने यह भी नहीं बताया कि भारत में कितने लोगों को इस जासूसी का निशाना बनाया गया या वे कौन लोग हैं। कंपनी ने कहा कि मई में उसे एक ऐसे साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग प्रणाली के जरिए प्रयोगकर्ताओं को मालवेयर भेजा गया।

जहरीली हवा के बीच आज से सम-विषम

पेज 1 का बाकी

सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सम-विषम नंबरों के अनुसार पाबंदी रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर इस बार चार हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

योजना के अनुसार रविवार को किसी भी वाहन के परिचालन पर कोई पाबंदी नहीं होगी जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में राजधानी की सड़कों पर सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक सम नंबर वाले दिन सम नंबर व विषम नंबर वाले दिन विषम नंबर की गाड़ियां ही चलाई जा सकेंगी। इस बार सीएनजी चालित वाहनों को भी इस योजना के तहत छूट नहीं दी गई है। दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी यह योजना लागू रहेगी। हालांकि महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों तथा 12 साल से कम उम्र के बच्चे को लेकर गाड़ी चला रही महिला चालकों को इस योजना के तहत छूट मिलेगी। दोपहिया वाहनों को भी छूट दी गई है।

पर्यावरणविदों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे 'बच्चों, बुजुर्गों समेत प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित लोगों को' बचाएं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति पर प्रतिदिन नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो-तीन दिन में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की रफ्तार बढ़ेगी व तूफान 'महा' के प्रभाव से सात व आठ को बारिश होगी तो संभवतः राहत मिले। सफर ने बताया कि प्रदूषकों (पीएम 10) में महीन कणों (पीएम 2.5) का फीसद 50 से बढ़ कर 80 हो गया है। यह चिंता का कारण है क्योंकि इसके सीधे खून में पहुंचने का खतरा रहता है।

मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक बारिश से तो मदद मिलती है, हुआ भी। लेकिन हवा थमने व फाग बनने से प्रदूषण के कण उड़ नहीं पाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की रफ्तार बढ़ेगी व तूफान महा के प्रभाव से सात व आठ को बारिश होगी तो राहत मिलेगी।

नासा के सेटेलाइट की तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में कोहरा नजर आया। मंगलवार तक इस क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसे मौसम से राहत की आस है । मौसम विभाग ने कहा कि तीन चार दिन में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में छिटपुट स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र आज से

पेज 1 का बाकी

दिन प्रोटेम स्पीकर रघुबीर सिंह कादयान नवनिर्वाचित विधायकों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद सरकार द्वारा स्थायी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। सरकार अगर चाहेगी तो सोमवार को ही डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी कर लिया जाएगा।

आमतौर पर नई सरकार के गठन के बाद पहले सत्र में शपथ लेने वाले विधायक अपने परिजनों व रिश्तेदारों को गवाह बनाने के लिए सदन में लेकर आते हैं लेकिन विधानसभा की दर्शक दीर्घा में स्थानाभाव के चलते इस बार नए विधायक अपने अरमान पूरे नहीं कर सकेंगे। विधानसभा सचिवालय ने पत्र लिखकर सभी विधायकों को पहले ही निर्देशिका जारी करते हुए दो से अधिक रिश्तेदारों को साथ लाने से मना कर दिया है।

प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से विधायकों को भेजे गए पत्र में अधिक मेहमानों को विधानसभा में बैठने की जगह उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। सदन में विधायकों के अलावा स्पीकर दीर्घा में दर्शकों के बैठने के लिए सीमित सीट हैं। दर्शकों के तौर पर सदन में केवल 150 लोगों को ही बैठाया जा सकता है। कई विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में फोन करके परिवार के सदस्यों व सगे-संबंधियों के लिए एंट्री पास की डिमांड की गई है। इसके बाद ही विधानसभा ने यह पत्र जारी करने का फैसला किया।

आसियान में प्रधानमंत्री ने किया आतंकवाद के खतरों से आगाह

पेज 1 का बाकी

लिए भारत और आसियान के बीच व्यापक सहयोग की जरूरत पर बल दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 16 वें भारत-आसियान सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि हिंद-प्रशांत में भारत की बढ़ती भूमिका को आसियान नेताओं द्वारा पहली बार स्वीकार किया जाना है। क्षेत्र के लिए एक 'आऊटलुक' के साथ संगठन के आने के बाद यह प्रथम स्वीकारोक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समुद्री इलाकों की सुरक्षा और रणनीतिक ढांचा विकसित करने के लिए भारत आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि समुद्री सुरक्षा और जल आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के काफी अवसर हैं। इसके अलावा भारत एवं आसियान कृषि, इंजीनियरिंग, डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार कर सकते हैं। मोदी ने आसियान देशों के नेताओं से कहा, 'भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। आसियान इसका मुख्य हिस्सा है। एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील आसियान भारत के हित में है।' दस देशों का आसियान समूह क्षेत्र के प्रभावशाली समूहों में से है। भारत और कई अन्य देश मसलन अमेरिका, चीन, जापान और आस्ट्रेलिया इसका वार्ता भागीदार है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

पेज 1 का बाकी

मुआवजा दे। पीठ ने जांच पूरी होने तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष आयुक्त संजय सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त हरिंदर सिंह का तबादला करने का आदेश दिया। पीठ ने यह भी साफ किया कि किसी वकील के खिलाफ कोई बलप्रयोग नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीठ को बताया कि घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। पुलिस की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि झड़प में कथित रूप से शामिल सहायक उप निरीक्षकको निलंबित कर दिया गया है और एक अन्य का तबादला कर दिया गया है। इस झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस के 21 पुलिसकर्मियों और अधिकारी को चोटें पहुंची हैं। वहीं, आठ वकील भी घायल हुए हैं। घटना के संबंध में हत्या के प्रयास के आरोप समेत संबंधित धाराओं के तहत चार प्राथमिकी दर्ज की गई है।

'फैसलों के बजाय न्यायाधीशों की आलोचना मानहानि'

पेज 1 का बाकी

है। न्यायमूर्ति बोबडे 18 नवंबर को देश के 47 वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। 63 वर्षीय बोबडे ने एक लंबे साक्षात्कार के दौरान कहा कि फैसलों के बजाय न्यायाधीशों की सोशल मीडिया पर आलोचना वास्तव में मानहानि का अपराध है। यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायाधीशों की आलोचना उन्हें परेशान करती है, न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, 'एक हद तक हां, यह मुझे परेशान करती है। यह अदालतों के कामकाज को प्रभावित कर सकती है और मैं ऐसे न्यायाधीशों को देखता हूं जो परेशान महसूस करते हैं। यह मुझे परेशान करता है। कोई भी इसे पसंद नहीं करता है।' उन्होंने हालांकि कहा कि फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित आलोचना पर काबू के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, 'हम क्या कर सकते हैं। हम इस तरह की मीडिया के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या कदम उठाना है। वे न केवल लांछन लगा रहे हैं बल्कि लोगों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं।'

'प्रियंका को भी फोन जासूसी को लेकर भेजा था संदेश'

पेज 1 का बाकी

ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप (वाट्सऐप) से जिस वक्त राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संदेश मिलने की बात सामने आई है, उसी समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाधी को भी एक संदेश मिला था।

सुरजेवाला ने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी को भी लगभग उसी वक्त वाट्सऐप से इसी तरह का संदेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रियंका को लगभग उसी वक्त संदेश प्राप्त हुआ था, जब वाट्सऐप इस तरह के संदेश उन लोगों को भेज रहा था जिनके मोबाइल फोन कथित तौर पर हैक हुए थे। बीते सप्ताह, फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सऐप ने आरोप लगाया कि इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने स्पायवेयर पेगासस फैलाने के लिए वाट्सएप सर्वर का इस्तेमाल किया। इसमें 20 देशों के करीब 1,400 लोगों को निशाना बनाया गया और उनके फोन की हैकिंग की गई। इस क्रम में भारत के करीब दो दर्जन से अधिक लोगों की भी आम चुनाव से पहले अप्रैल में दो हफ्ते तक जासूसी की गई। इनमें ज्यादातर भारतीय पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। फेसबुक ने एनएसओ पर मुकदमा दायर किया है। हालांकि एनएसओ का दावा है कि वह अपने प्रॉडक्ट्स का लाइसेंस केवल वैध सरकारी एजंसियों को ही देती है।

कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा की अगुआई वाली राजग सरकार को बेनकाब करने के दावा करते हुए कुछ सवाल पूछे हैं। पार्टी ने मांग की है कि सरकार इन सवालों का जवाब दें। सुरजेवाला ने भाजपा को भारतीय जासूस पार्टी करार देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे के बारे में सब जानते हुए भी चुप थी। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद फेसबुक के उपाध्यक्ष से मिले, लेकिन उन्होंने हैकिंग के मुद्दे को नहीं उठाया, वहां रहस्यमयी खामोशी थी।

भारत पर जैश व लश्कर के हमलों का खतरा बरकरार

पेज 1 का बाकी

समूहों और आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को भी लागू करने में नाकामयाब रहा जो लगातार आर्थिक संसाधन और कोष एकत्र कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा, 'क्षेत्र आधारित आतंकवादी समूह 2018 में भी खतरा बने रहे। उदाहरण के लिए 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने भारत और अफगानिस्तान पर हमला करने के अपने इरादे को बरकरार रखा है। फरवरी 2018 में जैश से संबद्ध आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के सुंजवान स्थित भारतीय सेना के ठिकाने पर हमला किया जिसमें सात लोग मारे गए।' रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार लश्कर व जैश को धन जुटाने, आतंकवादियों की भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षित करने से रोकने में नाकाम रही। यहां तक कि जुलाई में हुए आम चुनाव में लश्कर के मुखौटा संगठनों के प्रत्याशियों को चुनाव की इजाजत दी। पाकिस्तान सरकार अफगान सरकार और अफगान तालिबान के बीच राजनीतिक सुलह का समर्थन करती है लेकिन अपनी सरजमीं पर मौजूद पनाहगाहों से अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कार्रवाई से नहीं रोकती जिससे अफगानिस्तान में अमेरिकी और अफगान बलों को खतरा है।

epaper.jansatta.com

नेपाल की राष्ट्रपति ने सभी प्रांतों के प्रमुखों को हटाया

काठमांडो, 3 नवंबर (भाषा)।

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सरकार की अनुशंसा पर सभी सातों प्रांतों के गर्वनरों को पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने गवर्नरों को उनके पदों से हटाया है। रविवार को कैबिनेट बैठक में गवर्नरों को उनके पदों से हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की गई थी। पदों से जिन्हें हटाया गया है, उनमें प्रांत-एक के प्रमुख गोविंद बहादुर तुमहांग, प्रांत-दो के रत्नेश्वर कायस्थ, प्रांत-तीन की अनुराधा कोईराला, प्रांत-चार के बाबूराम कुंअर, प्रांत-पांच के उमाकांत झा, प्रांत-छह के के दुर्गा केशर खनाल और प्रांत-सात से रत्नेश्वर माला हैं। दो साल पहले शेर बहादुर देउबा सरकार ने प्रांतीय प्रमुखों को नियुक्त किया था।

जलियांवाला बाग की शताब्दी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया : गुलजार

दुबई, 3 नवंबर (भाषा)।

- पूर्व राजदूत नवदीप सूरी की पुस्तक 'खूनी वैशाखी' के शाहमुखी और मलयालम संस्करण का विमोचन

मशहूर शायर-गीतकार गुलजार का कहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की बेहद महत्त्वपूर्ण घटना है लेकिन इसके 100 साल पूरे होने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था। पूर्व राजदूत नवदीप सूरी की पुस्तक 'खूनी वैशाखी' के शाहमुखी और मलयालम संस्करण के विमोचन के मौके पर शनिवार को गुलजार ने यह बात कही।

यह पुस्तक सूरी के दादा नानक सिंह द्वारा जलियांवाला बाग की घटना पर लिखी गई कविता का अनुवाद है। शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में इसका विमोचन किया गया। गुलजार ने कहा कि स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के 150 वर्ष पूरे होने पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था। पिछले महीने यूएई में भारत के राजदूत पद से सेवानिवृत्त हुए सूरी ने उन परिस्थितियों को बयां किया जिनमें उनके दादा ने यह कविता लिखी।

सूरी ने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने 'खूनी वैशाखी' के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 'रौलट एक्ट' का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने वहां भीड़ पर गोलियां चलवा दी थीं।

रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी तय करे म्यांमा : गुतारेस

बैंकाक, 3 नवंबर (एएफपी)।

- म्यांमा की जिम्मेदारी है कि वह शरणार्थियों की सुरक्षित, गरिमापूर्ण और स्थायी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाए : संरा प्रमुख
- साल 2017 में रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण सात लाख 40 हजार रोहिंग्या को देश छोड़कर पड़ोस के बांग्लादेश में शरणार्थी कैंपों में पनाह लेनी पड़ी।
- संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने रोहिंग्या के खिलाफ सेना के अभियान को नरसंहार बताया था।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने म्यांमा से सैन्य अभियानों में निकाले गए रोहिंग्या शरणार्थियों की 'सुरक्षित' वापसी सुनिश्चित करने का रविवार को आग्रह किया। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ चलाए गए अभियान के दो साल से ज्यादा समय बाद वहां की नेता आंग सान सू की के सामने ये अनुरोध किया गया।

बैंकाक में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि वह रोहिंग्या की दुर्दशा पर बहुत चिंतित हैं। उनके संबोधन के दौरान म्यांमा की नेता सू की भी वहां मौजूद थीं। साल 2017 में रखाइन प्रांत में हिंसा के कारण सात लाख 40 हजार रोहिंग्या को देश छोड़कर पड़ोस के बांग्लादेश में शरणार्थी कैंपों में पनाह लेनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने रोहिंग्या के खिलाफ सेना के अभियान को नरसंहार बताया था। म्यांमा रोहिंग्या को अपना नागरिक नहीं मानता है। गुतारेस ने कहा कि म्यांमा की जिम्मेदारी है कि वह शरणार्थियों की सुरक्षित, गरिमापूर्ण और स्थायी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाए। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों, वैश्विक नेताओं के लगातार अनुरोधों के बावजूद रोहिंग्या के प्रति म्यांमा का रुख नहीं बदल रहा है।

बांग्लादेश की अदालत ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यूनुस को जमानत दी

ढाका, 3 नवंबर (एपी)।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका की अदालत ने 'ग्रामीण कम्यूनिकेशन' के अध्यक्ष व नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को तीन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मामले में रविवार को जमानत दे दी। ढाका में तीसरी श्रम अदालत ने यूनुस के अदालत में पेश होने पर उन्हें जमानत दे दी।

देश के हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के वास्ते उनके लिए सात नवंबर की समयसीमा निर्धारित की थी। अदालत ने प्रशासन से समयसीमा समाप्त होने से पहले यूनुस को गिरफ्तार करने या उन्हें प्रताड़ित नहीं करने को कहा था। अदालत अधिकारी वसी-उर-रहमान ने कहा कि अदालत ने तीनों मामलों में 10-10 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। बचाव पक्ष के वकील मुस्तफीज़-उर-रहमान ने बताया कि यूनुस को जब तक अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है तब तक उन्हें अभ्यारोपित नहीं कर दिया जाता है। श्रम अदालत ने यूनुस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था क्योंकि वह विदेश में होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो पाए थे।

सईद की मध्यस्थता, अदालत ने हत्या के तीन आरोपी पुलिसकर्मी किए बरी

लाहौर, 3 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान की अदालत ने पुलिस हिरासत में कथित एटीएम चोर को मार डालने के आरोपी सभी तीन पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र से आतंकवादी घोषित हाफिज सईद की मध्यस्थता के बाद बरी कर दिया है।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जाहिद हुसैन बख्तियार ने कथित एटीएम चोर सलाउद्दीन अयूबी की हत्या के आरोप में महमूदुल हसन, शफात अली और मतलूब हुसैन नाम के पुलिस अधिकारियों को इस सप्ताह बरी कर दिया। मानसिक रूप से कमजोर अयूबी की अगस्त में पुलिस हिरासत में कथित यातना के चलते मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे एटीएम से रुपए चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अयूबी की हिरासत में हुई मौत से देश में आक्रोश पैदा हो गया था। सईद ने पुलिस और मृतक के परिजनों के बीच मध्यस्थता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड सईद आतंकवाद को वित्तीय मदद देने के आरोप में 17 जुलाई से यहां उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। उसने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आरोपी पुलिसकर्मियों को माफ करने के लिए तैयार किया। इस संबंध में आधिकारिक सूत्र ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों, उनके अधिकारियों और मृतक के परिजनों ने जेल में सईद के साथ कई बैठकें कीं जिसने उनके बीच समझौता करा दिया। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सईद ने पीड़ित परिवार के सामने तीन विकल्प रखे कि या तो वे खून के बदले आरोपी पुलिसकर्मियों से धन ले लें, या अल्लाह के नाम पर उन्हें माफ कर दें या फिर कानूनी लड़ाई पर आगे बढ़ें। परिवार ने पुलिसकर्मियों को माफ करने का विकल्प चुना। अयूबी के पिता से संपर्क किया तो उन्होंने पुष्टि की कि परिवार ने सईद की 'इच्छा' पर पुलिसर्किमयों को माफ कर दिया है। इससे पता चलता है कि सईद का पाकिस्तान में कितना प्रभाव है।

जापानी प्रधानमंत्री के विमान में मामूली आग लगी

तोक्यो, 3 नवंबर (एएफपी)।

जापानी सरकार के विमान में रविवार को उस समय मामूली आग लग गई जब उसमें स्वयं प्रधानमंत्री शिजो आबे सवार थे। हालांकि, तुरंत आग बुझा दी गई और किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब आबे तोक्यो से बैंकॉक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन 'आसियान' के शिखर सम्मेलन में सम्मलित होने के लिए बोइंग 777 -300ईआर विमान में सवार होकर जा रहे थे।

भारत की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए मोदी ने की बैठकें

इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमा के शीर्ष नेताओं से अलग-अलग बैठकें हुईं

बैंकाक, 3 नवंबर (भाषा)।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाना चाहने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमा के शीर्ष नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें की। ये तीनों देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश हैं।

प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन से इतर बैठकें कीं। समझा जाता है कि सभी तीनों बैठकों में समुद्री सुरक्षा सहयोग के मुद्दे का जिक्र हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी और थाईलैंड के उनके समकक्ष प्रयुत चान-ओ-चा के बीच चर्चा में दोनों देश रक्षा उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और पर सहमत हुए और व्यापार संबंध बढ़ाने का संकल्प लिया। अपनी वार्ता में मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से मिलकर मुकाबला करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची के साथ सार्थक बैठक की, जिस दौरान उन्होंने संपर्क और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीके तलाशे। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सक्रियता बढ़ने के मद्देनजर तीनों देशों में अपना नौसैनिक सहयोग बढ़ाने की क्रमिक कोशिश कर रहा है। कुमार ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमता निर्माण, संपर्क और जनता के स्तर पर संपर्क बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर म्यांमा की स्टेट काउंसलर सूची के साथ एक सार्थक बैठक की।' फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि क्या बैठक में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी उठा। म्यांमा भारत के रणनीतिक रूप से अहम पड़ोसी देशों में एक है और वह उग्रवाद प्रभावित नगालैंड एवं मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों के साथ 1,640 किमी लंबी सीमा साझा करता है।

जॉनसन ने ब्रेग्जिट में हुई देरी के लिए गहरा अफसोस जताया

लंदन, 3 नवंबर (भाषा)।

दोबारा सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 31 अक्तूबर को ब्रेग्जिट के लिए निर्धारित तारीख चूकने पर रविवार को 'गहरा अफसोस' जताया और इसके लिए संसद को जिम्मेदार ठहराया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिलने को लेकर आशंका है। साथ ही यह भी कहा कि एकमात्र उनकी पार्टी ही 31 जनवरी, 2020 की तय नई समयसीमा में ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में जॉनसन ने कहा, 'निर्धारित तारीख पर ब्रेग्जिट नहीं होने पर गहरा अफसोस है।' उन्होंने कहा, 'लेकिन जो हम करना चाहते हैं वह करके रहेंगे। हमारी सरकार और अन्य पार्टियों की सरकार में एक ही अंतर है। केवल हमारी सरकार ही चुनाव के तत्काल बाद मध्य दिसंबर में करार का मसौदा देकर आगे बढ़ने का रास्ता निकाल सकती है। अगर हम भाग्यशाली रहे और बड़ा बहुमत मिला तो कठोर परिश्रम करेंगे।' जब उनसे पूछा गया कि क्या जनता उनके वादों पर भरोसा करेगी? जॉनसन ने कहा, 'यह मत भूलिए कि किन परिस्थितियों में यह हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि संसद ने आत्मसमर्पण कानून पारित किया।' कथित बेन्न कानून को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट 'आत्मसमर्पण कानून' कहता है क्योंकि इसने प्रधानमंत्री जॉनसन को मजबूर किया कि वह संसद की ओर से मध्य अक्तूबर तक समझौते को मंजूरी नहीं देने की स्थिति में यूरोपीय संघ (ईयू) को चिट्ठी लिखकर ब्रेग्जिट (ब्रिटेन के ईयू से अलग होने की प्रक्रिया) की अवधि तीन महीने बढ़ाने का अनुरोध करें।

आइएस ने माली सैन्य ठिकाने पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली

बमाको, 3 नवंबर (एएफपी)।

देश के पूर्वोत्तर हिस्से में शुक्रवार को माली सेना के एक ठिकाने पर हुए 'आतंकवादी हमले' की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले 49 सैनिकों की जान चली गई थी। इसके साथ ही आइएस ने एक बम धमाके में भी अपनी भूमिका बताई है जिसमें फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई थी।

आइएस ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर बयान में कहा, 'खलीफा के सैनिकों ने इंडेलिमने गांव में माली सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया।' माली सशस्त्र सेना (फामा) ने बताया कि मेनका क्षेत्र में इंडेलिमने स्थित ठिकाने पर शुक्रवार को यह हमला किया गया था, जिसमें 49 सैनिकों की जान चली गई थी और तीन अन्य घायल हो थे। वहीं 20 लोग पूरी तरह सुरक्षित बच निकले। शनिवार को मेनका शहर के पास हुए एक आईईडी बम धमाके की चपेट में एक बख्तरबंद वाहन आने से उसमें सवार फ्रांसीसी कारपोरल रोनन पाइंट्यू (24) की मौत हो गई। आइएस ने कहा कि उसके लड़ाकों ने फ्रांसीसी सेना के काफिले को निशाना बनाया था।

शिन्हुआ ने हांगकांग कार्यालय पर हमले को 'बर्बर' बताया

हांगकांग, 3 नवंबर (एपी)।

चीन की सरकारी समाचार एजंसी शिन्हुआ ने हांगकांग के अपने कार्यालय में लोकतंत्र समर्थकों के हमले को 'बर्बर' बताया है। शहर के पत्रकारों ने भी शनिवार को मीडिया संस्थान पर हुए हमले की निंदा की है।

चीन की सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी के इस स्वतंत्र वैश्विक आर्थिक केंद्र पर पकड़ मजबूत करने के संकल्प के बाद रविवार को यहां और प्रदर्शन करने की लोगों की योजना है। प्रदर्शनकारी राजनीतिक सुधार और वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। शिन्हुआ ने संक्षिप्त बयान जारी करके 'भीड़ की बर्बर हरकत' की निंदा की। भीड़ ने शहर में स्थित एशिया पैसेफिक ऑफिस बिल्डिंग में तोड़फोड़ की और फिर उसकी लॉबी में आग लगा दी थी। हांगकांग पत्रकार संघ ने मीडिया पर हमले की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है।

हांगकांग में चीन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच चीन की सरकारी समाचार एजंसी पर हमले की यह पहली घटना है। हमले के ठीक एक दिन पहले सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर में हिसा पर लगाम लगाने की बात कही थी। हांगकांग की सरकार ने रविवार को कहा कि उसकी मुख्य कार्यकारी कैरी लैम मंगलवार को बेजिंग जाएंगी, जहां वह उपप्रधानमंत्री हान झेंग से बातचीत करेंगी और 'ग्रेटर बे एरिया' के विकास पर एक बैठक में शामिल होंगी। इस क्षेत्र का मकसद हांग कांग, मकाऊ और दक्षिण चीन के नौ अन्य शहरों को जोड़ना है। प्रदर्शनकारी विरोध स्वरूप चीन के बैंकों और कारोबार पर लगातार हमले करते रहे हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

अमेरिका से बातचीत की संभावनाओं से ईरान का इनकार

तेहरान, 3 नवंबर (एएफपी)।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने रविवार को एक बार फिर अमेरिका के साथ बातचीत की संभावनाओं से इनकार किया। तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास बंधक संकट के 40वर्ष पूरे होने से एक दिन पहले उन्होंने यह स्पष्ट किया।

खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उन्होंने इस मौके पर अपने भाषण के दौरान कहा कि जो अमेरिका के साथ बातचीत को सभी समस्याओं के हल के तौर पर देखते हैं, वे निश्चित रूप से गलत हैं। खामनेई ने कहा कि अमेरिका से बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि वे निश्चित रूप से कोई रियायत नहीं देंगे।

हिज्बुल्ला ने ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाने का किया विरोध

बेरूत, 3 नवंबर (एएफपी)।

लेबनान के शक्तिशाली शिया संगठन हिज्बुल्ला के टेलीविजन स्टेशन ने उसके अधिकतर ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाए जाने का शनिवार को विरोध किया। अल-मनार ने अमेरिका स्थिति सोशल मीडिया मंच पर 'राजनीतिक दबाव' में आने का आरोप लगाया। इस बीच, ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, 'ट्विटर पर गैरकानूनी आतंकवादी संगठनों और हिंसक चरमपंथी समूहों के लिए कोई जगह नहीं है।' अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश भाषा के खाते भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन कुछ खास टेलीविजन शो के ट्विटर अकाउंट चालू प्रतीत हो रहे थे। ईरान समर्थित 'हिज़्बुल्लाह' को अमेरिका एक आतंकवादी समूह घोषित कर चुका है।

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
मूविंग पिक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मूविंग पिक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	01.06.1989
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, स.स. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1989PLC036474
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	405, स्काई लार्क बिल्डिंग, 60 नेहरू प्लेस, दक्षिण, दिल्ली, नई दिल्ली-110019
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	9.9.2019 (सीओसी की बैठक की सूचना जिसमें परिसमापन की सिफारिश की गई।)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	30.10.2019 (आदेश की प्रति 2.11.2019 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक का नाम तथा पंजीकरण संख्या	योगेश कुमार गुप्ता सी-17-बी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ykgupta@yahoo.co.in 011-41076118 IBBI/IPA-003/IP/N00078/2017-18/10701
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	29.11.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, मंडल पीठ, दिल्ली ने 30.10.2019 को मूविंग पिक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा मूविंग पिक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 29.11.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

योगेश कुमार गुप्ता
परिसमापक
मूविंग पिक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

तिथि: 2.11.2019
स्थान: दिल्ली

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank
मिड कॉर्पोरेट शाखा
7, सेठी भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली- 110008
ई-मेल: br.9197@syndicatebank.co.in
फोन: 011-25727717, फैक्स: 011-25752545

फार्म एटी-एम
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)*
अधिनियम- नियम 8 (1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 6.7.2019 जारी कर ऋणधारक तथा साथ ही सम्पत्ति के स्वामी/ स्युरिटी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 89,70,138.06 (रुपये नवासी लाख सत्तर हजार एक सौ अड़तीस एवं पैसे छः मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

सम्पत्ति के स्वामी श्री नरेश कुमार तथा अन्य इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 89,70,138.06 तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिये सिंडिकेट बैंक, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम भैरों खेरा, तहसील एवं जिला जिन्द में खेवट नं. 178, खतोनी नं. 184, रेक्ट.नं. 55 किल्ला 6 मिन (5-16) 7 (8-0) 8 (8-0) 9 (8-0) 10/2 (5-2) 11 (8-0) 12 (8-0), 13 (8-0) खतोनी नं. 185, रेक्ट नं. 42, किल्ला 19 (8-2) 20 (8-0) रेक्ट 46 किल्ला 19 (5-18) 22 (8-0) 123 (8-0) 24 (7-4) रेक्ट नं. 71, किल्ला 23 (8-0) रेक्ट नं. 76 किल्ला 4 (8-0) 7 (6-4) 9 (8-0) माप 134 कनाल 6 मरला का 41/ 2686 शेयर अर्थात कनाल 2 कनाल 1 मरला 1240 वर्ग यार्ड्स में भूमि, भवन एवं मशीनरी।
चौहद्दी: उत्तरः 171' 9'' भीम सिंह की भूमि, दक्षिणः 177' 9'' श्री विनोद की भूमि,
पूर्वः 65' पक्का रास्ता, पश्चिमः 65' भूमि श्री मनोज का।

तिथि: 28.10.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
एसवीएएससीए इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एसवीएएससीए इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12.05.1997
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U28999DL1997PLC087192
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : रोड सं. 08, मकान नं. 10 (एसएफ) ईस्ट पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110026 यूनिट नं. 1-48वाँ माइल स्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, ग्राम-पृथला, जिला पलवल, हरियाणा-12102 यूनिट नं. 2, प्लॉट नं. 19, सेक्टर-6, आईआईई एसआईडीसीयूएल, पंत नगर, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड-263153
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋणशोध अक्षमता आरंभन तिथि	22 अक्टूबर, 2019 (31 अक्टूबर, 2019 को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	ऋणशोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समाप्त होने की अनुमानित तिथि	19 अप्रैल, 2020
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋणशोध अक्षमता पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री शशि शर्मा पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-2019/12093
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पता तथा ई-मेल	श्री शशि शर्मा डी-8, गली नं. 7, शिव राम पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली-110041 ईमेल: shashi@firmca.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के साथ प्रयुक्त होने वाले पत्राचार का पता तथा ई-मेल	श्री शशि शर्मा यूजी-12, कीर्ति शिखर कॉम्पलेक्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी नई दिल्ली-110058 मेल आईडी : irp.svasca@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	14 नवम्बर, 2019 (आदेश प्राप्ति की तिथि से चौदह दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार प्रयोज्य नहीं।
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : यूजी-12, कीर्ति शिखर कॉम्पलेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को एसवीएएससीए इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋणशोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
एसवीएएससीए इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 14 नवम्बर 2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
वित्तीय लेनदार प्रमाण सहित अपने दावे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार प्रमाण सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि एवं स्थान :
3 नवम्बर, 2019
नई दिल्ली

ह./-
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम एवं हस्ताक्षर शशि शर्मा
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-2019/12093

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
शाखा कार्यालयः पटेल नगर, कॉटेज नं. 21 (जीफ) बलराज खन्ना मार्ग, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली फोन नं: 011-25883902, ई-मेल: vb6067@vijayabank.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV खनियम 8(1) देखे,
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि निम्नहस्ताक्षरकर्ता विजया बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, **ऋणी मैसर्स गौर ट्यूर एवं ट्रावेल्स एवं पार्टनर्स/जमानतदार श्री रमेश चन्द्र गौर पुत्र श्री शिव चरन शास्त्री एवं श्री गौरव गौर पुत्र श्री रमेश चन्द्र गौर एवं जमानतदार श्री अभिजीत कुमार पांडे** पर मांग सूचना दिनांक 01.06.2018 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रू. 31,59,157.38 (रूपये इकतीस लाख उनसठ हजार एक सौ सतावन एवं अड़तीस पैसा मात्र) दिनांक 31.05.2018 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे सूचना में उल्लेखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक **30, माह अक्टूबर, वर्ष 2019** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावन

आरसीईपी का हिस्सा नहीं बनने से भारत का निर्यात व निवेश होगा प्रभावित : सीआइआइ

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

देश के एक प्रमुख वाणिज्य व उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है। समझौते का हिस्सा नहीं होने से व्यापार के मामले में भारत समूह के अन्य 15 देशों की प्राथमिकता सूची से अलग-थलग पड़ जाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) का यह बयान इस लिहाज से काफी अहम लगता है कि देश के कुछ उद्योग क्षेत्र इस समझौते के खिलाफ हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के प्रस्तावित समझौते को लेकर कुछ घरेलू उद्योगों ने शुल्क संबंधी मुद्दे उठाए हैं।

आरसीईपी देशों के नेताओं की शिखर बैठक सोमवार को बैंकाक में होने जा रही है। बैठक में इस वृहद व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक स्तर पर अहम वार्ता हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकाक के लिए रवाना होने से पहले शनिवार को कहा कि जब वह आरसीईपी की शिखर बैठक में भाग लेंगे तो भारत यह देखेगा कि माल व सेवाओं के व्यापार और निवेश में उसके हितों को पूरी तरह से समझौते में समायोजित किया गया है या नहीं।

सीआइआइ का कहना है कि आरसीईपी का हिस्सा नहीं होने से वैश्विक और क्षेत्रीय श्रृंखला के साथ जुड़ने के भारत के प्रयासों में रुकावट आएगी क्योंकि जितने भी तरजीही और व्यापक आधार वाले समझौते होते हैं, उनसे समूची श्रृंखला में निवेश और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

सीआइआइ ने कहा कि समझौता होने के बाद आरसीईपी समूह में शामिल देशों के साथ व्यापार बढ़ने की संभावना है। समूह का हिस्सा होने के नाते भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होंगे और उसका निर्यात बढ़ेगा। समूह का हिस्सा नहीं होने की स्थिति में भारत को इन देशों के बाजारों में तरजीही पहुंच नहीं मिलेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का भी नुकसान होगा।

उद्योग जगत के मुताबिक 16 सदस्य देशों का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौता दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक समूह होगा जिसमें सदस्यों को मुक्त व्यापार की सुविधा होगी। यह समूह यूरोपीय संघ से भी बड़ा समूह होगा। 2017 के मुताबिक आरसीईपी देशों में दुनिया की 47.6 फीसद आबादी रहती है और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 31.6 फीसद हिस्सेदारी रखते हैं। वैश्विक व्यापार में इन देशों का हिस्सा 30.8 फीसद है।

'देश के हर जिले में आयुष अस्पताल खोलेगी सरकार'

हैदराबाद, 3 नवंबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि सरकार अगले तीन-चारसालों में देश के हर जिले आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) अस्पतालों की स्थापना करेगी।

उन्होंने बताया कि सौ से अधिक ऐसे 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पतालों का काम पहले ही पूरा हो चुका है। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिल रहे हैं और अगले तीन-चार वर्षों में सभी जिलों में आयुष अस्पताल बनेंगे। आयुष राज्यमंत्री ने कहा कि हम एक योजना लाए हैं, जिसके तहत हर जिले में आयुष अस्पताल (चाहे वह आयुर्वेद हो, यूनानी हो) जरूरत के हिसाब से उसकी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुष प्रणाली मनुष्य के पूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए है।

वीआरएस व संपत्तियों के मौद्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएं बीएसएनएल-एमटीएनएल : प्रसाद

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा)।

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दिशानिर्देशों और संपत्तियों को बेचने या पट्टे पर देने जैसे मौद्रीकरण उपायों पर तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि प्रसाद ने इन कंपनियों को स्पष्ट किया है कि उन्हें दूरसंचार बाजार में अधिक आक्रामक बनना होगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्री ने दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों के साथ बैठक में साफ कहा था कि उन्हें सरकार की ओर से 'मजबूत प्रोत्साहन पैकेज' दिया गया है और अब उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए कदम उठाने होंगे।

सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरोद्धार के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों कंपनियों के विलय के अलावा उनकी संपत्तियों के मौद्रीकरण के अलावा कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाना भी शामिल है। इन कदमों से सामूहिक इकाई दो साल में लाभ में आ सकेगी।

प्रसाद ने एक नवंबर को हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन कंपनियों से कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना को तत्काल अंतिम रूप देने को कहा था और योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने को कहा था। मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वह इसमें हुई प्रगति की निगरानी स्वयं करेंगे। उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे चर्चा करने को भी कहा। मंत्री ने कंपनियों को निर्देश भी दिया था कि वे जल्द से जल्द अपनी संपत्तियों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करें। सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने दोनों कंपनियों को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ओर से एक उदार पैकेज के बाद उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के विलय की योजना को मंजूरी दी गई थी। एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली में सेवाएं देती है। वहीं बीएसएनएल शेष भारत में सेवाएं देती है।

'भारत की अगुआई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की ओर'

वाशिंगटन, 3 नवंबर (भाषा)।

भारत की अगुआई में दक्षिण एशिया वैश्विक वृद्धि का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2040 तक वृद्धि में इसका अकेले एक तिहाई योगदान हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने हालिया शोध में यह बात कही।

मुद्रा कोष के भौगोलिक विभाजन में दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव शामिल हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इसमें जगह नहीं दी गई है। आइएमएफ के एक दस्तावेज 'क्या वृद्धि के लिए दक्षिण एशिया तैयार : सतत व समावेश वृद्धि एजंडा' में कहा गया कि बुनियादी ढांचे में सुधार और युवा कार्यबल का सफलतापूर्वक लाभ उठाकर यह क्षेत्र 2040 तक वैश्विक वृद्धि में एक तिहाई योगदान दे सकता है।

आइएमएफ की एशिया व प्रशांत विभाग की उपनिदेशक एनी मेरी गुलडे वोल्फ ने कहा कि हम दक्षिण एशिया को वैश्विक वृद्धि केंद्र के रूप में आगे बढ़ता हुए देख रहे है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी रुझानों के आधार पर 2030 तक इस क्षेत्र के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के श्रम बाजार में कदम रखने की उम्मीद है। वोल्फ ने कहा- हमारे पास एक क्षेत्र है जिसके पास काफी युवा आबादी है। इस क्षेत्र में हाल में अच्छीखासी तेजी देखी गई है।

मुद्रा कोष ने अपने दस्तावेज में कहा कि रोजगार आधारित वृद्धि की मदद से यह युवा और व्यापक श्रमबल दक्षिण एशिया की ताकत बन सकता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का संतुलित तरीके से लाभ उठा सकता है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया के कई देशों के अपने नीतिगत सुझाव हैं लेकिन इनमें राजस्व जुटाना और राजकोषीय समेकन, अधिक व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर उदारीकरण और लोगों पर निवेश जैसी चीजें शामिल होनी चाहिए।

आइएमएफ की शीर्ष अधिकारी ने कहा- उसे लगता है कि भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि वह देश में पहले से मौजूद अवसरों का लाभ उठा सके। वोल्फ ने कहा कि भारत में पहले से ही अच्छी शिक्षा प्रणाली है। हालांकि उसे विनिर्माण क्षेत्र में कुछ करने की जरूरत है, जहां भारत की स्थिति कमजोर है। अहम मुद्दा यह है कि कैसे विनिर्माण आधार को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि भारत को निजी क्षेत्र की वृद्धि के लिए बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है।

IDBI BANK
(CIN-L65190MH2004GOI148838)

आईडीबीआई बैंक लि., 1ला तल, विडियोकॉन टावर, ई-1, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली- 110055
फोन: 011-66083075, 011066083056, 011-66083001

ई-नीलामी सूचना

आईडीबीआई बैंक लि. (आईडीबीआई) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा 05 दिसम्बर, 2019 को एआर, आईडीबीआई बैंक लि. द्वारा कब्जे में ली गई श्री सत्यपाल मौर्य (ऋणधारक) की नीचे वर्णित सम्पत्ति की प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बिक्री के लिये बोलियां/प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

1. **सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण**
यूनिट नं. ई 1403, टावर ई, 14वां तल टाइप 2 बीएचके 850 वर्ग फीट अंजारा होम्स जीएच-03, सेक्टर 16 बी, जिला गौतम बुध नगर, ग्रेटर नोएडा
2. 18.10.2019 को आईडीबीआई बैंक लि. की बकाया राशि रु. 12,66,187/- तथा 10.10.2019 से उस पर ब्याज तथा विधिक चार्जेज है।
3.

आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी	निरीक्षण की तिथि	मुहरबंद बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि
रु. 25,84,000/-	रु. 2,58,400/-	18.11.2019 से 22.11.2019 (3.00 बजे अप से 4.30 बजे अप.)	30.11.2019 के 5.00 बजे अप. तक	5.12.2019 (11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोप.

बोली दस्तावेज में शामिल नियमों एवं शर्तों की सूची:
1. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर अर्थात आईडीबीआई बैंक लि. के लिये तथा उनकी ओर से ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर की जायगी।
2. उपरोक्त सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जायेगी।
3. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान आईडीबीआई बैंक लि. के पक्ष में डीडी/ पीओ द्वारा अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 41337000010052, आईएफएससी कोडः IBKL0000413, शाखा विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली के पक्ष में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।
4. धरोहर राशि (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। एओ बोली खुलने की तिथि से 3 माह तक शीर्ष के तीन बोलीदाताओं की ईएमडी सुरक्षित रख सकते हैं।
5. सफल बोलीदाता की बिक्री की पुष्टि के समय में 25% बिक्री मूल्य (जमा की गई ईएमडी घटाकर) का भुगतान करना होगा। शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा एओ द्वारा स्वीकृत विस्तारित अवधि में किया जायेगा। निर्धारित अवधि में शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर धरोहर राशि सहित जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को सभी आवश्यक खर्चे जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण खर्चे, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के अंतरण के लिये कर देयताऐं, यदि कोई हो, का वहन करना होगा।
7. यह बिक्री पूरी तरह से इस विज्ञापन तथा ''बोली दस्तावेज'' में दी गई नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। बोली दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्य दिवसों को प्राप्त की जा सकती है अथवा आईडीबीआई की वेबसाईट अर्थात् www.idbi.com तथा साथ हीं https://www.bankeaucations.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।
8. यह नीलामी वेबसाईट https://www.AuctionTiger.net पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सम्पर्क श्री विनोद चौहान, सेलः +91 9813887931/ फोनः +91-124-4302020, ई-मेल आईडीः Delhi@c1india.com तथा support@bankeauctions.com के माध्यम से की जायेगी।
9. इच्छुक पार्टी सुश्री रंजना एस प्रसाद (011-66083075 एवं + 91-9810449799- ईमेल आईडी- ranjana.prasad@idbi.co.in) से अथवा सुश्री दीपिका कुमार (011-66083056 एवं +91-8527209566, ई-मेल आईडी :Deepika_s@idbi.co.in) से सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम-8 (6) के अंतर्गत 30 दिनों के सांविधिक बिक्री सूचना)

एतदद्वारा ऋणधारकों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि अद्यतन ब्याज सहायक/लीगल खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का नीलामी से पूर्व भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी।
स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 4.11.2019 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथिः 12.11.2019

Varanasi -Lanka: MOS-157, MGL-886, MSL-11921, MUL-1811, 1834, 1844, 1855, 1881, 1887, 1888, 1909, 1917, 1927, 1942, 1967, 1975, 1986, 1999, 2044, 2045, 2049, 2058, 2085, 2101, 2117, 2120, 2132, 2147, 2162, 2196, 2216, 2289, 2338, 2341, 2372, 2376, 2379, 2461, 2499, 2500, 2502, 2517, 2520, 2525, 2535, 2573, 2585, 2597, 2619, 2622, 2625, 2635, 2641, 2658, 2661, 2670, 2673, 2680, 2682, 2714, 2897, 2957, 2973, 2991, 3067, 3172, 3377, 3411, 3435, **Maldahiya:** MAL-678, MSL-6570, 6872, 6873, MUL-842, 851, 866, 869, 896, 898, 919, 937, 938, 939, 942, 958, 972, 976, 984, 992, 1000, 1047, 1048, 1050, 1062, 1065, 1076, 1126, 1153, 1212, 1217, 1221, 1225, 1237, 1251, 1296, 1381, 1390, 1399, 1404, **Chet Ganj:** MAL-428, MUL-695, 734, 753, 766, 767, 790, 793, 795, 796, 819, 829, 832, 881, 896, 897, 911, 916, 922, 927, 928, 935, 939, 964, 974, 986, 1017, 1043, 1066, 1172, **Nadesar:** MGL-622, MHP-6, MSL-5060, 5104, MUL-36, 987, 1016, 1035, 1036, 1043, 1078, 1091, 1108, 1142, 1183, 1202, 1245, 1257, 1279, 1290, 1305, 1333, 1345, 1358, 1376, 1379, 1389, 1395, 1398, 1402, 1416, 1457, 1517, 1669, 1681, 1733, 1783, **Varanasi-Luxa Road:** MSL-3777, MUL-16, 512, 517, 527, 575, 595, 605, 613, 617, 618, 653, 659, 714, 828, 831, 864, 877, 926, 939, **Visheshwarganj:** MAL-761, 980, MSL-8656, MUL-324, 1198, 1199, 1205, 1212, 1246, 1255, 1289, 1316, 1346, 1347, 1367, 1377, 1399, 1401, 1419, 1446, 1454, 1467, 1469, 1489, 1510, 1533, 1534, 1569, 1576, 1588, 1592, 1593, 1594, 1612, 1619, 1620, 1622, 1660, 1672, 1678, 1682, 1689, 1707, 1717, 1718, 1790, 1792, 1807, 1881, 1935, 1959, 1963, 2000, 2018, 2029, **Mehmoorganj:** MAL-787, 895, MHL-107, MUL-570, 962, 1096, 1277, 1287, 1293, 1296, 1316, 1330, 1332, 1372, 1388, 1391, 1403, 1411, 1450, 1477, 1484, 1485, 1500, 1540, 1547, 1551, 1556, 1577, 1580, 1596, 1600, 1601, 1657, 1671, 1675, 1708, 1770, 1807, MWS-109, 144, 174, 178, 205, 212, 227, 244, 275, 276, 280, 340, 366, 374, 377, 402, 403, 405, 417, 440, 553, 555, **Ardali Bazar:** MAL-509, MSL-2788, 11901, MUL-331, 650, 1345, 1693, 1704, 1708, 1727, 1767, 1791, 1807, 1809, 1838, 1846, 1850, 1881, 1914, 1935, 1942, 1943, 1949, 1967, 1974, 1975, 1991, 2006, 2017, 2018, 2021, 2024, 2028, 2053, 2077, 2101, 2142, 2150, 2151, 2160, 2188, 2199, 2243, 2272, 2362, 2401, 2407, 2433, 2495, 2511, 2541, 2573, 2611, 2628, 2714, MWS-16, **Bhelupur:** MUL-706, 817, 827, 855, 874, 888, 910, 932, 957, 1000, 1030, 1034, 1041, 1095, 1100, 1157, 1172, 1222, **Sunderpur:** MAL-223, MSL-5165, MUL-805, 1318, 1325, 1326, 1343, 1358, 1359, 1372, 1392, 1423, 1443, 1455, 1472, 1479, 1509, 1517, 1538, 1545, 1547, 1570, 1575, 1613, 1621, 1643, 1651, 1667, 1680, 1693, 1703, 1729, 1732, 1756, 1766, 1778, 1784, 1785, 1788, 1810, 1826, 1838, 1854, 1880, 1887, 1889, 1901, 1907, 1917, 1964, 1968, 1972, 1977, 2080, 2095, 2103, 2177, 2187, 2205, 2277, 2425, **Pahariya (Up):** MUL-120, 559, 591, 612, 615, 638, 641, 644, 658, 661, 664, 673, 707, 733, 734, 762, 790, 818, 840, 846, 851, 861, 863, 875, 877, 884, 888, 894, 895, 924, 926, 952, 1307

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथिः 12.11.2019

Varanasi-Lanka: MAL-1639, MUL-1773, 1893, 1965, 1997, 2582, 2966, 3218, 3702, **Varanasi-Nadesar:** MUL-363, **Varanasi-Luxa Road:** MUL-884, 1275, **Mehmoorganj:** MAL-1366, MOL-574, 587, MUL-2162, MWS-153, **Ardali Bazar:** MUL-318, 503, 1652, **Varanasi-Bhelupur:** MUL-1232, 1582, 2011, **Pahariya (UP):** MUL-2216

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **13th & 14th November 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Second Floor, Property No.-D-59/103, D-4, Aggarwal Building, Sigra, Mehmoorganj Road, Sigra, Varanasi-UP** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में तथा
मै. एन्डु इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय है: एफ-14, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052, के मामले में - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

एफ-14, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052
आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली **नरेन्द्र कुमार जैन**
तिथिः 2.11.2019 **DIN: 00549445**
एफ-14, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052

सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड
CIN No. L15511DL1985PLC021272
पंजी. कार्यालयः 3/14 ए, 01ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009, फोनः 011-27132054
ईमेलः sunrisedistillerieslimited@gmail.com
वेबसाईट : www.sunrisedistilleries.com
सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर 2019 को 12.00 बजे अप. में 3/14ए, 1ला तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के स्टैंडएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे तथा एजेंडा के अन्य मदों पर विचार किए जाएंगे।

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि यदि आगामी बैठक में विचार किये जाने के लिये उनका कोई प्रश्न हो तो धारित शेयरों की संख्या के साथ अपने नाम, पते, फोलिओ नं./डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी के साथ बोर्ड की बैठक से पूर्व वर्ड फाइल में अपना प्रश्न sunrisedistillerieslimited@gmail.com पर भेजें।

बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.sunrisedistillerieslimited.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.msei.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
सनराइज डिस्टिलरीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थानः दिल्ली **कमल जैन डूगड़**
तिथिः 2.11.2019 **(प्रबंध निदेशक)**
DIN: 06825945
पताः 7, प्रिय दर्शनी विहार, पार्ट-2, विजय नगर, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (दूसरी मंज़िल)
8-9, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

लखनऊ महोत्सव 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पवेलियन का निर्माण

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ महोत्सव में पवेलियन निर्माण के लिये फर्मों/कंपनियों से निविदायें आमंत्रित करता है। निविदायें नवंबर **14, 2019** को **14:00** बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिये कृपया हमारी वेबसाइट **www.rbi.org.in** पर लिंक ''टेंडर'' के तहत जाएँ।

लखनऊ
दिनांकः 04.11.2019 **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथिः 11.11.2019

Jaipur - M.I. Road: MAL-1874, MHL-206, MSL-38935, 44132, 44169, MUL-1713, MWS-501, 580, 709, 710, 712, 724, 725, 733, 737, 806, 835, 841, 848, 866, 868, 886, 887, 900, 990, 1009, 1024, 1038, 1047, 1108, 1109, 1142, 1152, 1157, 1225, 1232, 1254, 1409, 1416, 1419, 1591, 1732, 1752, 1757, 1764, 1911, 1944, 2393, 2420, 2655, 2918, **Rajapark:** MLS-144, 146, MUL-1274, 2359, 2379, 2426, 2439, 2463, 2464, 2472, 2498, 2499, 2500, 2504, 2548, 2615, 2645, 2767, 2930, 2975, 3013, 3082, 3107, 3119, 3198, 3210, 3285, 3358, 3446, 3479, 3509, 3515, 3935, 3954, 4436, **Tonk Road:** MUL-621, 824, 1128, 1133, MWS-308, 370, 374, 411, 420, 477, 575, 929, 1114, 1205, 1229, 1302, 1403, 1537, **Vaishali Nagar:** MWS-278, 280, 311, 378, 408, 418, 440, 445, 446, 500, 580, 668, 742, 827, 894, 944, 1181, 1467, 1651, 2098, **Manasarovar:** MWS-219, 295, 296, 297, 319, 386, 404, 418, 440, 538, 743, 843, 853, 869, 870, 1061, 1086, 1112, 1124, 1366, 1463, 1587, 1810, 1852, **Vidyadhar Nagar:** MAL-1393, MUL-1023, 1450, 1954, 2400, 2425, 2524, 2531, 2586, 2603, 2627, 2631, 2659, 2668, 2732, 2733, 2865, 2891, 2895, 2924, 2992, 3098, 3189, 3202, 3292, MWS-62, 761, 940, 1103, **Johari Bazar:** MAL-2270, MSL-37898, 38113, 38134, MUL-544, 1774, 2255, 2394, 3554, 3607, 3610, 3615, 3622, 3631, 3653, 3658, 3675, 3677, 3694, 3715, 3736, 3741, 3747, 3751, 3764, MWS-77, 78, 122, 146, 148, 149, 158, 169, 182, 220, 240, 245, 251, 264, 270, 296, 320, 342, 357, 378, 383, 408, 447, 451, 481, 533, 550, 585, 754, 786, 825, 979, 985, 1027, 1063, 1108, 1112, 1210, 1281, 1355, 1419, 1457, 1495, 1506, 1510, 1692, 1696, 1697, 1783, 1789, 1835, 1844, 1984, 1986, 1987, 2063, 2135, 2323, 2438, 2577, 2622, 2654, 2674, 2675, 2735, 2903, 2954, 3164, 3335, 3376, 4218, 4284, 4475, **Malviya Nagar:** MSL-15239, MUL-254, 683, 1046, 1271, 1586, 1587, 1646, 1675, 1735, 1756, 1765, 1766, 1798, 1821, 1850, 1894, 1930, 1934, 1998, 2010, 2086, 2251, 2275, MWS-169, 285, 435, 436, 622, 852, **Jaipur - Sodala:** MAL-1547, MUL-1333, 1848, 2155, 2498, MWS-407, 625, 628, 629, 677, 692, 768, 838, 840, 841, 853, 863, 883, 894, 898, 921, 952, 976, 990, 1026, 1070, 1096, 1125, 1132, 1149, 1174, 1176, 1253, 1262, 1506, 1623, 1715, 1762, 1806, 1835, 1856, 1873, 1884, 1885, 1993, 2110, 2135, 2234, 2375, 2442, 2626, 2685, 2776, 2971, 3228, **Jhotwara:** MSL-13690, 13734, 14543, MUL-38, 450, 1274, 1275, 1370, 2073, 2497, 2508, 2524, 2552, 2565, 2594, 2661, 2663, 2664, 2670, 2684, 2692, 2695, MWS-44, 45, 67, 154, 212, 310, 373, 397, 445, 463, 495, 651, 677, 704, 750, 892, 926, 930, 1145, 1166, 1307, 1419, 1653, 1707, 1869, 1916, 2082, 2534, 2568, **Jaipur - DCM:** MSL-3738, 3740, 3763, 3779, 3780, MUL-587, 1212, 1305, MWS-396, 505, 541, 547, 586, 613, 702, 845, 867, 1120, 1230, 1311, 1377, 1459, 1497, 1628, 2082, PPL-2475, **Jaipur Rajth Path Mansarovar:** MSL-11601, MUL-1069, 1136, 1140, 1148, 1179, 1277, 1282, 1505, 1533, 1542, 1548, 1559, 2048, 2088, 2274, **Subhash Nagar:** MUL-749, 1119, 1245, 1289, 1314, 1401, 1429, 1433, 1520, 1740, 1751, 1785, MWS-68, 255, 258, 375, 410, 505, 593, 758, **Khatipura:** MUL-1231, 1232, 1233, 1266, MWS-255, 261, 287, 312, 353, 428, 476, 486, 526, 584, 586, 643, 989, 992, 1081, 1132, 1134, 1143, 1248, 1251, 1928, **Gandhi Path Queens Road:** MUL-1016, 1017, 1048, 1106, 1231, 1350, 1503, 1621, **Mahesh Nagar:** MUL-908, 960, 969, 985, 994, 1000, 1001, 1005, 1007, 1008, 1009, 1024, 1043, 1044, 1095, 1096, 1164, 1245, 1284, 1288, 1304, 1334, 1335, 1345, 1389, 1760, **Kishanpole Bazar:** MUL-1909, 1916, 1918, 1923, 1981, 2061, 2167, 2170, 2207, MWS-126, 188, 211, 456, 465, 512, 545, 644, 677, 891, 923, 968, 973, 1197, 1243, 1361, 1442, 1462, 1844, **Jaipur-Kalwar Road:** MSL-23304,

समर्थन के लिए अपराधियों, सरकारी एजंसियों का इस्तेमाल : राउत

मुंबई, 3 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर बने गतिरोध के बीच वरिष्ठ शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि नव-निर्वाचित विधायकों को समर्थन के लिए मजबूर करने की खातिर आपराधिक तत्वों और सरकारी एजंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

राउत ने यह भी कहा कि दोनों पार्टियों (भाजपा और शिवसेना) के बीच बातचीत सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए होगी और अगर ऐसा नहीं होता तो 'हमारे पास शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा।' उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को 170 से अधिक विधायकों का समर्थन मिलेगा। राउत ने 24 अक्तूबर को राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की चुप्पी को रहस्यमय करार दिया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह जल्द ही खुलासा करेंगे कि विधायकों को मजबूर करने के लिए किस तरह आपराधिक तत्वों और सरकारी एजंसियों का साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'मुझे जानकारी मिली है कि शपथग्रहण के लिए गेस्ट हाउस,

कहा, भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए जगह तय की मगर सरकार बनाने का दावा नहीं किया

वानखेड़े स्टेडियम, महालक्ष्मी रेसकोर्स बुक किया गया है। लेकिन भाजपा ने अभी तक सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं किया है?' उन्होंने कहा कि शिवसेना के एक मुख्यमंत्री मुंबई के दादर क्षेत्र में शिवाजी पार्क में शपथ लेंगे और दावा किया कि उनकी पार्टी को 170 से अधिक विधायकों का समर्थन मिलेगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार गठन का रिमोट कंट्रोल अब उनकी पार्टी के पास है, राउत ने कहा, 'यह कोई खेल नहीं है, बल्कि शिवसेना के लिए विश्वास, आत्म-सम्मान और सच्चाई का मामला है।' उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र ने कभी भी झूठ को बर्दाश्त नहीं किया है। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं कि क्या तय हुआ था, तो लोग आपको सबक सिखाएंगे। बाधा उन लोगों से है जो झूठ बोलते हैं।' राउत ने कहा कि अगर भाजपा अध्यक्ष और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठते हैं तथा इस पर चर्चा करते हैं तो गतिरोध का हल किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'अमित शाह की चुप्पी रहस्यमय है।' राउत ने कहा, 'वह (शाह) स्पष्टवादी नेता हैं। वह स्वीकार करते हैं कि क्या तय किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र नतीजों के बाद उन्होंने राज्य की ओर ध्यान नहीं दिया है।'

इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य में मंत्री गिरीश महाजन ने नाशिक में संवाददाताओं से कहा कि सरकार गठन से संबंधित गतिरोध नौ नवंबर तक सुलझा लिया जाएगा, उस दिन वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हुई, शिवसेना ने राकांपा से किया संपर्क

मुंबई, 3 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच सियासी हलचल और तेज हो गई है। रविवार को नई दिल्ली में राकांपा नेता शरद पवार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले शिवसेना राकांपा से संपर्क साधती प्रतीत हुई।

शिवसेना द्वारा गठबंधन सहयोगी भाजपा के अलावा अन्य विकल्प तलाशने की अटकलों को रविवार को उस समय बल मिला जब राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने पत्रकारों को शिवसेना सांसद संजय राउत का फोन पर आया संदेश दिखाया, जिसमें राउत की ओर से औपचारिक परिचय और अभिवादन दिया गया।

भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है, जिसके चलते सरकार गठन में देरी हो रही है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना सरकार गठन के लिए राकांपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। राउत की ओर से पवार को भेजे संदेश में लिखा है, 'नमस्कार, मैं संजय राउत। जय महाराष्ट्र।'

ठाकरे और फडणवीस बारिश प्रभावित इलाकों के दौरे पर

मुंबई/अकोला, 3 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य में उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे है, जहां बेमौसम बारिश के कारण फसल नष्ट हुई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि फडणवीस ने रविवार को अकोला में किसानों से मुलाकात की और फसलों के नुकसान का मुआयना किया। वहीं, शिवसेना की ओर से जारी बयान के अनुसार ठाकरे रविवार को औरंगाबाद जिले में पहुंचे जहां कन्नड़ और वैजापुर तालुका में फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

फडणवीस ने रविवार सुबह अकोला के महेशपुर,लखनवाड़ा, कपाशी और चिखलगांव का दौरा किया तथा उन किसानों के साथ चर्चा की जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है। फडणवीस ने जिला अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिया है कि वे छह नवंबर तक फसलों को हुए नुकसान के सर्वेक्षण का काम पूरा करें और हर जिले में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन जरूर बनाई जाए।

स्थानीय अधिकारियों ने दौरे के दौरान कहा कि जिले में करीब तीन लाख हेक्टेयर के अनुमानित इलाके में कपास, सोयाबीन और ज्वार की फसल को नुकसान पहुंचा है।

अमित शाह से आज मिलेंगे फडणवीस

मुंबई, 3 नवंबर (भाषा)

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा और शिवसेना के मध्य गतिरोध और बेमौसम बारिश से फसल की बर्बादी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए सोमवार को दिल्ली रवाना होंगे।

हालांकि सूत्रों ने कहा कि फडणवीस की शाह से मुलाकात के दौरान बेमौसम बारिश से प्रभावित राज्य के किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद दिलाने पर चर्चा होगी।

भाजपा-जजपा सरकार ज्यादा समय नहीं चलेगी : अभय चौटाला

चंडीगढ़, 3 नवंबर (भाषा)।

हरियाणा में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने चौटाला परिवार में आपसी विवाद दूर होने की संभावनाओं को धूमिल करते हुए रविवार को अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जजपा पर आरोप लगाया कि उसने 'स्वार्थी हितों' के कारण भाजपा के साथ चुनाव के बाद गठबंधन किया। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में गठबंधन सरकार बहुत समय नहीं चलेगी।

अभय चौटाला ने यहां पार्टी की राज्य कार्यकारिणी बैठक के इतर संवाददाताओं से कहा, 'वे अपने स्वार्थी हितों के लिए एक साथ आए हैं।' हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला का यह विवादास्पद बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले उनके बड़े भाई अजय चौटाला ने उनसे मुलाकात करके परिवार में सुलह की उम्मीद जगाई थी। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने भाजपा नीत राज्य सरकार में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।

अभय चौटाला ने भाजपा-जजपा गठबंधन के बारे में कहा कि उनके भतीजे के नेतृत्व वाले दल और भाजपा ने हालिया विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का कड़ा विरोध करने के बाद हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दुष्यंत चौटाला को 'गप्पू' कहते थे जबकि जजपा विभिन्न मोर्चों पर भाजपा को घेरती थी।

अभय चौटाला ने कहा, 'अब उन्होंने लोगों के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थी हितों के लिए हाथ मिला लिया है। इस प्रकार के गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिकते और सरकार अंततः गिर जाएगी।' उन्होंने कहा कि दोनों दल अब सरकार में प्रभार के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे हैं। उन्होंने अपने भतीजे पर निशाना साधते हुए कहा कि हिसार से सांसद के रूप में दुष्यंत ने किसानों का समर्थन जीतने के लिए संसद तक ट्रैक्टर भले ही चलाया हो, लेकिन उन्हें 'कृषि के बारे में कम ही जानकारी है।' अभय चौटाला ने भाजपा के बारे में दावा किया कि उन्होंने उसके खराब प्रदर्शन करने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा 'उन्हें (भाजपा) मिले मत (हरियाणा से) लोकसभा चुनाव में मिले वोट (58 फीसद) से 25 फीसद कम हो गए।'

मरांडी की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव

गिरिडीह, (झारखंड), 3 नवंबर (भाषा)।

झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के प्रमुख बाबू लाल मरांडी ने रविवार को विपक्ष के गठबंधन से अलग होने का एलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। झाविमो (प्र) 2019 के लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा था। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल ने झाविमो (प्र) के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन बनाया था।

सेना उत्तराखंड के सीमाई इलाके में संपर्क बढ़ाने में मदद करेगी : जनरल रावत

नई टिहरी, 3 नवंबर (भाषा)।

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रविवार को कहा कि थल सेना और वायु सेना चीन से लगती सीमा के पास के इलाकों में संपर्क, आधारभूत संरचना और दूरसंचार सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार को हरसंभव सहायता देगी।

उन्होंने कहा कि सीमा से लगे राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक हवाई पट्टी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा, 'हम लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और चीन से लगते राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक हवाईपट्टी निर्माण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।' दूरदराज के पर्वतीय इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकास पर चर्चा के लिए राज्य प्रायोजित कार्यक्रम 'रैबार' के दूसरे संस्करण में जनरल रावत ने अपने संबोधन में कहा, 'ऊंचाई वाले दूरदराज के सीमाई क्षेत्रों में हवाई, रेल या सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को थलसेना या वायुसेना की ओर से सभी तरह की मदद दी जाएगी।'

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई-नीलामी बिक्री सूचना
तिरुपति इंक्स लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः लेखराज बजाज (आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00039/2016-17/10078)
ई-मेलः rplekhrajbajaj.tirupatiinksltd@gmail.com, lekhrajbajaj@rediffmail.com, फो. नं. 9810109335

नीलामी की तिथि एवं समयः सोमवार, 25 नवम्बर 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

अधोलिखित विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो कुछ भी वहां है आधार'' तथा ''उपचार-रहित आधार'' पर परिसमापक के कब्जे में निम्न परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये 23 नवम्बर 2019 के 5.00 बजे अप. से पूर्व एतद्द्वारा इच्छुक व्यक्तियों/भागीदारों से प्रस्ताव आमंत्रित हैं जो ई-नीलामी प्लेटफार्मः http://ncltauction.auctiontiger.net पर ऑन-लाइन जमा की जायेगीः

लॉट नं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	बोली वृद्धि मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	डी-109-112, जीएनई पीआईपी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305 माप 3996.00 वर्ग मी. तथा डी-109-112, जीएनई पीआईपी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305 में पड़ी प्लान्ट एवं मशीनरी	7,59,00,000/- (रुपये सात करोड़ उन्सठ लाख मात्र)	76,00,000/- (रुपये छियत्तर लाख मात्र)	8,00,000/- (आठ लाख मात्र)	25 नवम्बर 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	23 नवम्बर 2019 को 5 बजे अप.

1. इच्छुक बोलीदाताओं को तिरुपति इंक्स लिमिटेड- परिसमापन में, खाता नं.: 49480200000133, बैंक ऑफ बड़ौदा, रानी बाग, दिल्ली- 110034, आईएफएससी कोड- BARBORANDEL की खाता में देय किसी अनुसूचित बैंक के दिल्ली में भुगतान योग्य डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा।
2. विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये देखें: http://ncltauction.auctiontiger.net/bidders अथवा सम्पर्क करें: परिसमापक, लेखराज बजाज से 9810109335, 011-41451023 पर अथवा lekhrajbajaj@rediffmail.com अथवा rplekhrajbajaj.tirupatiinksltd@gmail.com पर ईमेल करें।

हस्ता./-
लेखराज बजाज
तिरुपति इंक्स लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक
IBBI पंजी.सं. IBBI/IPA-002/IP-N00039/2016-17/10078
पताः 107, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, समीप एम2के के पीतमपुरा, दिल्ली-110034
ई-मेलः rplekhrajbajaj.tirupatiinksltd@gmail.com, lekhrajbajaj@rediffmail.com
तिथिः 4.11.2019
स्थानः दिल्ली

फॉर्म नंबर INC-26
कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार के सामने प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) के मामले में
और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) का खंड (ए) के मामले में
तथा
Supremus Developers Private Limited जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-976, ग्राउंड फ्लोर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110025 में है, के मामले में
.....आवेदक कंपनी

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन करने का इरादा किया है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 27 सितंबर 2019 को आयोजित आठवें वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से अगर किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए -21 पोर्टल (www-mca-gov-in) पर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित की प्रकृति और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्तियों प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के चौदह दिनों के भीतर ठ-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली -110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं सुपुद कर सकते है और उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजगा:
डी -976, ग्राउंड फ्लोर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली -110025
आवेदक की ओर से और उसके लिए
प्रवीण कुमार
निदेशक
दिनांक
जगह : नई दिल्ली
DIN 06645168

IEC EDUCATION LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC061053
Regd. Off.: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001
Website: www.iecgroup.in
Email: cs@iecgroup.in, **Ph:** 011-41052893
NOTICE
Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of IEC Education Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 13th Day of November, 2019 at E-216, East of Kailash, New Delhi - 110065 at 04:00 P.M., inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2019. Further, details are also available on the website of the Company i.e. at www.iecgroup.in and also on the website of BSE limited i.e. www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.
For IEC EDUCATION LIMITED
Sd/-
Navin Gupta
Place: Delhi **Managing Director**
Dated: 04.11.2019 **DIN: 00097128**

Bank of India
Relationship beyond banking
बैंक ऑफ इंडिया
झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा 3 ई/4, झंडेवालान एक्सटेंसन, नई दिल्ली 110055
फोन : 28833134 फैक्स 23513789
शुद्धिपत्र
शुद्धिपत्र डिमांड नोटिस
श्री अंकुर जैन एवं अन्य कर्जदारों के ऋण खाते के संबंध में प्रकाशित दिनांक 02.11.2019 के संदर्भ में
यह शुद्धिपत्र मैसर्स श्री अंकुर जैन एवं अन्य (कर्जदारों) के ऋण खाते के संबंध में डिमांड नोटिस प्रत्याभूति हित नियमों, 2002 के तहत, इस सामाचार पत्र के **02.11.2019** के अंक मे निम्नलिखित त्रुटियों के सुधार हेतु जारी किया गया है। **श्री हेमंत जैन,** पुत्र श्री नरेश कुमार जैन, ए-352, तृतीय तल, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087 तथा 501, विंका ब्लॉक, मीरा बाग, पश्चिमं विहार, अमरावती एंक्लेव, पंचकूला, हरियाणा-134105 जबकि, जहां भी डिमांड नोटिस में है, कर्जदार का नाम और पता इस प्रकार है:- **श्री हेमंत जैन,** पुत्र श्री नरेश कुमार जैन, ए-352, तृतीय तल, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110087 तथा 501, विंका ब्लॉक, अमरावती एंक्लेव, पंचकूला, हरियाणा-134105 एवं प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया पढा जाएं।
सूचना की शेष विषयवस्तु पूर्ववत है।
दिनांक : 24.10.2019 हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः देवबन्द, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) -247554,
कार्पोरेट कार्या. 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर्स 15-16, सेक्टर-16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
दूरभाषः 91 120 4308000 / फैक्सः 91 120 4311010-11
ई-मेलः shares@trivenigroup.com, वेबसाइटः www.trivenigroup.com,
CIN : L15421UP1932PLC022174
अंशधारकों हेतु सूचना
समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016, यथा संशोधित, (आईइपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे सभी अंश जिनके सम्बन्ध में सात या उससे अधिक वर्षो से लाभांश का दावा अथवा भुगतान नही किया गया है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरण हेतु वांछित हैं।
आईइपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सम्बंधित अंशधारकों को, जिनके वित्तिय वर्ष 2011-12 के अन्तिम लाभांश का दावा नही किया/अदत्त है तथा जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने है, आवश्यक सूचना प्रेषित की है। कथित अंशधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com पर 'Investors' Web. Link: https://www.trivenigroup.com/investor/ shareholders-information/transfer-of-shares-to-the-iepf.html अनुभाग के अंतर्गत अपलोड किया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तांतरित होने हेतु संभाव्य अंशो का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
सम्बंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2011-12 के अन्तिम एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु अपना आवेदन कम्पनी या इसके शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात कार्वी फिन्टैक प्रा.लि. (यूनिट त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को कार्वी सेलेनियम टावर - बी., प्लाट न. 31-32, गचीबोउली फाइनेंशियल डिस्ट्रीक, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 अथवा ईमेल द्वारा einward.ris@karvy.com पर कर सकते हैं। यदि अदत्त लाभांश का वैद्य दावा 18 फरवरी, 2020 को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी आईइपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी प्रावधानों का पालन करने की दृष्टि से कथित अंशो को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।
अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशो को उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारको द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।
उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित में से किसी एक से संपर्क करें: -

Corporate Office of the Company	Registrar and Transfer Agent Office
Triveni Engineering & Industries Limited (Nodal Officer and Company Secretary) Express Trade Towers, 8th Floor, Plot No. 15-16, Sector 16-A, NOIDA - 201301 (U.P.) Tel. No. 120-4308000 Email: shares@trivenigroup.com	**M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd.** (Unit: Triveni Engineering & Industries Ltd.) Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, HYDERABAD-500 032 Tel. No. 040-6716222 E-mail: einward.ris@karvy.com

कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
गीता भल्ला
समूह उपाध्यक्ष
एवं कम्पनी सचिव
एम. नं. - 9475
तिथि : 4 नवम्बर, 2019
स्थान : नोएडा, यू.पी.

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड **LIBERTY**
सीआईएन : L19201HR1986PLC033185
पंजीकृत कार्यालयः लिबर्टीपुरम, 13वीं माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
कॉर्पोरेट ऑफिसः भू तल, टावर-ए, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा
दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्सः +(91)-0124-4616222
ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही कम्पनी के 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए गैरलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते लिबर्टी शूज लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
मुनीष काकरा
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं
कम्पनी सचिव
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
तिथिः शनिवार, 2 नवम्बर, 2019

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**केएमजी ए टू जेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15.12.1999
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1999PTC102816
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	जी65ए, एलजीएफ, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आदेश की तिथि 6.8.2019 तथा आईआरपी द्वारा ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स (वित्तीय क्रेडीटर्स) से ई-मेल द्वारा आदेश 20.8.2019 को प्राप्त की गई
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	3.11.2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	संभावित प्रस्ताव आवेदक का पिछले 3 वर्षों में अधिमानतः कम्पनी के उसी प्रकार के व्यवसाय में न्यूनतम 5 करोड़ की शुद्ध सम्पत्ति होनी चाहिए।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	https://ibbi.gov.inl/webadmin/pdf/legalfram-work/2019/Feb/Insolvency%20and%20 Bankrutpcy %20Code %202016 %20(31%200f% 202016)%20upto20date%20 amendment% 2017.08.2018-1_2019-02-20%2015:59:36pdf
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	19.11.2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	28.11.2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	3.12.2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	3.12.2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	3.12.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	प्रस्ताव कर्मी आईबीसी, 2016 की धारा 29 ए तथा पूर्व योग्यता मानदंड, सीओसी द्वारा यदि स्वीकृत होता है, के अंतर्गत केवाईसी, निवेश की क्षमता प्रबंध की क्षमता तथा पात्रता की जाँच के बाद प्रस्ताव योजना/मूल्यांकन मैट्रिक्स/ सूचना मेमोरैण्डम के लिए अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेयर करेंगे।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	2.12.2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	क्रम सं. 21 के समक्ष वर्णित ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रानिक पद्धत्ति में।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	01.02.2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	संदीप कुमार भट्ट पंजी. सं. IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	संदीप कुमार भट्ट पताः 83बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार फेज-I, नई दिल्ली-110091 ई-मेलः skbmica@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	पताः 83बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार फेज-I, नई दिल्ली-110091 ई-मेलः skbmica@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	Https://ibbi.gov.in//webadmin/pdf/legalfram-work/2019/Jan/CIRP%20Regulations%20upto%2 024.1.2019_2019-01- 29%2018:49:02.pdf
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	4.11.2019

संदीप कुमार भट्ट
IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298
83बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार
फेज I, नई दिल्ली-110091
तिथिः 4.11.2019
स्थानः दिल्ली

केआरए लिजिंग लिमिटेड
CIN: L65993DL1990PLC039637
Ph. No: 0124-4746817
E: kraleasing1990@gmail.com;
W: www.kraleasing.com
पंजीकृत कार्यालयः सी-20, एसएमए को-आपरेटिव इन्डस्ट्रियल इस्टेट, जी टी करनाल रोड, दिल्ली-110033
कारपोरेट कार्यालयः प्लॉट न० 3, सेक्टर-11 आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम 122050 हरियाणा

सूचना

सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत एवं ग्रहण करने एवं कार्यसूची अनुसार अन्य व्यवसाय हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 को सायं 03:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय **प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव-122050, हरियाणा** में आयोजित की जायेगी।
"कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या के साथ **kraleasing1990@gmail.com** पर आमंत्रित है।"
मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेवसाइट **www.kraleasing.com** एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की

खबर कोना

सेपांग (मलेशिया) में रविवार को मोटो 2 विजेता दक्षिण अफ्रीका के ब्रैड बाइंडर ट्रॉफी उठाए हुए।

वियतनाम ने फीफा मैत्री मैच में भारत को 3-0 से हराया

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा) ।

वियमनाम ने भारतीय महिला टीम को हनोई में खेले गए पहले फीफा मैत्री मैच में रविवार को 3-0 से हराया। दो मैचों की शृंखला का दूसरा मैत्री मैच बुधवार को खेला जाएगा। थी न्हुंग (आठवें मिनट), थी वान (82वां मिनट) और थी थुए हांग (89वां मिनट) के गोल से वियतनाम ने आसान जीत दर्ज की। अदिति चौहान ने मैच के 12वें मिनट में शानदार बचाव कर वियतनाम की बढ़त को दोगुना करने से रोका। पहले हाफ के 30वें मिनट में बाला देवी ने शानदार प्रयास किया किया, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के पास से निकल गई। वियतनाम की टीम भारतीय रक्षापंक्ति को बार-बार छकाने में कामयाब रही लेकिन मैच के 80वें मिनट तक अदिति उन्हें गोल करने से रोकने में सफल रही। आखिरी दस मिनट में भारतीय खिलाड़ियों ने ढिलाई बरती जिसका वियतनाम ने फायदा उठाकर दो और गोल कर दिया। दो मैचों की शृंखला का दूसरा मैत्री मैच बुधवार को खेला जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने जीता यमुना कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 नवंबर।

पिछले पांच साल से दिल्ली में चल रहे यमुना कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इस बार के आयोजन में दिल्ली पुलिस, कोर्ट स्टाफ, एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली सरकार, एनजीटी और डीडीए की टीमों ने भाग लिया। यमुना कप के आयोजक व इम्वा (इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन) के अध्यक्ष राजीव निशाना ने बताया कि इस फाइनल मैच में पुलिस ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 152 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी करते हुए कोर्ट स्टाफ की टीम दिल्ली पुलिस की टीम की उम्दा गेंदबाजी के सामने टिक न सकी और फाइनल मैच में हार गई। पिछले साल की विजेता टीम दिल्ली पुलिस ने इस बार भी यमुना कप अपने नाम कर लिया।

जूनियर पुरुष हॉकी शिविर में 33 संभावित खिलाड़ी शामिल

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा) ।

हॉकी इंडिया ने सोमवार से बंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) में शुरू हो रहे जूनियर पुरुष राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए रविवार को यहां 33 संभावित खिलाड़ियों का चयन किया। यह राष्ट्रीय शिविर चार सप्ताह तक चलेगा। भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने हाल ही में नौवें सुल्तान जोहोर कप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में मलेशिया, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को हराया था। जूनियर टीम को हालांकि फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की हाथों हार का सामना करना पड़ा था। संभावित खिलाड़ियों का यह समूह पिछले एक साल से अधिक समय से एक साथ खेल रहा है और वे शिविर में कुछ पहलुओं पर काम करेंगे। हॉकी इंडिया के हाई परफार्मेंस निदेशक डेविड जान ने कहा, यह शिविर हमें सुधार करने और लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर ध्यान केंद्रित करने का मौका देगा। खिलाड़ियों को गेंद को पास देने और टीम समन्वय में सुधार करने की आवश्यकता है।

भारत से पहली बार जीता बांग्लादेश

नई दिल्ली, 3 नवंबर (भाषा) ।

अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम की नाबाद अर्धशतकीय पारी से बांग्लादेश ने 'दिल्ली की दमघोंटू धुंध' में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां सात विकेट से जीत दर्ज करके भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट के बजाय धुंध को लेकर अधिक चर्चा रही लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो केवल क्रिकेट की बात हुई।

भारत ने बांग्लादेश को 149 रन का लक्ष्य दिया और उसने 19.3 ओवर में तीन विकेट पर 154 रन बनाकर अपने क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। बांग्लादेश की यह भारत पर नौ मैचों में पहली जीत है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के खिलाफ जीत का खाता खोला बल्कि यह भी दिखा दिया कि उसकी टीम शाकिब अल हसन और तमीम इकबाल के बिना जीत दर्ज कर सकती है। अनुभवी मुशफिकुर रहीम (43 गेंदों पर नाबाद 60) ने जिम्मेदारी भरी पारी खेली। उन्होंने सौम्या सरकार (35 गेंदों पर 39) के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। कप्तान महमुदुल्लाह (सात गेंदों पर नाबाद 15) ने विजई छक्का लगाया। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सर्वाधिक 41 रन बनाए लेकिन इसके लिए उन्होंने 42 गेंदें खर्च की। ऋषभ पंत ने 26 गेंदों पर 27 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर (पांच गेंद पर नाबाद 14) और क्रुणाल पंड्या (आठ गेंद पर नाबाद 15) के प्रयासों से भारत ने आखिरी दो ओवरों में 30 रन जुटाए और छह विकेट पर 148 रन का सम्मानजनक स्कोर हासिल किया।

बांग्लादेश के लिए लेग स्पिनर अमीनुल इस्लाम बिप्लव ने 22 रन देकर दो और तेज गेंदबाज शफीउल इस्लाम ने 36 रन देकर दो विकेट लिए। दीपक चाहर (24 रन देकर एक विकेट) ने पहले ओवर में ही लिटन दास (सात) को आउट करके भारत को सकारात्मक शुरुआत दिलाई।

पहला टी-20 मैच : मेजबान सात विकेट से हारा

- मुशफिकुर रहीम ने खेली मैच जिताऊ पारी
- लगातार आठ हार के बाद बांग्लादेश के नसीब में आई जीत

पहली जीत का स्वाद चखने के बाद यूं प्रतिक्रिया देते मुशफिकुर रहीम।

धोनी को पीछे छोड़ सर्वाधिक टी-20 खेलने वाले भारतीय बने रोहित शर्मा

कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा भारत की तरफ से सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले क्रिकेटर बन गए जबकि शिवम दुबे इस छोटे प्रारूप में खेलने वाले 82वें भारतीय बन गए हैं। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को यहा अरुण जेटली स्टेडियम में अपना 99वां मैच खेला और इस तरह से उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा जिन्होंने 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं।

इनके बाद सुरेश रैना (78) और विराट कोहली (72) का नंबर आता है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने सर्वाधिक 111 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जबकि उनके हमवतन शाहिद अफरीदी के नाम पर 99 मैच दर्ज हैं। इस बीच भारत ने मुंबई के आलराउंडर शिवम दुबे को पदार्पण का मौका दिया। मुख्य कोच रवि शास्त्री ने उन्हें भारतीय कैप सौंपी। छब्बीस वर्षीय दुबे दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं।

बांग्लादेश ने भी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नईम को इस प्रारूप में पदार्पण का मौका दिया। वे बांग्लादेश की तरफ से इस प्रारूप में खेलने वाले 67वें खिलाड़ी हैं।

लक्ष्य ने जीता सारलोरलक्स ओपन का खिताब

सारब्रकेन (जर्मनी), 3 नवंबर (भाषा) ।

भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रविवार को यहां सारलोरलक्स ओपन के रोमांचक फाइनल में चीन के वेंग होंग यांग पर जीत से लगातार दूसरा बीडब्लूएफ विश्व टूर सुपर 100 खिताब अपनी झोली में डाला।

आठवें वरीय ने 59 मिनट तक चले मुकाबले में वेंग पर 17-21 21-18 21-16 से जीत हासिल की और इस सत्र में लगातार तीसरा एकल खिताब हासिल किया। उन्होंने इस सत्र में बेल्जियन अंतरराष्ट्रीय चैलेंज और डच ओपन सुपर टूर 100 ट्राफियां जीती थीं। वह इस साल पोलिश ओपन के फाइनल में भी पहुंचे थे। विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज लक्ष्य ने सीनियर सर्किट पर प्रभावित करना जारी रखा। वे जूनियर स्तर पर एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप के अलावा युवा ओलंपिक में रजत और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। उत्तराखंड के 18 साल के इस खिलाड़ी का चीनी खिलाड़ी के खिलाफ जीत का रेकार्ड इस मैच से पहले 1-2 था लेकिन उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।

भानवाल कांस्य पदक से चूके, रवि रेपेचेज दौर में

बुडापेस्ट, 3 नवंबर (भाषा) ।

अंडर-23 विश्व कुश्ती

तीन बार के विश्व जूनियर चैंपियनशिप पदकधारी साजन भानवाल (ग्रीको रोमन, 77 किग्रा) को यूडब्लूडब्लू अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक मुकाबले में रविवार को हार का सामना करना पड़ा जबकि रवि (97 किग्रा) के पास रेपेचेज दौर में पदक जीतने का मौका होगा।

तुर्की के सेरकान अक्कोयुन कांस्य पदक मुकाबले में भानवाल पर भारी पड़े। उन्होंने इस एकतरफा मुकाबले को 10-1 से अपने नाम किया। रवि को प्री-क्वार्टर फाइनल में जार्जिया के पहलवान ग्रेपियर जियोर्गी मेलिया ने 8-0 से हराया था, लेकिन बाद में वह फाइनल में पहुंच गए जिससे इस भारतीय खिलाड़ी को पदक हासिल करने का एक मौका मिल गया। रवि कांस्य पदक के प्लेऑफ में जगह पक्की करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। दिन के अन्य मुकाबलों में ग्रीको रोमन के रेपेचेज दौर में अर्जुन हालाकुरकी (55 किग्रा) को अर्मेनिया के नोराय हाखोयान से 2-10 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के 87 किग्रा भार वर्ग में सुनील कुमार ने रेपेचेज दौर के पहले मुकाबले में स्वीडन के अलेक्जेंडर स्टेपानेटिक को 5-3 से हराकर पदक की उम्मीदें जताईं लेकिन दूसरे मुकाबले में वह क्रोएशिया के इवान हुक्लेक से 3-6 से हार गए। इसके अलावा कोई भी अन्य भारतीय खिलाड़ी एक दौर में जीत दर्ज नहीं कर सका। सचिन राणा (60 किग्रा) को चीन के लिगुओ काओ ने बाहर का रास्ता दिखाया जबकि राहुल को रूस के मागोमेड यारबिलोव ने 72 किग्रा में हराया। नीरज (82 किग्रा) भी कोई प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे जिन्हें सर्बिया के कोवासेविच ने 10-1 से हराया। प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले से अभियान शुरू करने वाले रविन्द्र (67 किग्रा) को तुर्की के हाकि काराकुस ने 2-1 से हराया।

आस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता डब्लूटीए फाइनल्स

शेनजेन, 3 नवंबर (एएफपी) ।

दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एशले बार्टी ने रविवार को यहां गत चैंपियन एलिना स्वितोलिना को हराकर डब्लूटीए फाइनल्स खिताब अपने नाम किया। बार्टी पिछले पांच प्रयासों में स्वितोलिना को हरा नहीं सकी थीं लेकिन वे शेनजेन बे स्पोर्ट्स सेंटर में एक घंटे 26 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-3 से जीत हासिल करने में सफल रहीं। इस आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इस तरह 44.2 लाख अमेरिकी डॉलर का चेक अपने नाम किया जो पुरुष और महिला टेनिस में सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है।

स्वितोलिना पिछले साल सिंगापुर में डब्लूटीए फाइनल्स में जीत के बाद कोई ट्रॉफी नहीं जीत सकी हैं जो उनके करिअर का सबसे बड़ा खिताब है।

बारिश ने पाकिस्तान को हार से बचाया

सिडनी, 3 नवंबर (एएफपी) ।

आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच की ताबड़तोड़ पारी पर बारिश ने पानी फेर दिया जिससे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला में रविवार को खेला गया पहला मुकाबला बेनतीजा रहा। शृंखला का दूसरा मुकाबला मंगलवार को कैनबरा में खेला जाएगा।

बारिश से प्रभावित मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पाकिस्तान ने 15 ओवर में पांच विकेट पर 107 रन बनाए जिसके बाद डकवर्थ लुइस प्रणाली से आस्ट्रेलिया को जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य मिला। आस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 3.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 41 रन बना लिया। इस दौरान फिंच काफी आक्रामक रहे जिन्होंने 16 गेंद की नाबाद पारी में पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। पिछले तीन मैचों में अपना विकेट गंवाए बिना 217 रन बनाने वाले वार्नर ने इस दौरान चार गेंद में दो रन (नाबाद) बनाए। बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हुआ और मैच को बेनतीजा घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम इस शृंखला में नए कप्तान बाबर आजम के नेतृत्व में मैदान पर उतरी। आजम ने टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 38 गेंद की पारी में नाबाद 59 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान पांच चौके और दो छक्के लगाए। टी-20 में आजम का यह 11वां अर्धशतक है।

आस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला पाक कप्तान बाबर आजम ने 38 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए।

न्यूजीलैंड ने दूसरे टी-20 में इंग्लैंड को 21 रन से पराजित किया

वेलिंगटन, 3 नवंबर (एएफपी) ।

कोलिन डी ग्रैंडहोम की आतिशि बल्लेबाजी के बाद शानदार क्षेत्ररक्षण के दम पर न्यजीलैंड की टीम ने रविवार को यहां दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 21 रन से हराकर पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला 1-1 से बराकर कर ली।

ग्रैंडहोम ने 12 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके की मदद से 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद चार शानदार कैच भी लपके। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 176 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की पारी को 19.5 ओवर में 155 रन पर समेट दिया। शुक्रवार को खेले गए पहले मुकाबले को सात विकेट से गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 28 गेंद में 41 जबकि पारी की आखिरी गेंद पर आउट होने वाले जिमी नीशम ने चार छक्कों और दो चौके की मदद से 22 गेंद में 42 रन बनाए। अनुभवी रोस टेलर ने भी 28 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए क्रिस जोर्डन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 11 ओवर में चार विकेट पर 91 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी लेकिन इसके बाद टीम ने जल्दी-जल्दी छह विकेट गंवा दिए। पहले ओवर में जानी बेयरस्टा और दूसरे ओवर में जेम्स विंस का विकेट खोने के बाद कप्तान ईयोन मोर्गन (32) और डेविड मलान (39) पारी को पटरी पर लाने में सफल रहे । मोर्गन के आउट होने के बाद हालांकि टीम की पारी लड़खड़ा गई।

जीत के साथ अब पांच मैचों की टी-20 शृंखला 1-1 से बराकर

छह नवंबर को खेला जाएगा एकदिवसीय शृंखला का पहला मुकाबला

आंकड़े

अफगान टीम में हरफनमौला खिलाड़ियों की भरमार है

मौजूदा विंडीज टीम से कई मायनों में बेहतर है अफगानिस्तान

लखनऊ, 3 नवंबर (भाषा) ।

अपने 'घरेलू' मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली क्रिकेट शृंखला खेलने जा रही जज्बे की धनी अफगानिस्तान की टीम अनुभव और उपलब्धियों के मामले में भी अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं।

नवाबों के शहर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अफगान टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ एकदिवसीय और टी-20 मैचों शृंखला के साथ-साथ एक टैस्ट भी खेलेगी। एकदिवसीय शृंखला का पहला मुकाबला आगामी छह नवंबर को खेला जाएगा। अपने जज्बे के लिए पहचानी जाने वाली अफगान टीम विश्व क्रिकेट के लिए भले ही ज्यादा पुरानी न हो लेकिन रेकॉर्ड पर नजर डालें तो वह मौजूदा विंडीज टीम से कई मायनों में बेहतर है।

एकदिवसीय मैचों की शृंखला के लिए चुनी गई दोनों टीमों की तुलना करें तो अफगान टीम ज्यादा अनुभवी है। उसके खिलाड़ियों ने कुल 634 वनडे मुकाबले खेले हैं। जबकि कैरेबियाई टीम ने 448 मैच में हिस्सा लिया है। विंडीज ने इतने मैच खेलकर 10468 रन बनाए और 250 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर, अफगान टीम ने 12409 रन बनाए हैं और 416 विकेट झटके हैं। आंकड़ों से अफगान टीम की गेंदबाजी की मजबूती का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके पास कप्तान राशिद खान (68 मैचों में 131 विकेट) के रूप में विश्वस्तरीय लेग स्पिनर हैं। वहीं उनकी मदद के लिए मोहम्मद नबी (121 मैचों में 128 विकेट) और मुजीब उर्रहमान (37 मैचों में 58 विकेट) जैसे बेहतरीन फिरकी गेंदबाज भी मौजूद हैं।

दूसरी ओर, वेस्ट इंडीज की टीम में जेसन होल्डर (107 मैचों में 130 विकेट) के अलावा उल्लेखनीय रेकॉर्ड वाला और कोई अनुभवी गेंदबाज नहीं है। होल्डर के बाद कप्तान काइरन पोलार्ड ही ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 101 वनडे मुकाबलों में 50 विकेट लिए हैं। वह भी लगभग तीन साल बाद कोई वनडे मैच खेलेंगे। टीम में शेल्डन कॉटरेल, कीमो पॉल, रोस्टन चेज और अल्जारी जोसेफ के रूप में गेंदबाज मौजूद हैं लेकिन उन्हें खास अनुभव नहीं है। अफगान टीम में हरफनमौला खिलाड़ियों की भरमार है, जो उसे विंडीज टीम पर बढ़त दिलाती है। मोहम्मद नबी विशुद्ध ऑल राउंडर हैं। इसके अलावा गुलबदीन नईब, मुजीब उर्रहमान और खुद कप्तान राशिद खान भी गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विंडीज इस मामले में खासी कमजोर दिखती है। होल्डर को छोड़कर उसके पास एक भी स्तरीय ऑलराउंडर नहीं है। हालांकि बल्लेबाजी के व्यक्तिगत रेकॉर्ड में विंडीज की टीम बेहतर है। इस टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल विकेटकीपर शाई होप छह वनडे शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा शिमरोन हेटमेयर चार और पोलार्ड तीन शतक जड़ चुके हैं। दूसरी ओर, अफगान टीम की तरफ से रहमत शाह ने चार शतक लगाए हैं। वहीं, असगर अफगान, मोहम्मद नबी और नजीबउल्ला जदरान ने एक-एक सैकड़ा जमाया है। सीरीज में जिन अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर होगी, उनमें अफगान क्रिकेटरों में जावेद अहमदी, हजरतुल्ला जजई, गुलबदीन नईब और इकराम अलीखिल शामिल हैं। वहीं, कैरेबियाई टीम के एविन लेविस और सुनील अम्ब्रिस के प्रदर्शन पर खास निगाह होगी।

लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज की मेजबानी करने जा रहा है। पिछले साल यहां भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टी-20 मैच के रूप में पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला गया था। अफगानिस्तान ने इसे अपना 'घरेलू' मैदान बनाया है।

रेकॉर्ड पर नजर

अफगान खिलाड़ियों ने कुल 634 वनडे मुकाबले खेले हैं। जबकि कैरेबियाई टीम ने 448 मैचों में हिस्सा लिया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 350, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।